वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

दृष्टीकोण विवरण

इसरो के सामर्थ्य के पूर्ण उपयोग से भारत में एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी का सृजन कर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की वाणिज्यिक क्षमताओं को उच्चतम सीमाओं तक ले जाना एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व की महत्वपूर्ण कंपनी के रूप में उभरना।

मिशन विवरण

हमारा मिशन विश्व भर में स्थापित भारतीय उद्योगों एवं ग्राहकों को भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की पूर्ण क्षमताओं को समझने के योग्य बनाना है।

एन्ट्रिक्स, अंतरिक्ष क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, भागीदारी/साझेदारी, उद्योगजगत् की बढ़ती सहभागिता एवं अंतरिक्ष-वाणिज्य के लिए मेक इंडिया जैसे अधिमान्य वैश्विक गंतव्य को निम्नप्रकार से मंच प्रदान करने के लिए प्रयासरत है :

- बाज़ार की संभावनाओं के अनुरूप प्रौद्योगिकी/उत्पादों की पहचान के द्वारा।
- उद्योगजगत् में प्रमुख क्षमता की पहचान के द्वारा।
- वित्तीय लाभ के अर्जन द्वारा।
- राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की पूर्णता द्वारा।
- निजी उद्योगों के साथ वाणिज्यिक एवं तकनीकी सहभागिता की अभिवृद्धि द्वारा।

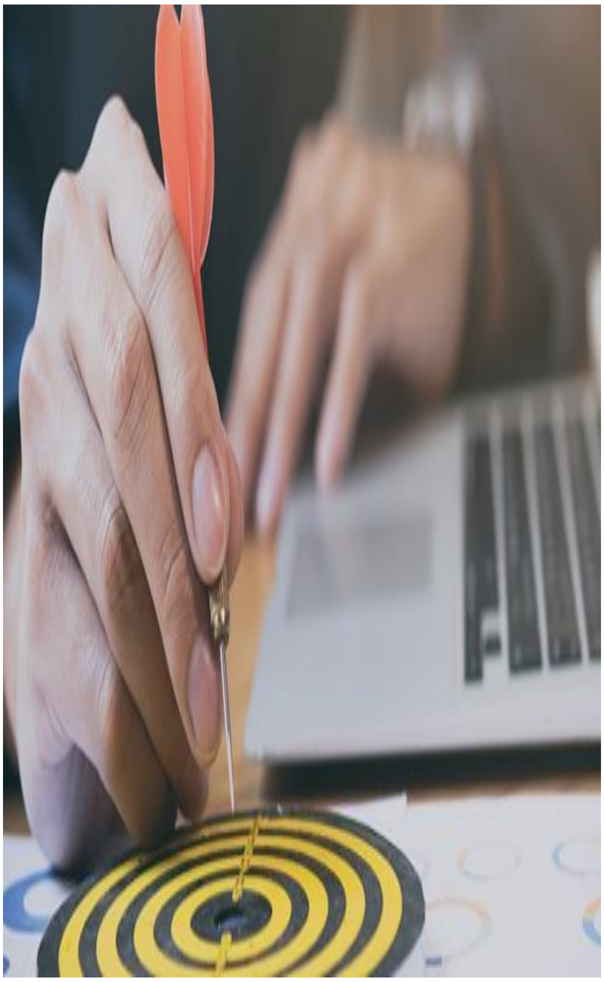

हम सर्वोत्तम व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाकर और पारिस्थितिक तंत्र के हितधारकों के लिए मूल्य जोड़कर मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

निदेशक-मंडल

प्रकार्यात्मक/पूर्णकालिक निदेशक

श्री संजय कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)/निदेशक (वित्त)

अंशकालिक पदाधिकारी/सरकारी नामित निदेशकगण

डॉ. एम. सुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव उद्यम नीति और विधि (ई.पी.एल), अ.वि. (19.3.2025 तक)

श्रीमती दीप्ति आदित्य कनाडे, संयुक्त सचिव (वित्त), अं.वि. (28.10.2024 से)

डॉ. शंकरी मुरली, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, अं.वि. (03.06.2025 से)

श्री एम गणेश पिल्लई, वैज्ञानिक सचिव, अं.वि. (11.06.2025 से)

इसरो नामित निदेशकगण

श्री शांतनु भाटवडेकर (31.12.2024 तक)
श्री एम. मोहन (03.09.2025 तक)
श्रीमती निगार शाजी (28.10.2024 से 31.5.2025 तक)

स्वतंत्र निदेशकगण

डॉ. अजीत टी. कलघाटगी
श्री कमल बाली

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स. मुकुंद शिवा एंड अॅसोसिएट
नंबर 267, 6 क्रॉस, पहला ब्लॉक, जयनगर
बेंगलूरु 560 011

बैंकर

केनरा बैंक
आरएमवी एक्सटेंशन शाखा
बेंगलूरु 560 080

भारतीय स्टेट बैंक
डॉलर कॉलोनी शाखा
बेंगलूरु 560 054

पंजीकृत कार्यालय

कॉर्पोरेट कार्यालय
अंतरिक्ष भवन परिसर
न्यू बी.ई.एल रोड के निकट
बेंगलूरु 560 094

विषयवस्तु

निदेशकगण की रिपोर्ट	1
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया	11
कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट	12
वित्त वर्ष 2024-25 हेतु सी.एस.आर. क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट	22
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	34
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से संबंधित अनुलग्नक 'क'	43
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से संबंधित अनुलग्नक 'ख'	49
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से संबंधित अनुलग्नक 'ग'	52
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रारूपित टिप्पणी	54
तुलनपत्र	56
लाभ तथा हानि लेखा	58
इक्विटी में परिवर्तन के विवरण	59
नकद प्रवाह विवरण	60
वित्तीय विवरणी हेतु नोट	62
वित्तीय विवरण के भाग के रूप में अन्य नोट	107

निदेशकगण की रिपोर्ट

आपके निदेशकगण 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा के लेखापरीक्षित विवरणी, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी) की टिप्पणी सहित **तेंतीसवीं** वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं।

कार्य निष्पादन संबंधी प्रमुख विशेषताएँ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी का व्यापार ₹ 7,677.81 लाख रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 9,197.69 लाख था। करोपरांत लाभ ₹ 5,698.36 लाख रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 6,287.74 लाख था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वाणिज्यिक अंग के रूप में आपकी कंपनी अंतरिक्ष तकनीक को वाणिज्यिक उपयोग में लाती रही है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय ग्राहक अत्याधुनिक मनोरंजन, प्रौद्योगिकी तथा अन्य उपयोगों का आनन्द उठा रहे हैं।

उपग्रह संचार (सैटकॉम) प्रेषानुकर सेवाएँ

भौगोलिक रूप से फैले हुए भारत जैसे देश के सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में उपग्रह संचार व्यवस्था से प्रसारण प्रदान किया जा सकता है। उपग्रह प्रौद्योगिकी के अनोखेपन और लाभ का कोई विकल्प नहीं है। यह निर्णायक राष्ट्रव्यापी संचार संरचना की अभिवृद्धि और जहाँ भौतिक प्रसारण या अन्य प्रकार का संयोजन संभव नहीं है, के अंतर की भरपाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सैटकॉम के अनुप्रयोग जैसे टेलीविजन, डीटीएच, डीएसएनजी, वीसैट टेलीफोनी सेवाएँ, बैकहॉलिंग, गतिशीलता आदि ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है।

आपकी कंपनी के पास विभिन्न भारतीय उपयोगकर्ताओं को सी बैंड क्षमता पट्टे पर देने के लिए विदेशी उपग्रह प्रचिलकों के साथ समझौते विद्यमान हैं। आपकी कंपनी अंतरिक्ष खंड प्रभार से व्यापार में हुई भारी कमी की साक्षी है जिस कारण कंपनी के राजस्व और लाभ पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है।

आपकी कंपनी ने सामरिक प्रयोक्ताओं के लिए अंतरिक्ष आधारित स्वचालित पहचान प्रणाली (ए.आई.एस) प्रदान करना जारी रखा है। आपकी कंपनी नए सामरिक प्रयोक्ताओं के लिए भी अंतरिक्ष आधारित ए.आई.एस आँकड़ा और सह-सेवा की आपूर्ति हेतु प्रयास कर रही है। आपकी कंपनी सामरिक ग्राहकों को रेडियो आवृत्ति आधारित आँकड़े भी प्रदान कर रही है।

उपग्रह मिशन सहायक सेवाएँ

आपकी कंपनी विश्व भर में प्रतिष्ठित ग्राहकों को उपग्रह प्रचालन के लिए दूरमिति, अनुवर्तन तथा आदेश (टी.टी.सी), प्रमोचन एवं पूर्व कक्ष चरण (एल.ई.ओ.पी) एवं उपग्रह/प्रमोचन संचालन हेतु अन्य संबंधित सेवाएँ प्रदान करती रही है।

उपग्रह प्रणाली, नौवहन एवं परीक्षण सेवाएँ

आपकी कंपनी, देश में नाविक आधारित उपयोग के लिए नाविक सी+ गगन/जीपीएस अभिग्राही प्रतिरूपक, नाविक मात्र एसपीएस अभिग्राही प्रतिरूपक एवं नाविक मात्र निष्क्रिय एटेना की आपूर्ति कर अपनी पहल जारी रखे हुए है।

आपकी कंपनी एक सामरिक ग्राहक को परीक्षण सेवाएँ भी प्रदान कर रही है तथा उप-प्रणालियों, उपग्रह प्रणालियों और परीक्षण सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित व्यवसाय विकास के अवसर भी तलाश रही है।

प्रमोचन सेवाएँ एवं अवसंरचना परियोजनाएँ

आपकी कंपनी, अंतरिक्ष क्षेत्र में हो रहे सुधार के परिणामस्वरूप विभिन्न भारतीय कंपनियों एवं नवोदित प्रतिष्ठानों के साथ प्रमोचन/उपग्रह उपप्रणाली की आपूर्ति से जुड़े व्यापार विकास की संभावनाएँ तलाश रही है।

आई.आर.एस संबंधी क्रियाकलाप

आपकी कंपनी रिसोर्ससैट-2 उपग्रह से अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों की पृथ्वी अवलोकन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय सुदूर संवेदन (आई.आर.एस) उपग्रह समूह के लिए उपग्रह आँकड़ा उत्पादों और अतिरिक्त सेवाओं का विपणन कर रही है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी वैश्विक और भारतीय ग्राहकों को भू-स्थानिक और संबद्ध सेवाएँ और क्षमता निर्माण प्रदान करने के अवसर तलाश रही है।

विशेष प्रयोक्ताओं को वी.एच.आर आँकड़े प्रदान करना

आपकी कंपनी, जहाँ घरेलू क्षमता उपलब्ध नहीं है, विदेशी उपग्रह प्रचालकों से सामरिक प्रयोक्ताओं को अति उच्च विभेदन (वी.एच.आर) आँकड़े प्रदान करती रही है। इसके अलावा, आपकी कंपनी सामरिक प्रयोक्ताओं की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने पर भी ध्यान दे रही है।

दौरों का विनिमय

समीक्षावधि के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि ने व्यापारिक परिचर्चा एवं व्यापारिक संभावनाएँ तलाशने हेतु एन्ट्रिक्स का दौरा किया।

लाभांश

आपकी कंपनी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सी.पी.एस.ई) होने के नाते, पूँजी पुनर्रचना हेतु निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डी.आई.पी.ए.एम) के पत्रांक 5/2/2016-नीति दिनांक 18 नवम्बर, 2024 द्वारा जारी दिशानिर्देश का अनुसरण करती है। दिशानिर्देश यह इंगित करते हैं कि प्रत्येक सीपीएसई अपने करोपरान्त लाभ का कम-से-कम 30% या कुल संपत्ति का 4%, जो भी वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत महत्तम लाभांश हो, वार्षिक लाभांश के तौर पर भुगतान करेगा।

वित्तीय परिणाम

वित्तीय परिणाम	31.03.25 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)
कुल आय	16,509.75	17,484.71
कुल व्यय	8,673.16	8,979.05
मूल्यह्रास एवं कर पश्चात् लाभ	**7,836.59**	**8,505.66**
घटाइए: मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	49.30	55.47
घटाइए: कराधान के लिए प्रावधान	2089.98	2104.16
घटाइए: आस्थगित कर	(1.05)	58.29
वर्ष के लिए कर पश्चात् लाभ	**5,698.36**	**6,287.74**
अन्य व्यापक आय/(हानि)	(4.02)	(1.58)
कुल व्यापक आय	**5,694.34**	**6,286.16**
पुनर्वियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	**5,694.34**	**6,286.16**

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के दिनांक 27 मई 2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या F/5/2/2015-नीति के तहत जारी निर्देशों के अनुसार, आपके निदेशक ₹ 680 लाख की चुकता एक्विटी शेयर पूँजी पर ₹ 5,833.55 लाख (पिछले वर्ष ₹ 7,380 लाख) का लाभांश देने की सहर्ष अनुशंसा करते हैं। यह 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए करोपरांत लाभ का 102.37% इंगित करता है।

रिज़र्व में स्थानांतरित

वर्ष के दौरान, कंपनी, सामान्य रिज़र्व में कोई भी धनराशि अंतरित करने का प्रस्ताव नहीं रखती है।

आगामी दृष्टिकोण

आपकी कंपनी व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न व्यावसायिक अवसरों की खोज कर रही है। भारतीय अंतरिक्ष नीति का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में आद्योपांत गतिविधियों को अंजाम देने में गैर-सरकारी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना है। आपकी कंपनी अपने उपलब्ध संसाधनों के साथ विदेशी और भारतीय दोनों व्यवसायियों के साथ संभावित सहयोग के माध्यम से उभरते व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने की उम्मीद करती है ताकि व्यवसाय का विस्तार किया जा सके।

सैटकॉम व्यवसाय क्षेत्र में, टी.वी और डी.एस.एन.जी के लिए सी बैंड क्षमता का प्रावधान एक खुला बाजार है और एन्ट्रिक्स विदेशी सेवा प्रदाताओं की सी बैंड क्षमताओं को भारत भर के घरेलू उपयोग उपयोगकर्ताओं के साथ विवरण एवं पुनर्विक्रय का प्रयास कर रही है |

कंपनी ने विदेशी उपग्रह प्रचालकों से प्राप्त अंतरिक्ष आधारित आँकड़े (प्रकाशिक आँकड़े, एस.ए.आर आँकड़े, आर.एफ आँकड़े, ए.आइ.एस आँकड़े आदि) की आपूर्ति विभिन्न घरेलू प्रयोक्ताओं को करने में अच्छी प्रगति की है।

अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों के बाद सैटकॉम और ई.ओ आँकड़ा क्षेत्र में विभिन्न अवसरों के उभरने की उम्मीद है और आपकी कंपनी विभिन्न प्रयोक्ताओं को मूल्यवर्धित सेवाएँ प्रदान करने के अवसरों की भी तलाश कर रही है।

आपकी कंपनी आशान्वित है कि निकट भविष्य में कोई ठोस व्यावसायिक अवसर उभर कर सामने आएँगे और कंपनी अपने व्यवसाय-क्षेत्र को विस्तार प्रदान करने में सक्षम होगी।

निदेशकगण

यह कंपनी, भारत सरकार की है और निदेशकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति, प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है।

दिनांक 31 मार्च, 2025 तक आपकी कंपनी के मंडल में छः(6) निदेशकगण हैं। इनमें से एक प्रकार्यात्मक निदेशक, एक सरकार द्वारा नामित निदेशक, दो ग़ैर-सरकारी अंशकालिक (इसरो नामित) निदेशकगण एवं दो ग़ैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकगण हैं। ये सभी भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विशद् अनुभव प्राप्त नामी हस्तियाँ हैं।

श्री शांतनु भाटवडेकर, दिनांक 1 जनवरी, 2025 को अधिवर्षिता के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस कारण इसरो द्वारा नामित निदेशक के रूप में कंपनी से उनकी संबद्धता समाप्त हो चुकी है और डॉ. एम. सुब्रमण्यम, दिनांक 20 मार्च, 2025 से, अंतरिक्ष विभाग से अपने विभाग में वापस चले गए हैं, इसके फलस्वरूप सरकार नामित निदेशक के रूप में कंपनी से उनकी संबद्धता समाप्त हो चुकी है।

श्रीमती दिप्ती आदित्य कानडे, संयुक्त सचिव (वित्त), अंतरिक्ष विभाग एवं श्रीमती निगार शाजी, सह-निदेशक (परियोजना), यूआरएससी, एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में 28 अक्तूबर, 2025 से शामिल हुई हैं।डॉ. शंकरी मुरली, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार एवं श्री एम गणेश पिल्लै,

वैज्ञानिक सचिव, इसरो मुख्यालय एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मंडल में क्रमश: 3 जून, 2025 एवं 11 जून, 2025 से शामिल हुए हैं।

मंडल से मुक्त हो चुके निदेशकों द्वारा की गई सराहनीय सेवाओं और दिए गए योगदान के लिए मंडल इनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। मंडल, श्रीमती दीप्ति आदित्य कनाडे, संयुक्त सचिव (वित्त), अंतरिक्ष विभाग, श्रीमती निगार शाजी, सह-निदेशक (परियोजना), यूआरएससी, डॉ. शंकरी मुरली, एवं श्री एम गणेश पिल्लै का अभिनंदन करता है और आत्मविश्वास प्रकट करता है कि कंपनी इनके दीर्घ एवं विविध अनुभव से पूर्णत: लाभान्वित होगी।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसरण में, निदेशकमंडल, अपने उत्तम ज्ञान और योग्यता के आधार पर यह पुष्टि करते हैं कि:

i. वार्षिक लेखा की तैयारी में तात्विक विचलन के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है;

ii. निदेशकों ने ऐसी लेखाविधि नीतियों का चयन किया है तथा उनको एकरूपता से लागू किया है और निर्णय लिए हैं एवं आकलन किए हैं जो उपयुक्त एवं विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2025 के अंत में कंपनी से संबंधित मामले की स्थिति तथा उस तिथि को समाप्त हो रहे वर्ष के लिए कंपनी के लाभ के बारे में कंपनी की सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत की जा सके।

iii. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और बेईमानी का पता लगाने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखा संबंधी अभिलेखों के पर्याप्त अनुरक्षण हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;

iv. निदेशकों ने “जारी व्यापार” के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है;

v. निदेशकों ने लागू होने वाले सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली की संरचना की है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त रही हैं और प्रभावशाली ढंग से काम कर रही हैं ।

कॉर्पोरेट शासन

कॉर्पोरेट शासन संहिता पर कंपनी की स्थितिप्रज्ञता

कंपनी के निर्णय लेने के हर पहलू में कॉर्पोरेट प्रशासन के मूल सिद्धांतों और दर्शन का अक्षरशः पालन किया जाता है, जो कि अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन की समकालीन माँग के अनुरूप है और समय-समय पर लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है। कंपनी में सभी मंडल सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन पर लागू होने वाली व्यावसायिक आचरण और नैतिकता की एक संहिता लागू की गई है। इस संहिता के पालन की पुष्टि संबंधित सदस्यों द्वारा वार्षिक आधार पर की जाती है। मुख्य कार्यकारी द्वारा इस आशय की घोषणा इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाई गई है।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रके उपक्रमों (सी.पी.एस.ई) के लिए लागू और लोक उदयम विभाग द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन, मानदंडों का कंपनी ने अनुपालन किया है। इस संबंध में रिपोर्ट व्यतीत रूप से भेजा जा रहे है| कॉर्पोरेट अभिशासन पर एक विस्तृत रिपोर्ट इस रिपोर्ट का हिस्सा है। सी.पी.एस.ई के लिए संशोधित श्रेणीकरण मानदंडों के अनुसार, डी.पी.ई द्वारा जारी कॉर्पोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन के मामले में, आपकी कंपनी को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 'उत्कृष्ट' श्रेणी मिलने के आसार हैं।

संबंधित पक्ष अंतरण

भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक-24 के अनुसार संबंधित पक्ष अंतरण का प्रकटीकरण, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक लेखा का हिस्सा बनने वाले नोट्स के नोट संख्या 35 में दिया गया है।

सतर्कता प्रक्रिया

मंडल द्वारा अनुमोदित सूचना प्रदाता नीति अपनाई जा रही है। यह कॉर्पोरेट अभिशासन को सबल बनाने के लिए कंपनी द्वारा किए जा रहे उपायों का हिस्सा है।

इंटीग्रिटी पैक्ट

लोक उद्यमों द्वारा सार्वजनिक क्रय-विक्रय में पारदर्शिता, समानता और प्रतियोगिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा उठाए गए कदम की श्रृंखलाओं के भाग के रूप में सहयोग समझौता को बढ़ावा दिया गया है। कंपनी ने बोली लगाने वालों द्वारा पारदर्शिता/समानता को बढ़ावा देने के लिए और कंपनी द्वारा किए जा रहे व्यापार में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से इसे लागू भी किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी) के तत्संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, डॉ. अमर कुमार पांडेय, भा.पु.से. (सेवानिवृत्त) एवं श्री महेश विज, सी.ई.एम.ई.एस. (सेवानिवृत्त), को स्वतंत्र बाह्य प्रबोधक (आइ.ई.एम) के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किया गया है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी पर्याप्तता

कंपनी ने वित्तीय उपयुक्तता के सभी मापदंडों को पूरा करने के लिए आवश्यक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की है। हम मानते हैं कि आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन शासन-सिद्धान्त लागू करने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षा है। कंपनी के पास प्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि हमारी सभी परिसंपत्तियाँ नुकसान से सुरक्षित और संरक्षित हैं।

प्रतिवेदन के अंतर्गत वर्ष के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए बाहरी लेखा परीक्षा प्रतिष्ठान मेसर्स राव असोसिएट, सनदी लेखाकार को नियुक्त किया गया था। इससे प्रणाली और नियंत्रण की पर्याप्तता सुनिश्चित करने में मदद मिली है। मंडल द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षा समिति द्वारा उनकी रिपोर्ट की आगे समीक्षा की गई। आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और शुरू की गई सुधारात्मक कार्रवाइयों पर प्रबंधन के साथ चर्चा की जाती है और मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा उनकी समीक्षा की जाती है। लेखा परीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की भी समीक्षा करती है।

लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में प्रतिवेदन-काल के दौरान किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का उल्लेख नहीं किया है।

मंडल की बैठक की संख्या

विवरण कॉर्पोरेट अभिशासन की रिपोर्ट में दिया गया है ।

मंडल-समिति

कंपनी की नीतियों एवं लक्ष्यों का अनुसरण करते हुए इसकी विधिवत् गठित मंडल-स्तरीय उप समितियाँ नियमित रूप से बैठकों में विचार-विमर्श करके कंपनी को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। समिति की बैठकों के विस्तृत विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में संलग्न हैं।

मंडल एवं सामान्य बैठकों में सचिवालयीन मानकों का अनुपालन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118 (10) की संस्थान द्वारा वर्णित तथा केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत सचिवालयीन मानक 1 और 2 का क्रमश: मंडल की

बैठक तथा सामान्य बैठक के लिए लागू करती है। कंपनी ने, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवालयीन मानक 3 को लाभांश के लिए और सचिवालयीन मानक 4 को निदेशक-मंडल की रिपोर्ट के लिए स्वैच्छिक रूप से अपनाया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के अनुसार, आपकी कंपनी में एक आंतरिक समिति (आइ.सी) है। कंपनी की आई.सी नीति कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा और ऐसी अनुपालन का प्रावधान करती है।

इस अवधि के दौरान आई.सी की दो बैठकें आयोजित की गईं। अधिनियम के अनुसार स्थानीय शिकायत समिति को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की गई। वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

वर्ष के दौरान आई .सी के सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किए गए।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन विकास (सी.एस.आर एवं एस.डी)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुपालन में तथा कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 के अनुसार, कंपनी ने एक सी.एस.आर नीति विकसित की है। सी.एस.आर और एसडी समिति सी.एस.आर पहल के भाग के रूप में कार्यान्वयन के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा करने और उन्हें मंजूरी देने के लिए समय-समय पर बैठक करती है तथा चल रही परियोजनाओं के कामकाज/प्रगति की निगरानी भी करती है। समीक्षाधीन वर्ष के लिए, कंपनी ने सी.एस.आर गतिविधियों के लिए ₹140.41 लाख व्यय किया है।

कंपनी की सी.एस.आर संबंधी क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट जिसमें कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत सी.एस.आर समिति की संरचना शामिल है, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

लेखापरीक्षकगण

सांविधिक लेखापरीक्षकगण: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने पत्र संख्या CA.V/COY/केंद्र सरकार, एन्ट्रिक्स (1)/32 दिनांक 19 सितंबर 2024 के माध्यम से मेसर्स मुकुंद शिवा एंड अॅसोसिएट, सनदी लेखाकार, बेंगलूरु को 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा की लेखा परीक्षा करने के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया।

आंतरिक लेखापरीक्षक: आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए मेसर्स राव असोसिएट, सनदी लेखाकार, बेंगलूरु को नियुक्त किया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों पर की गई टिप्पणियों को प्रबंधन के उत्तर, यदि कोई हो, के साथ इस रिपोर्ट में रखा जाएगा, जब भी प्राप्त होगा और उसे सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ वार्षिक आम बैठक में रखा जाएगा।

सावधि जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने जनता से किसी प्रकार की जमा को न तो आमंत्रित किया है और न ही स्वीकार किया है।

राजकोष में योगदान

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान लाभांश, शुल्क और करों के रूप में ₹ 11923.00 लाख की राशि का योगदान दिया, जबकि पिछले वर्ष यह राशि ₹ 9,529.11 लाख थी।

सूचना के अधिकार संबंधी अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन

आर.टी.आइ अधिनियम 2005 के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में एन्ट्रिक्स ने समीक्षा अवधि के दौरान अपने दायित्वों का निर्वहन जारी रखा है। आपकी कंपनी ने निर्धारित समय सीमा के भीतर 16 आर.टी.आइ आवेदनों और 04 अपीलों के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करके अधिनियम के तहत अपने दायित्वों को पूरा किया था। इसके अलावा, आर.टी.आइ आवेदनों/अपीलों की तिमाही रिपोर्ट समय पर केंद्रीय सूचना आयोग (सी.आइ.सी) को प्रस्तुत की गई थी। नागरिकों तक सूचना की पहुँच सुनिश्चित करने और कंपनी के दर्शन और कॉर्पोरेट शासन के एक हिस्से के रूप में, आपकी कंपनी की वेबसाइट पर सक्रिय प्रकटीकरण किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी सी.आइ.सी द्वारा अनिवार्य वर्ष 2024-25 के लिए आर.टी.आइ अधिनियम, 2005 के तहत सक्रिय प्रकटीकरण का लेखापरीक्षण संचालित करने के लिए प्रयासरत है।

कर्मचारियों के विवरण

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना सं, जी.एस.आर 463 (ई) के अनुरूप सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 एवं उसके नियमों से छूट मिली हुई है।

मानव संसाधन विकास एवं आरक्षण

आज की तिथि में एन्ट्रिक्स की सूची में 13 स्थायी कार्मिक हैं:- [वर्ग-क: व्यवसाय खंड-03; वर्ग-क: प्रशासन-06; वर्ग-ख: प्रशासन-03 और वर्ग-ग: प्रशासन 01] जिसमें से वर्ष के दौरान 02 कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर गए हैं। इसके अलावा, व्यापार खंड हेतु वर्ग-क के 01 कार्मिक वी.एस.एस.सी से प्रतिनियुक्ति पर शामिल हुई हैं। महिला कार्मिकों की कुल संख्या 4 हैं और इस अवधि के दौरान एक महिला कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर शामिल हुई हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) और दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित व्यक्तियों की संख्या चार थी।

प्रशिक्षण एवं विकास

वर्ष के दौरान, कार्मिकों को आवश्यक कौशल प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान किए गए जिनसे उन्हें अपने कार्य-क्षेत्र में अद्यतित रहने में मदद मिली और प्रतिभा अधिग्रहण तथा जीवन-वृत्ति की प्रगति में भी उनको सहायता मिली।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एम.एस.ई) से क्रय

कंपनी मुख्य रूप से अंतरिक्ष उद्योग और इसके परियोजना प्रबंधन से संबंधित उत्पादों एवं सेवाओं के व्यावसायीकरण में शामिल है। कंपनी ने सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में TReDS मंच, एमएसएमई समाधान और सरकारी ई-व्यापारकेंद्र (जीईएम) पटल पर स्वयं को पंजीकृत किया है। वर्ष 2024-25 के दौरान, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से उत्पादों एवं सेवाओं का क्रय 62.65% रहा, जो ₹ 113.78 लाख है।

जोखिम प्रबंधन नीति

एन्ट्रिक्स के पास मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है तथा एन्ट्रिक्स में विभिन्न प्रक्रियाओं से जुड़े जोखिमों पर भी मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति, जोखिम संचालन समिति और लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में चर्चा की जाती है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा का अर्जन तथा निर्गम पर रिपोर्ट

ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी समावेशन संबंधी दी जाने वाली सूचना **शून्य** है, क्योंकि कंपनी ने प्रत्यक्ष रूप से न तो किसी ऊर्जा का उपयोग किया है और न ही किसी विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात किया है। विदेशी मुद्रा अर्जन और निर्गम की रिपोर्ट अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

राजभाषा कार्यान्वयन

राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनी सभी स्तरों पर हिन्दी के प्रयोग को लागू कर रही है। कार्मिकों को नियमित रूप से कार्यशालाओं और प्रशिक्षणों के लिए भेजा जाता है।

आपकी कंपनी 'सोलिस' (अंतरिक्ष राजभाषा कार्यान्वयन योजना) को लागू कर रही है, जो कर्मियों को अपना अधिकतम सरकारी काम हिन्दी में करने के लिए प्रेरित करती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित की गई हैं, जिनमें कार्यसूची बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई है।

आपकी कंपनी, अंतरिक्ष विभाग और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), [नराकास], बेंगलूरु द्वारा आयोजित सभी समारोहों में भाग लेती रही है। कंपनी को नराकास (उपक्रम), बेंगलूरु द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु राजभाषा के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए वैजयंती और प्रशंसा-पत्र युक्त "सांत्वना पुरस्कार" प्रदान किया गया है।

आपकी कंपनी की वेबसाइट वर्तमान में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है।

आपकी कंपनी राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आने वाले वर्षों में भी अधिक से अधिक योगदान देने की इसी भावना और स्फूर्ति को बनाए रखेगी।

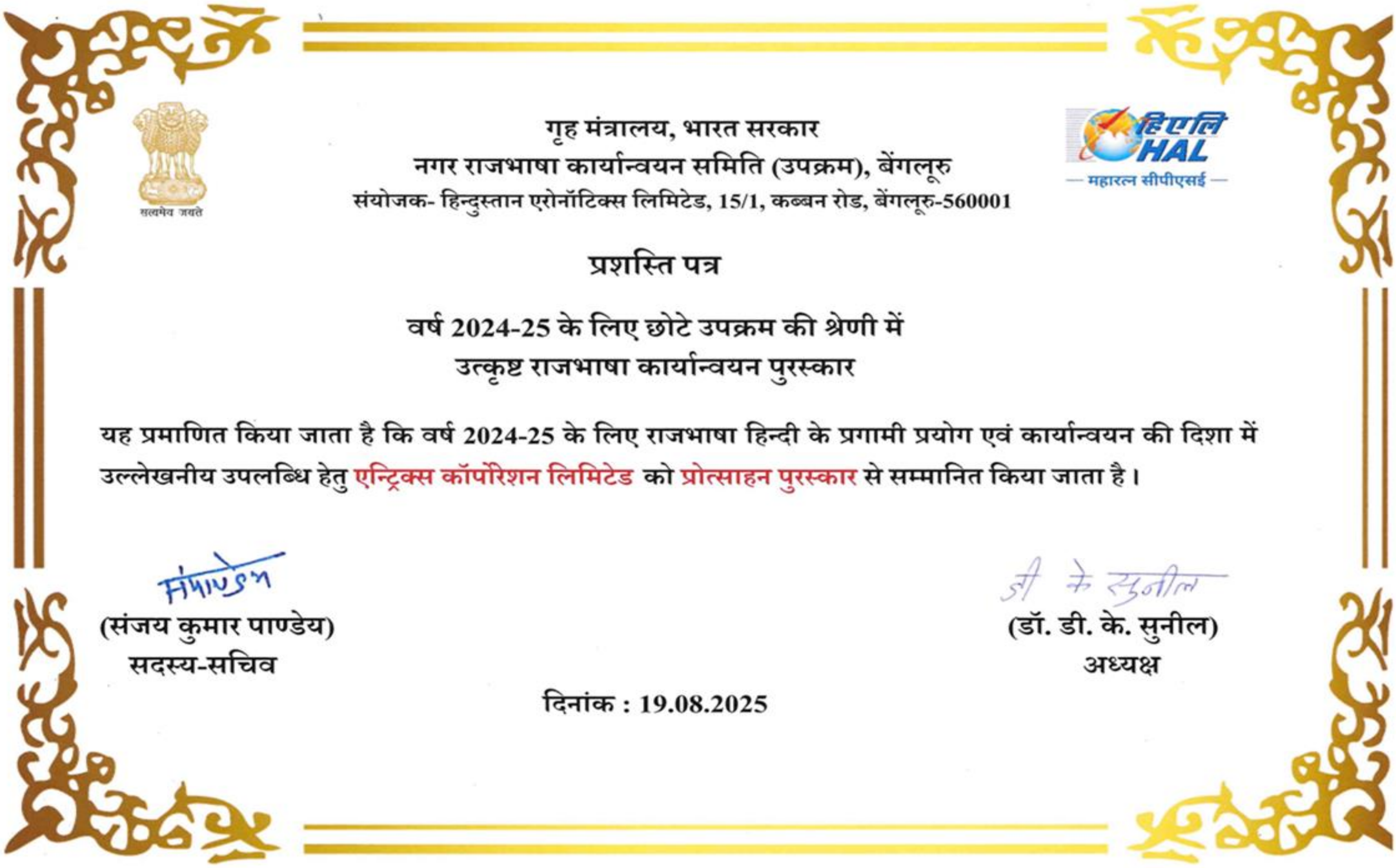
सत्यमेव जयते

हिएलि HAL — महारत्न सीपीएसई —

गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), बेंगलूरु
संयोजक- हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, 15/1, कब्बन रोड, बेंगलूरु-560001

प्रशस्ति पत्र

वर्ष 2024-25 के लिए छोटे उपक्रम की श्रेणी में
उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार

यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2024-25 के लिए राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग एवं कार्यान्वयन की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धि हेतु एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

(संजय कुमार पाण्डेय)
सदस्य-सचिव

(डॉ. डी. के. सुनील)
अध्यक्ष

दिनांक : 19.08.2025

आभारोक्ति

आपके निदेशकगण, अपने उत्पादों और सेवाओं के ग्राहकों तथा अन्य प्रयोक्ताओं से प्राप्त सहायता के लिए आभार प्रकट करने में अतीव प्रसन्नता महसूस करते हैं और आशा करते हैं कि आगामी वर्षों में भी उनकी यह सहायता जारी रहेगी। आपके निदेशकगण, अन्य सरकारी विभागों तथा एजेंसियों, बैंकरों एवं उद्योगों से प्राप्त सहयोग एवं सहायता के लिए उनका भी विशेष आभार प्रकट करते हैं। आपके निदेशकगण, वर्ष के दौरान, कंपनी के विक्रेताओं, बैंकरों, सी एवं ए.जी, सांविधिक/आंतरिक लेखापरीक्षकगण, अध्यक्ष-लेखापरीक्षण समिति, मंडल की अन्य उपसमितियों के अध्यक्ष, सलाहकार, परामर्शदाता आदि से निरंतर मिलने वाले सहयोग और मार्गदर्शन के लिए अपने हार्दिक आभार प्रकट करते हैं।

आपके निदेशकगण, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के सफलतापूर्वक प्रचालन के लिए अंतरिक्ष विभाग, विविध इसरो केंद्रों एवं आपकी कंपनी के अधिकारियों एवं कार्मिकों के सहयोग और योगदान के लिए उनकी सराहना करते हैं ।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हस्ता/-

(संजय कुमार अग्रवाल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)/
निदेशक (वित्त)

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 30 जून 2025

अनुलग्नक-1

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम (वास्तविक) निम्नानुसार हैं:

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम के विवरण			
	यूएसडी	यूरो	समतुल्य राशि ₹ लाख
विदेशी मुद्रा अर्जन			
निर्यात से	3,39,780.71	-	288.17
तकनीकी परामर्शिता से	1,54,176.58	-	130.11
अन्य सेवाओं से	-	-	-
प्रमोचन सेवा से	-	-	-
यात्रा से	-	-	-
कुल	**4,93957.29**	**-**	**418.28**
विदेशी मुद्रा निर्गम			
प्रमोचन सेवा के एवज़ में	-	2,45,000.00	217.38
यात्रा के एवज़ में	3,900.00	-	3.42
आयात लागत के एवज़ में	38,49,785.82	17,68,748.04	4,861.42
तकनीकी सेवाओं के एवज़ में	5,65,250.00	-	480.08
अन्य सेवाओं (विधिक) के एवज़ में	2,39,886.91	2,40,483.34	416.65
अन्य भुगतान के एवज़ में (पोत अनुवीक्षण भुगतान)	-	-	-
कुल	**46,58,822.73**	**22,54,231.38**	**5,978.95**

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट हेतु प्रबंधन का उत्तर

क्र.सं.	लेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
1.	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक लेखा से संबंधित लेखापरीक्षक की कोई टिप्पणी नहीं है	लागू नहीं

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देश संबंधी कंपनी के दर्शन पर संक्षिप्त विवरण

1.1 कंपनी कॉर्पोरेट शासन पर अधिक बल देती है। कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि उत्तम कॉर्पोरेट शासन की नीतियाँ एवं व्यवहार वह बुनियाद होते हैं जिन पर कॉर्पोरेट संस्था का निर्माण होता है और इसकी नीतियाँ एवं योजनाएँ कॉर्पोरेट संस्था की सफलता का मार्ग प्रशस्त करती हैं।

2. निदेशकमंडल

2.1. मंडल सदस्यों की संरचना और विवरण:

2.1.1. एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मंडल के सदस्यगण अच्छा कॉर्पोरेट शासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंडल में पर्याप्त संख्या में कार्यपालक और ग़ैर-कार्यपालक सदस्य शामिल हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मंडल में दो महिला निदेशक थी। निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मंडल की संरचना निम्नवत् हैं:

(क) प्रकार्यात्मक/पूर्णकालिक निदेशकगण:

(i) श्री संजय कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त)

(ख) अंशकालिक पदाधिकारी/सरकार नामित निदेशकगण:

(i) डॉ. एम सुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव (ई.पी एवं एल), अंतरिक्ष विभाग (19.03. 2025 तक)

(ii) श्रीमती दीप्ति आदित्य कनाडे, संयुक्त सचिव (वित्त), अंतरिक्ष विभाग (28.10.2024 से)

(ग) अंशकालिक ग़ैर-सरकारी/स्वतंत्र निदेशकगण:

(i) डॉ. अजीत टी कलघाटगी, पूर्व-निदेशक (आर एवं डी), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलूरु

(ii) श्री कमल बाली, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, वॉल्वो ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(घ) अंशकालिक ग़ैर-सरकारी/नामित निदेशकगण:

(i) श्री शांतनु भाटवडेकर, वैज्ञानिक सचिव, इसरो मुख्यालय (31.12.2024 तक)

(ii) श्री एम. मोहन, निदेशक, द्रनोप्रकें, वलियमला

(iii) श्रीमती निगार शाजी, परियोजना निदेशक, यूआरएससी, इसरो (28.10.2024 से)

2.1.2. कंपनी के वर्तमान संस्था विधान भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा सभी निदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान प्रदान करते हैं। नियुक्त निदेशकगण अपने-अपने कार्यक्षेत्र की नामी-गिरामी हस्तियाँ हैं। कंपनी के इन निदेशकों में कोई भी दस से अधिक समितियों के सदस्य नहीं रहे थे या वर्ष के दौरान, सभी सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों की पाँच समितियों के अध्यक्ष पद को सुशोभित नहीं किया है जिनमें वे निदेशक रहे/रही हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी के किसी स्वतंत्र निदेशक ने सात से अधिक कंपनी में निदेशक का पदभार ग्रहण नहीं किया।

2.1.3. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं प्रकार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा होती है, पहले 5 वर्ष के लिए या अधिवर्षिता की आयु तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो। उसके बाद सेवा-विस्तार काबीना की नियुक्ति समिति(एसीसी) की स्वीकृति से होती है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति एसीसी द्वारा की जाती है, पहले 3 वर्षों के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो। इस बाबत कोई सेवा-विस्तार या पुनर्नियुक्ति भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुरूप होती है।

3. मंडल की बैठक एवं उनमें उपस्थिति:

3.1. प्रतिवेदन के अंतर्गत वित्त वर्ष के दौरान मंडल के सदस्यगण चार (4) बार बैठक में भाग ले चुके हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान, सभी मंडलीय बैठकों में निदेशकगण की औसत उपस्थिति 85% रही। इन बैठकों की तिथि और निदेशकगण की उपस्थिति निम्नवत् हैं:

क्र.सं.	बैठकों की सं.	बैठकों की तिथि	मंडलीय सदस्यों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
1.	138	21.06.2024	6	5
2.	139	23.09.2024	6	6
3.	140	24.12.2024	8	6
4.	141	05.03.2025	7	6

अनुलग्नक I (क) में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति संलग्न है।

3.2. मंडल के सभी सदस्यों ने मंडल में उनकी नियुक्ति के समय या नियुक्ति के बाद अपने मालिकाना, साझेदारी या किसी कंपनी में अपने वैयक्तिक, आधिकरिक और अन्य मौद्रिक संबंधों, चाहे वे निजी हों या अपने सगे-संबंधियों से जुड़ी हों, की जानकारी मंडल को दे रखी है। ऐसे प्रकटीकरण की पुनरुक्ति प्रति वर्ष की जाती है। मंडलीय बैठक में किए गए ऐसे प्रकटीकरण निम्नवत् प्रस्तुत हैं:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	संकाय/कॉर्पोरेट जिनसे निदेशक संबंध रखते हैं	संबंधों की प्रकृति
1.	श्री संजय कुमार अग्रवाल	शून्य	-
2.	डॉ. एम. सुब्रमण्यम (19.3.2025 तक)	न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड	नामित निदेशक
3.	श्री शांतनु भाटवडेकर (31.12.2024 तक)	शून्य	-
4.	श्री एम. मोहन	शून्य	-
5.	डॉ. अजीत टी कलघटगी	1. एवेन्टेल लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक
		2. आई आईटीएफ एनआइएफ (आइआइटी तिरुपति नवाविष्कार-1 हब फाउंडेशन)	स्वतंत्र निदेशक
6.	श्री कमल बाली	1. वॉल्वो ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
		2. वॉल्वो वित्तीय सेवा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक
		3. भारत में स्वीडिश वाणिज्यिक प्रकोष्ठ	निदेशक
		4. ज़ेवियर प्रबंधन संस्थान (एक्स आईएमबी)	निदेशक
		5. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आईटी), गाँधीनगर	शासन समिति
		6. कर्नाटक निवेश मंच का बोर्ड, कर्नाटक सरकार	निदेशक
		7. ज़ेवियर एमलियॉन वैश्विक व्यवसाय विद्यालय	निदेशक

3.3. प्रतिवेदन के अंतर्गत वित्त वर्ष के दौरान निदेशकों के बीच तीन प्रस्ताव परिचालित किए गए।

4. आम बैठक:

4.1. पिछले 3 वर्षों में कंपनी की वार्षिक आम बैठकों के विवरण निम्नवत् हैं:

एजीएम की सं.	वित्तीय वर्ष	बैठकों की तिथि	बैठक का स्थान
30	2021-22	26-09-2022	मेसर्स एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय, अंतरिक्ष भवन परिसर, न्यू बी.ई.एल रोड, बेंगलूरु – 560 094.
31	2022-23	22-09-2023	
32	2023-24	23-09-2024	

अनुलग्नक । (क) में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति संलग्न है।

4.2. प्रतिवेदन के अंतर्गत वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने "डाक मतपत्र" के ज़रिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है।

5. मंडलीय समितियाँ, उनकी सीमाएँ एवं उनकी बैठकें:

5.1. 31 मार्च, 2025 तक एन्ट्रिक्स की चार (4) निम्नलिखित समितियाँ हैं:

5.2. लेखापरीक्षण समिति (ए.सी):

5.2.1. प्रशासकीय मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2013 में कंपनी के निदेशक-मंडल द्वारा मौलिक लेखापरीक्षण समिति का गठन हुआ। बाद में, सार्वजनिक उद्यम विभाग(डी.पी.ई), भारी उद्योग मंत्रालय एवं सार्वजनिक उपक्रम, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप यह कार्य करता रहा है।

5.2.2. लेखापरीक्षण समिति, कंपनी अधिनियम, 2013; समय-समय पर यथा संशोधित डी.पी.ई. दिशानिर्देशों के अंतर्गत लागू प्रावधानों में उल्लिखित संदर्भ-शर्तों का अनुपालन करती है।

5.2.3. लेखापरीक्षण समिति, फिलहाल, तीन (3) सदस्यों यानी मंडल के दो (2) स्वतंत्र निदेशकों एवं एक (1) नामित निदेशक के साथ काम कर रही है। सांविधिक लेखापरीक्षक, निदेशक (वित्त) बैठक में स्थायी तौर पर आमंत्रित किए जाते हैं। लेखापरीक्षण समिति के सभी सदस्यगण, विशेषकर अध्यक्ष के पास लेखाविधि का अच्छा ज्ञान और वित्तीय मामलों में विशेषज्ञता है। कंपनी की आंतरिक/सांविधिक लेखापरीक्षण करने वाली बाहरी लेखापरीक्षक प्रतिष्ठान के प्रतिनिधियों के साथ समिति नियमित रूप से संपर्करत रहती है और वित्त संबंधी मामलों का हिसाब-किताब रखती है।

5.2.4. प्रतिवेदन के अंतर्गत वित्त वर्ष के दौरान गठित लेखापरीक्षण समिति का विवरण निम्नवत् है:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	पद	नियुक्ति की तिथि या समिति में परिवर्तन
1.	श्री कमल बाली	अध्यक्ष	02 अगस्त 2019 से
2.	डॉ. अजीत टी कलघटगी	सदस्य	02 अगस्त 2019 से
3.	श्री एम. मोहन	सदस्य	15 फरवरी 2023 से

समिति के सचिव की भूमिका कंपनी सचिव निभाते हैं।

5.2.5. लेखापरीक्षण समिति की बैठक में उपस्थिति की कार्यवाह संख्या दो सदस्यों की या लेखापरीक्षण समिति के सदस्यों की एक तिहाई की, जो भी बड़ी हो, होती है। किसी वित्त वर्ष के दौरान लेखापरीक्षण समिति की बैठक कम-से-कम चार (4) बार आहूत होनी चाहिए और दो बैठकों के बीच समयांतर 120 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए।

5.2.6. लेखापरीक्षण समिति के अध्यक्ष और/या अन्य स्वतंत्र ग़ैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक जो लेखापरीक्षण समिति के सदस्य भी हैं, को डी.पी.ई के दिशानिर्देश एवं इण्ड ए.एस 24 के अंतर्गत यथा विचारित संबंधित पक्ष अंतरण हेतु पूर्व स्वीकृति के लिए उत्तरदायी व्यक्ति(यों) के रूप में पदनामित किए गए हैं।

5.2.7. प्रतिवेदन के अंतर्गत वित्त वर्ष के दौरान लेखापरीक्षण समिति की चार (4) बैठकें आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष के दौरान लेखापरीक्षण समिति की सभी बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति 75% रही है। ऐसी बैठकों की आयोजन तिथि और उनमें उपस्थित निदेशकों/सदस्यों के विवरण निम्नवत् हैं:

क्र.सं	बैठकों की सं.	तिथि	समिति के सदस्यों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
1.	27	21.06.2024	3	3
2.	28	22.08.2024	3	2
3.	29	19.12.2024	3	2
4.	30	05.03.2025	3	2

अनुलग्नक I (ख) में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति संलग्न है।

5.3. **नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एन.आर.सी)**:

5.3.1. कार्यपालकों और कार्मिकों के लिए परिवर्तनीय वेतन के वितरण हेतु नियम प्रतिपादित कर निर्णय करने के लिए दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 को निदेशकमंडल द्वारा मौलिक रूप से इस समिति का गठन किया गया।

5.3.2. प्रतिवेदन के अंतर्गत वर्ष के दौरान गठित पारिश्रमिक समिति का विवरण निम्नवत् है:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	पद	नियुक्ति की तिथि या समिति में परिवर्तन
1.	डॉ. अजीत टी कलघटगी	सदस्य अध्यक्ष	02 अगस्त 2019 से 15 फरवरी 2023 से
2.	श्री कमल बाली	सदस्य	29 नवम्बर 2019 से
3.	श्री एम. मोहन	सदस्य	15 फरवरी 2023 से

समिति के सचिव की भूमिका कंपनी सचिव निभाते हैं।

5.3.3. प्रतिवेदन के अंतर्गत वर्ष के दौरान पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

5.4. **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन विकास समिति (सी.एस,आर एवं एस.डी):**

5.4.1. अप्रैल 2010 के दौरान, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए, मंडल द्वारा “कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन विकास समिति” नामक एक समिति का गठन किया गया। एन्ट्रिक्स की सी.एस.आर नीति के अनुरूप सी.एस.आर. क्रियाकलाप संचालित किए जाते हैं।

5.4.2. प्रतिवेदन के अंतर्गत वर्ष के दौरान गठित सी.एस.आर एवं एस.डी समिति का विवरण निम्नवत् है:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	पद	नियुक्ति की तिथि या समिति में परिवर्तन
1.	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	अध्यक्ष	02 अगस्त 2019 से
2.	श्री संजय कुमार अग्रवाल	सदस्य	02 अगस्त 2019 से
3.	श्री कमल बाली	सदस्य	15 फरवरी 2023 से

समिति के सचिव की भूमिका कंपनी सचिव निभाते हैं।

5.4.3. वर्ष 2024-25 के दौरान सी.एस.आर एवं एस.डी समिति की चार(4) बैठकें आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष के दौरान लेखापरीक्षण समिति की सभी बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति 83% रही है। इन बैठकों के विवरण निम्नवत् हैं:

क्र.सं	बैठकों की सं.	तिथि	समिति के सदस्यों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
1.	31	11.06.2024	3	2
2.	32	22.08.2024	3	3
3.	33	19.12.2024	3	3
4.	34	05.03.2025	3	2

अनुलग्नक I (ख) में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति संलग्न है।

6. निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति

निदेशक-मंडल ने दिनांक 22.09.2023 को संपन्न बैठक में कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति में संशोधन करते हुए एक मंडल-स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया। उक्त समिति में अधोलिखित सदयों को शामिल करते हुए इसे पुनर्गठित किया गया:

(i) डॉ. अजीत टी कलघटगी, स्वतंत्र निदेशक एवं समिति-अध्यक्ष

(ii) श्रीमती दीप्ति आदित्य कनाडे, नामित निदेशक, सदस्य (24.12.2024 से)

(iii) श्री एम. मोहन, नामित निदेशक, सदस्य

(iv) श्री संजय कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)/सीएमडी, सदस्य

वर्ष के दौरान इस समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं। वित्त वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की सभी बैठकों में निदेशकों की औसत उपस्थिति 90% रही। इनके विवरण निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं	बैठकों की सं.	तिथि	समिति के सदस्यों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
1.	1	23.09.2024	3	3
2.	2	19.12.2024	3	2
3.	3	05.03.2024	4	4

अनुलग्नक I (ग) में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति संलग्न है।

7. कंपनी अधिनियम, 2013, के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की बैठक अलग से दिनांक 26.03.20 25 को आयोजित हुई थी जिसमें दोनों स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति रही।

8. व्यवसाय आचार संहिता एवं निदेशकों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए नैतिकता:

8.1. कॉर्पोरेट शासन से संबंधित दिशानिर्देश बनाते समय अप्रैल 2010 में सार्वजनिक उद्यम विभाग ने व्यवसाय आचार संहिता एवं नैतिकता का पुनरीक्षण किया। इस संहिता को एन्ट्रिक्स द्वारा अपने निदेशकों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए अपनाया गया।

8.2. प्रतिवेदन के अंतर्गत वर्ष के दौरान निदेशकों ने आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि करते हुए घोषणाएँ प्रस्तुत की थीं।

8.3. ऐसे अनुपालन हेतु कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा जारी की गई ऐसी घोषणा निम्नवत् है:

9. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा जारी की गई घोषणा:

एतद् द्वारा यह घोषणा की जाती है कि 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए मंडल के सभी सदस्यों ने "एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशकों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए व्यवसाय आचार संहिता एवं नैतिकता" के अनुपालन की पुष्टि की है।

10. मंडल के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण:

एन्ट्रिक्स के मंडल के सदस्यगण वरिष्ठ कार्यपालक हैं जिनके पास शिक्षा, उद्योग, प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन एवं प्रशासन के विस्तृत और विविध अनुभव हैं। एन्ट्रिक्स उनकी दूरदर्शिता और उनके ज्ञान से लाभान्वित हुई है। मंडल में शामिल किए जाने के बाद कंपनी के निष्पादन, व्यवसाय के प्रारूप, कॉर्पोरेट की योजना एवं भविष्य के दृष्टिकोण से उन्हें प्रस्तुति के माध्यम से अवगत कराया जाता है। इसके अलावा, मंडल/ समिति/अन्य बैठकों के दौरान व्यवसाय से संबंधित मामलों पर वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक/ पेशेवर व्यक्तियों/सलाहकारों द्वारा विस्तृत प्रस्तुति दी जाती है। प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के लिए निदेशकों को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान करने और उनमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मंडल ने निदेशकों के प्रशिक्षण हेतु एक नीति भी अपनाई है।

11. प्रकटीकरण:

(i) वर्ष के दौरान, निदेशकों या वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों या उनके परिजनों के साथ कंपनी के विद्यमान नियमों के अनुरूप वेतन, शुल्क, लागू अधिक लाभ के सिवाय किसी भी प्रकार की सामग्री और

विशिष्ट प्रकृति के सामानों की लेन-देन नहीं हुई थी जिसकारण कंपनी के हित के साथ कोई भारी खिलवाड़ हुआ हो या कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 188 के प्रावधानों को लागू करने की आवश्यकता महसूस हुई हो।

(ii) कंपनी के लिए लागू होने वाले सभी कॉर्पोरेट कानून, नियम एवं विनियम के अनुपालन से संबंधित स्थिति की रिपोर्ट मंडल के समक्ष सूचना एवं समीक्षा के लिए प्रस्तुत की जाती है।

(iii) वर्ष के दौरान, सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों से संबंधित किसी भी मामले पर किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई शास्ति या अधिक्षेप नहीं डाले गए थे।

(iv) एक औपचारिक सूचना प्रदाता नीति लागू की गई है। वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत लेखापरीक्षण समिति के सदस्यों या इसके अध्यक्ष के पास जाने से किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं गया है।

(v) कंपनी में लागू विद्यमान मान्य नियमों के सिवाय वित्तीय विवरणी में कोई भी व्यय-मद शामिल नहीं किया गया जो मंडल के किसी सदस्य या कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत हो।

(vi) पिछले वर्ष के 11.76% की तुलना में इस वर्ष के प्रशासनिक और कार्यालय व्यय 32.40% रहे हैं। वर्ष के दौरान व्यय में बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण कंपनी के विरुद्ध विभिन्न विधिक कार्यवाही में प्रदत्त विधिक शुल्क रहा है| मंडल के सदस्यों या कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यय में कोई अपव्यय नहीं पाया गया है।

(vii) वित्तीय विवरणी में कोई भी व्यय-मद शामिल नहीं किया गया जो व्यवसाय के लिए नहीं किया गया हो। वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धता नहीं हुए हैं जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई हो।

(viii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस. यू) के संचालन संबंधी केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति जी के सभी निर्देशों का अनुपालन कंपनी ने किया है।

12. प्रमाणपत्र

सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए लागू कॉर्पोरेट शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन के बारे में वास्तविक रिपोर्ट प्रशासनिक मंत्रालय (अंतरिक्ष विभाग) को प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से प्रस्तुत की जाती है।

13. संचार:

कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाने से पहले इसकी वेबसाइट: www.antrix.co.in पर प्रस्तुत की जाती है। कंपनी की वेबसाइट पर सभी आधिकारिक सूचनाएँ भी प्रदर्शित की जाती हैं।

14. जोख़िम प्रबंधन नीति:

कंपनी में मंडल द्वारा स्वीकृत जोख़िम प्रबंधन नीति है जिसकी विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

15. लेखापरीक्षण योग्यता:

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट हेतु प्रबंधन के उत्तर संलग्न है।

अनुलग्नक – I (क)

वर्ष के दौरान आयोजित बैठक एवं उनमें निदेशकों की उपस्थिति के विवरण:

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	मंडल		वर्ष के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
		बैठकों की कुल सं. जिनमें शामिल होना आवश्यक था	बैठकों की सं. जिनमें शामिल हुए	
1	श्री संजय कुमार अग्रवाल	4	4	हाँ
2	श्री एम सुब्रमण्यम	4	4	हाँ
3	श्रीमती दीप्ति आदित्य कनाडे	2	2	लागू नहीं
4	श्री शांतनु भाटवडेकर	3	1	हाँ
5	श्री एम मोहन	4	**3**	हाँ
6	श्रीमती निगार शाजी	2	2	लागू नहीं
7	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	4	4	हाँ
8	श्री कमल बाली	4	3	हाँ

लागू नहीं : उक्त तिथि में वार्षिक आम बैठक के मंडल के सदस्य नहीं

अनुलग्नक – I (ख)

वर्ष के दौरान मंडल समितियों की आयोजित बैठक एवं उनमें निदेशकों की उपस्थिति के विवरण:

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति		लेखापरीक्षण समिति	
		बैठकों की कुल सं. जिनमें शामिल होना आवश्यक था	बैठकों की सं जिनमें शामिल हुए	बैठकों की कुल सं. जिनमें शामिल होना आवश्यक था	बैठकों की सं. जिनमें शामिल हुए
1.	श्री संजय कुमार अग्रवाल	4	4	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	श्री एम मोहन	लागू नहीं	लागू नहीं	4	2
3.	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	4	4	4	4
4.	श्री कमल बाली	4	2	4	3

लागू नहीं : समिति के सदस्य नहीं

अनुलग्नक – I (ग)

वर्ष के दौरान मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति की आयोजित बैठक एवं उनमें निदेशकों की उपस्थिति के विवरण:

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	बैठकों की कुल सं. जिनमें शामिल होना आवश्यक था	बैठकों की सं. जिनमें शामिल हुए
1.	श्री संजय कुमार अग्रवाल	3	3
2.	श्रीमती दीप्ति आदित्य कनाडे	1	1
3.	श्री एम मोहन	3	2
4.	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	3	3

वर्ष 2024-25 के लिए सी.एस.आर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सी.एस.आर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसीएल) अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की पहल से सामाजिक हित में सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण संबंधी मुद्दों के समाधान को शामिल कर समेकित विकास में विश्वास रखता है। कंपनी की सी.एस.आर नीति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

(i) कंपनी के बुनियादी मूल्यों के साथ सी.एस.आर एवं दीर्घकालिकता के दर्शन को समेकित करना।

(ii) मंडल द्वारा यथास्वीकृत सी.एस.आर एवं दीर्घकालिक विकास से संबंधित गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रक्रिया की स्थापना करना।

(iii) वार्षिक रिपोर्ट में वार्षिक आधार पर सी.एस.आर एवं दीर्घकालिक विकास से संबंधित गतिविधियों को प्रतिवेदित करना।

(iv) पारदर्शी और सामाजिक सरोकार से संबंधित तरीके से सी.एस.आर एवं दीर्घकालिक विकास से संबंधित गतिविधियों को कार्यान्वित करना ताकि अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

(v) गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जागरुकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से संगठन में सी.एस.आर एवं दीर्घकालिक विकास की भावनाओं को समाहित करना।

2. सी.एस.आर समिति का गठन:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशकत्व के प्रकार	वर्ष के दौरान सी.एस.आर समिति की बैठकों के आयोजन की संख्या	वर्ष के दौरान सी.एस.आर समिति की बैठकों की संख्या जिसमें शामिल हुए
क	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	अध्यक्ष/ स्वतंत्र निदेशक	4	4
ख	श्री संजय कुमार अग्रवाल	सदस्य/ प्रकार्यात्मक निदेशक	4	4
ग	श्री कमल बाली	सदस्य/ स्वतंत्र निदेशक	4	2

3. वे वेबलिंक प्रदान करें जहाँ कंपनी की वेबसाइट पर सी.एस.आर समिति का गठन, सी.एस.आर नीति एवं मंडल द्वारा अनुमोदित सी.एस.आर परियोजनाएँ प्रकट की गई हैं:

(i) सी.एस.आर समिति का गठन - https://www.antrix.co.in/sites/default/files/u59/CSR%20Committee.pdf-1 pdf

(ii) सी.एस.आर नीति - https://www.antrix.co.in/sites/default/files/REVISED%20CSRSD%20Policy%20-22 09 2023 0 pdf

4. अगर लागू हो तो, कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप नियम (3) का अनुसरण करते हुए क्रियान्वित सी.एस.आर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन से संबंधित विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें (रिपोर्ट संलग्न करें)।
   विगत तीन वित्त वर्षों में, अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) का अनुसरण करते हुए कंपनी के पास दस करोड़ रुपये या अधिक के औसतन सी.एस.आर दायित्व नहीं थे इसलिए सी.एस.आर परियोजनाओं का प्रभाव आकलन नहीं किया गया था।

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप नियम (3) का अनुसरण करते हुए व्यय हेतु उपलब्ध राशि एवं वित्त वर्ष के लिए व्यय हेतु अपेक्षित राशि, अगर कोई हो, तो उसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें।

क्र.सं.	वित्त वर्ष	विगत वित्त वर्ष से व्यय हेतु उपलब्ध राशि (₹ लाख में)	वित्त वर्ष के लिए व्यय हेतु अपेक्षित राशि, अगर कोई हो, (₹ लाख में)
1	2024-25	0.35	0.35

6. धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ - ₹ 6527.84 लाख

   (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत - ₹ 130.56 लाख

   (ख) विगत वर्षों के सी.एस.आर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या क्रियाकलापों के बावजूद बची हुई राशि - ₹ 6.07 लाख

   (ग) वित्त वर्ष के लिए व्यय हेतु अपेक्षित राशि, अगर कोई हो - ₹ 0.35 लाख

   (घ) वित्त वर्ष के लिए कुल सी.एस.आर दायित्व (7क+7ख+7ग) - ₹ 136.28 लाख

7. **(क) वित्त वर्ष के लिए व्यय की गई या व्यय नहीं की गई सी.एस.आर.राशि का ब्योरा:**

वित्त वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (₹ लाख में)	व्यय नहीं की गई राशि (₹ लाख में)				
	धारा 135(6) के अनुसार व्यय नहीं की गई सी.एस. आर लेखा में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के द्वितीय प्रावधानों के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत वर्णित किसी भी निधि में अंतरित कुल राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
140.41	-	-	-	-	-

   (ख) वित्त वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं हेतु व्यय की गई सी.एस.आर राशि का ब्योरा (अनुलग्नक -1) - ₹ 97.47 लाख

   (ग) वित्त वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा व्यय की गई सी.एस.आर राशि का ब्योरा (अनुलग्नक -2) - ₹ 42.94 लाख

   (घ) प्रशासनिक मद हेतु व्यय की गई राशि - शून्य

   (ङ) प्रभाव आकलन, यदि लागू हो, हेतु व्यय की गई राशि - शून्य

   (च) वित्त वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (7ख+7ग) - ₹ 140.41 लाख

(छ) व्यय हेतु अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो - ₹ 4.13 लाख

क्र.सं.	विवरण	राशि (₹ लाख में)
i.	धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	130.56
ii.	वित्त वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	140.41
iii.	वित्त वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	(9.85)
iv.	विगत वर्षों के सी.एस.आर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या क्रियाकलापों के बावजूद बची हुई राशि, यदि कोई हो	5.72
v.	आगामी वित्त वर्षों में व्यय के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	4.13

8. (क) विगत तीन वित्त वर्षों के लिए व्यय नहीं की गई सी.एस.आर राशि का ब्योरा:

क्र. सं.	विगत वित्त वर्ष	धारा 135(6) के अनुसार व्यय नहीं की गई सी.एस.आर लेखा में अंतरित राशि (₹ लाख में)	रिपोर्टिंग वित्त वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत वर्णित किसी भी निधि में अंतरित कुल राशि, यदि कोई हो			आगामी वित्त वर्षों में व्यय के लिए बची राशि (₹ लाख में)
				निधि का नाम	राशि (₹ लाख में)	अंतरण की तिथि	
1	2021-22	-	574.86	-	-	-	(-) 0.08
2	2022-23	-	324.79	-	-	-	(-) 28.63
3	2023-24	-	118.21	-	-	-	(-) 0.35
	कुल		**1,017.86**				

(ख) इस वित्त वर्ष में विगत वित्त वर्ष (वर्षों) के लिए जारी परियोजनाओं हेतु व्यय की गई सी.एस.आर राशि का ब्योरा - **शून्य**

9. पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन या प्रापण के मामले में, वित्त वर्ष में व्यय की गई सी.एस.आर राशि से सृजित या प्राप्त परिसम्पत्ति का ब्योरा - **अनुलग्नक-3**

10. धारा 135 (5) के अनुसार अगर कंपनी ने अपने औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय नहीं कर पाई है तो उसके कारणों का उल्लेख करें - **लागू नहीं**

हस्ता /-

(संजय कुमार अग्रवाल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)/
निदेशक (वित्त)
डी.आई.एन : 08200144

हस्ता /-

(डॉ. अजीत कलघटगी)
(अध्यक्ष, सी.एस.आर समिति)
डी.आई.एन : 05300252

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए चालू परियोजनाओं पर व्यय की गई सी.एस.आर राशि का विवरण

₹ लाख में
अनुलग्नक-1

क्र.सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित राशि (₹. में)	वर्तमान वित्त वर्ष में व्यय की गई राशि (₹. में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना में व्यय नहीं की गई सी.एस.आर लेखा में अंतरित राशि (₹. में)	कार्यान्वयन का माध्यम- प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का माध्यम- कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा	
				राज्य	जिला						नाम	सी.एस.आर पंजीकरण संख्या
1	चिकमगलूरु ज़िला, कर्नाटका स्थित ज़िला क्षयरोग केंद्रों के लिए चिकित्सीय उपकरण	(i) भूख, निर्धनता एवं कुपोषण उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना स्वच्छता के प्रसार के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष हेतु योगदान सहित] एवं स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराया जाना;	हाँ	कर्नाटका	चिकमगलूर	7 महीने	25.00	25.00	-	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
2	चित्रदुर्गा ज़िला, कर्नाटका स्थित ज़िला क्षयरोग केंद्रों के लिए चिकित्सीय उपकरण		हाँ	कर्नाटका	चित्रदुर्गा	7 महीने	20.43	20.43	-	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
3	एसएएनआइ-प्रेन्युर-4के एनएम जे धारा-प्रवाह मशीन के साथ युक्त टाटा एस गोल्ड पेट्रोल सीक्स वाणिज्यिक वाहन		हाँ	कर्नाटका	तुमकूरु	4 महीने	14.96	14.96	-	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
4	बेंगलूरु, मांड्या, शिवमोगा, बल्लारी एवं बागलकोटे, कर्नाटका स्थित सरकारी अस्पतालों के सामुदायिक शौचालय परिसरों के लिए 500 लीटर सौर जल उष्मक		हाँ	कर्नाटका	बेंगलूरु, मांड्या, शिवमोगा, बल्लारी एवं बागलकोटे	5 महीने	7.08	7.08	-	नहीं	सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, बेंगलूरु	
5	कर्नाटका पब्लिक स्कूल में 2 प्रतिनग डिजिटल स्मार्ट कक्षा एवं गणित विज्ञान प्रयोगशाला	(ii) विशेष शिक्षा सहित ख़ास तौर पर बच्चे, महिलाओं, बुज़ुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए रोज़गारोन्मुखी व्यावसायिक कौशल के विकास और आजीविका - अभिवृद्धि परियोजनाएँ वाली शिक्षा को बढ़ावा देना	हाँ	कर्नाटका	यादगीर	7 महीने	20.00	20.00	-	नहीं	स्टेम ज्ञानार्जन प्रा.लि.	
6	कर्नाटका पब्लिक स्कूल में 1 प्रतिनग डिजिटल स्मार्ट कक्षा एवं गणित विज्ञान प्रयोगशाला		हाँ	कर्नाटका	रायचूर	7 महीने	10.00	10.00		नहीं	स्टेम ज्ञानार्जन प्रा.लि.	
					कुल		**97.47**	**97.47**				

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए चालू परियोजनाओं से इतर पर व्यय की गई सी.एस.आर राशि का विवरण

₹ लाख में

अनुलग्नक-2

क्र.सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना हेतु व्यय की गई राशि (₹. में)	कार्यान्वयन का माध्यम-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का माध्यम-कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा	
				राज्य	जिला			नाम	सी.एस.आर पंजीकरण संख्या
1	रायचूर आयुर्विज्ञान संस्थान, कर्नाटका हेतु चिकित्सीय उपकरण	(i) भूख, निर्धनता एवं कुपोषण उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना [स्वच्छता के प्रसार के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष हेतु योगदान सहित] एवं स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराया जाना;	हाँ	कर्नाटका	रायचूर	24.98	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
2	बीदर आयुर्विज्ञान संस्थान, कर्नाटका हेतु चिकित्सीय उपकरण		हाँ	कर्नाटका	बीदर	24.99	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
3	गदग आयुर्विज्ञान संस्थान, कर्नाटका हेतु चिकित्सीय उपकरण		हाँ	कर्नाटका	गदग	(1.15)	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
4	किदवई स्मारक अर्बुद अध्ययन चिकित्साशास्त्र संस्थान हेतु चिकित्सीय उपकरण		हाँ	कर्नाटका	बेंगलूरु	(5.88)	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
					कुल	**42.94**			

वित्तीय वर्ष 2024-25 में सी.एस.आर व्यय के माध्यम से सृजित या अर्जित परिसंपत्तियों के विवरण

₹ लाख में

अनुलग्नक -3

क्र.सं.	(क) पूँजीगत परिसंपत्ति (ओं) के सृजन या अर्जन की तिथि	(ख) पूँजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अर्जन के लिए व्यय की गई सी.एस.आर राशि	(ग) उस संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि।	(घ) सृजित या अर्जित पूँजीगत परिसंपत्ति (ओं) का विवरण प्रदान करें (पूँजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)
1	28-12-2024	24,97,600	रायचूर आयुर्विज्ञान संस्थान ; पता: राजेंद्र गंज, रायचूर, कर्नाटका 584102	ग्रीवा कैंसर की जाँच के लिए कॉल्पोस्कोप -[सं.-1]; विद्युत द्रवचालित शल्यचिकित्सा मेज़ -[सं.-2]
2	28-12-2024	24,98,450	बीदर आयुर्विज्ञान संस्थान ; पता: उदगीर रोड,नवाड़गेरी, बीदर, कर्नाटका 585401	नेत्र चिकित्सा सूक्ष्मदर्शी -[सं.-1] ; विद्युत द्रवचालित शल्यचिकित्सा मेज़ -[सं.-2]

रायचूर आयुर्विज्ञान संस्थान, रायचूर के लिए एन्ट्रिक्स प्रवर्तित चिकित्सीय उपकरण जैसे ग्रीवा कैंसर की जाँच हेतु कॉल्पोस्कोप – सं-1 एवं विद्‌युत द्रवचालित शल्यचिकित्सा मेज- सं-2 का प्रायोजन |

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, राजेश्वर, बीदर के लिए एन्ट्रिक्स प्रवर्तित चिकित्सीय उपकरण

बीदर आयुर्विज्ञान संस्थान, बीदर के लिए एन्ट्रिक्स प्रवर्तित चिकित्सीय उपकरण जैसे - नेत्र सूक्ष्मदर्शी - सं-1 एवं विद्युत द्रवचालित शल्यचिकित्सा मेज- सं-2 का प्रायोजन

किदवई स्मारक अर्बुद संस्थान, कलबुर्गी के लिए एन्ट्रिक्स प्रवर्तित चिकित्सीय उपकरण

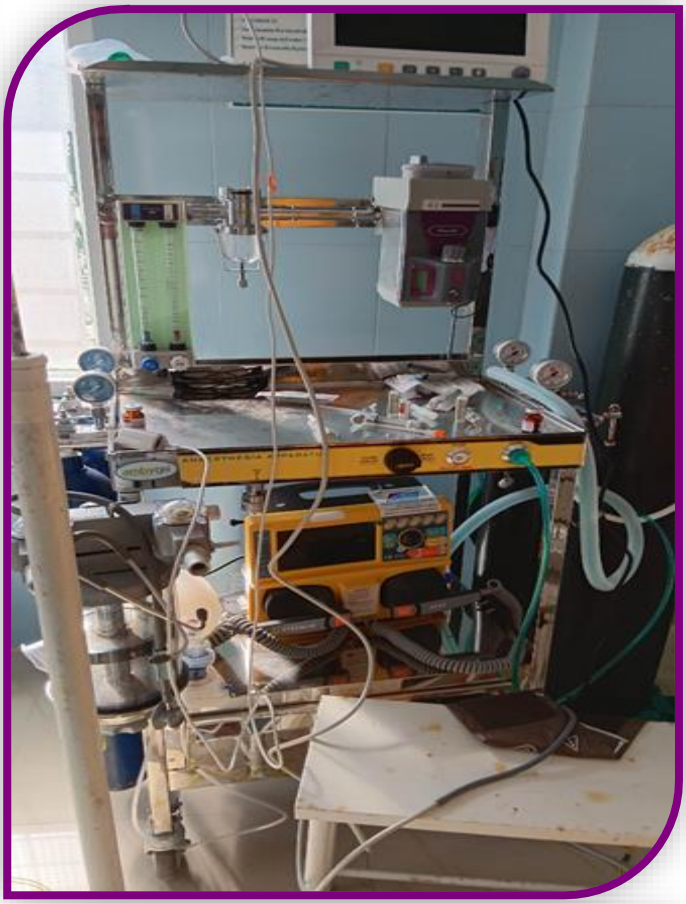

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चित्तगुप्पा, बीदर के लिए एन्ट्रिक्स प्रवर्तित चिकित्सीय उपकरण

गुलबर्गा आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर, कलबुर्गी में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सुलभ सामुदायिक शौचालय के ऊपर एन्ट्रिक्स द्वारा वित्तपोषित 500 लीटर क्षमता वाला सौर जल उष्मक

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, मेसर्स एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यगण

वित्तीय विवरणी के लेखापरीक्षण पर रिपोर्ट

मत

हमने मेसर्स एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न स्व-पर्याप्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक की तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकद प्रवाह विवरण और समाप्त वर्ष के लिए एक्विटी में परिवर्तन का विवरण, और भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखाविधि नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

हमारे विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जैसा कि संशोधित ("भारतीय लेखा मानक") और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखाविधि सिद्धांतों में बताया गया है, 31 मार्च 2025 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और अन्य व्यापक आय सहित इसका लाभ, इसके नकदी प्रवाह और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए एक्विटी में बदलाव परिलक्षित करती है।

मत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत उल्लिखित लेखापरीक्षण मानक (ए.एस) के अनुरूप लेखापरीक्षण किया है। उन मानकों के अंतर्गत इण्ड ए.एस वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड के अंतर्गत अपने उत्तरदायित्व का वर्णन आगे प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में किया गया है। भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक-संहिता के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 एवं इसमें शामिल प्रावधानों के अनुरूप हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और इन आवश्यकताओं एवं नैतिक-संहिता के अनुरूप हमने अपना नैतिक दायित्व निभाया है।

हमें विश्वास है कि लेखापरीक्षण से संबंधित साक्ष्य जो हमने प्राप्त किया है वह इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी के बारे में अपने लेखापरीक्षण-मंतव्य को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

तथ्यात्मक महत्ता

हम वित्तीय विवरणी में शामिल निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

क) इण्ड ए.एस के वित्तीय विवरणों में नोट 45 देवास मल्टी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ दायर कानूनी मामले में हुई प्रगति के संदर्भ में है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में दर्शाई गई राशि शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए) है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 29 अगस्त, 2022 के अपने आदेश के तहत इस दावे को रद्द कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्रमशः 3 जुलाई, 2023 और 6 अक्टूबर, 2023 के अपने आदेशों के माध्यम

से माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली (एकल पीठ के आदेश) की वैधता की पुष्टि की है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में निर्णय को अंतिम रूप से रद्द कर दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के विरुद्ध देवास कर्मचारी कोष यूएस एलएलसी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका ख़ारिज़ कर दी गई है। हालाँकि. देवास/देवास के निवेशक/डीएमएआइ, ने विवाचन परिनिर्णय को एन्ट्रिक्स के विरुद्ध निर्णय में बदल दिया है और जिसे विभिन्न विदेशी न्यायालयों/न्यायपालिकाओं जैसे फ्रांस सर्वोच्च न्यायालय, लंदन (यूके) के महारानी वाणिज्यिक न्यायालय खंडपीठ के न्याय उच्च न्यायालय एवं हेग ज़िला न्यायालय, नीदरलैंड ने बरक़रार रखा है।

विदेशी न्यायालयों में देवास/देवास के निवेशकों/डीएमएआइ द्वारा दायर मामलों से एन्ट्रिक्स के विरुद्ध विवाचन अर्थदंड के प्रभावकारी दबाव के कारण संभाव्य देयताओं में वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, इस अनिश्चितता और जारी अपीलीय प्रक्रियाओं के परिणामों पर निर्भरता से कंपनी की वित्तीय स्थिति पर भरपूर प्रभाव पड़ सकता है।

ख) नोट संख्या 48 एवं 49 - ग्राहकों/विक्रेताओं से बाक़ी बची शेष राशि नहीं प्राप्त होने की पुष्टि एवं लंबित मिलान के कारण लाभ तथा हानि विवरण पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव से संबंधित है।

ग) नोट सं. 42(i)(क)(i) - लंबित कर विवादों के अंतर्गत दावों से संबंधित) एवं ग़ैर-शामिल व्यापक ब्याज से संबंधित नोट सं. 50 तथा नोट सं. 42(i)(क)(i) के अंतर्गत कर माँग पर शास्ति से संबंधित है।

घ) नोट सं. 42(i)(क)(ii) – वित्तीय विवरणी का यह नोट जो कंपनी द्वारा विवादित ₹125.30 करोड़ के कतिपय सेवाकर माँग से संबंधित अनिश्चितता का वर्णन करती है। जैसा कि उक्त नोट में उल्लिखित है, इस राशि से ₹74.20 करोड़ विभिन्न काल खंड की देयताओं के रूप में मानी गई है, हालाँकि प्रबंधन इसे संभाव्य मानता है। कंपनी ने उल्लेख किया है कि यह देयता प्रतिक्रमित हो जाएगी और अंतत: कालांतर में जब निर्णय इसके पक्ष में आएगा तो इसे राजस्व के रूप में स्वीकृत किया जाएगा।

प्रमुख लेखापरीक्षण मामले

ङ) मुख्य लेखापरीक्षण मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण थे। ये मामले इण्ड ए.एस. के वित्तीय विवरणों के हमारे समग्र लेखापरीक्षण के संदर्भ में थे, और उस पर हमारी राय बनाने से संबंधित थे, और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामले को अपनी रिपोर्ट में संसूचित करने के लिए प्रमुख लेखापरीक्षण मामले के रूप में निर्धारित किया है। हमारे लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं के परिणाम, जिनमें निम्नलिखित मामले से संबंधित निष्पादित प्रक्रियाएँ शामिल हैं, संलग्न इण्ड.ए.एस. वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षण राय हेतु आधार प्रदान करते हैं।

मुख्य लेखापरीक्षण मामले का विवरण	मुख्य लेखापरीक्षण मामले को संबोधित करने के लिए लेखापरीक्षण प्रक्रियाएँ
लंबित विवाद वर्ष के अंत तक कंपनी के पास विभिन्न प्राधिकरणों के पास लंबित विवाद हैं, जिनके चलते आकस्मिकताएँ उत्पन्न होने की स्थिति में परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकते हैं। इन विवादो की स्थिति और कंपनी के प्रति दावों के रूप में मानी जाने वाली राशि, जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, को इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणों के नोट सं 42, 45 और 50 के अंतर्गत प्रकट किया गया है। वर्ष के दौरान हुए घटनाक्रमों और बाह्य कर एवं विधि विशेषज्ञों से मिले परामर्श को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर दावों को आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।	इन दावों के परिमाणीकरण और प्रकटीकरण से संबंधित हमारी लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) लंबित विवादों की पहचान करने और प्रकटीकरण की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के नियंत्रणों की प्रभावशीलता का परीक्षण करना। (ii) वर्ष के दौरान हुए घटनाक्रमों और वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए आंतरिक विधिक दल के साथ चर्चा और निदेशकमंडल तथा लेखापरीक्षण समिति की बैठकों के कार्यवृत्त की समीक्षा। (iii) वर्ष के दौरान बिना किसी घटनाक्रम से संबंधित विवादों के बारे में, चुनिंदा तौर पर सहायक दस्तावेजों की समीक्षा तथा लेखाविधि और प्रकटीकरण के आधार हेतु प्रबंधन के साथ चर्चा। (iv) वर्ष के दौरान हुए घटनाक्रमों के चलते प्रकटीकरण या दावे की राशि पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन। (v) वर्ष के अंत में हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की स्थिति में होने वाले वस्तुपरक परिवर्तनों की तिथि वर्ष के अंत के बाद की घटनाओं के प्रभाव का आकलन।

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी एवं लेखापरीक्षण विवरणी के अलावा सूचना

कंपनी के निदेशक-मंडल अन्य सूचना को तैयार करने के लिए उत्तरदायी हैं। अन्य सूचना में बोर्ड की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित किंतु इण्ड ए.एस, वित्तीय विवरणी और अपनी लेखापरीक्षण रिपोर्ट रहित व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट शामिल है। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि के बाद ही बोर्ड की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट, व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराये जाने की संभावना है।

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी पर हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है और उसपर हम कोई निश्चित निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी के हमारे लेखापरीक्षण से संबंधित हमारा उत्तरदायित्व अन्य जानकारी को पढ़ना है, और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी या लेखापरीक्षण में हमें प्राप्त ज्ञान या अन्यथा ग़लत आर्थिक विवरण प्रतीत होने के साथ आर्थिक रूप से अस्थिर है।

जब हम अपने कार्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर ऐसी अन्य सूचना के साथ कोई ग़लतबयानी हुई है, तो हमें उस तथ्य को प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है। इस संबंध में हमें कुछ भी उल्लेख नहीं करना है।

प्रबंधन एवं इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी के अभिशासन हेतु प्रभारी के उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विहित लेखाविधि मानक सहित भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखाविधि सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन, नक़द प्रवाह और कंपनी की एक्विटी में परिवर्तन के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, की आवश्यकता के अनुसार अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित बातों के अनुरूप इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल उत्तरदायी हैं। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखाविधि अभिलेख का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखाविधि नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन करना; तथा पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण का आरेखन,कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण, जो लेखाविधि अभिलेखों की सत्यता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी ढंग से कार्य कर रहे थे,, वित्तीय विवरणी से संबंधित तैयारी एवं प्रस्तुति, जो धोखाधड़ी या इण्ड ए.एस. त्रुटि से उत्पन्न तथ्यात्मक असत्य विवरण से मुक्त, सत्य और सही स्थिति दर्शाते हों, जिन्हें उपयुक्त इण्ड ए.एस.वित्तीय विवरणी की तैयारी के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है।

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी को तैयार करने के दौरान जारी व्यापार के लिए कंपनी की योग्यता का आकलन, जारी व्यापार से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, एवं लेखाविधि के लिए जारी व्यापार के आधार के उपयोग के लिए के प्रबंधन और निदेशक-मंडल उत्तरदायी हैं, सिवाय इसके, निदेशक-मंडल कंपनी को परिनिर्धारित करने का इरादा रखते हों या काम बंद कर देना चाहें या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

कंपनी के संबंधित निदेशक-मंडल भी, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणी के लेखापरीक्षण हेतु लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा लक्ष्य उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि संपूर्ण इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी आर्थिक ग़लत विवरण से मुक्त है, चाहे वह धोखाधड़ी से हो या भूलवश हो और वह लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा मत शामिल हो। उपयुक्त आश्वासन, एक उच्च क्षमता का आश्वासन है, परन्तु वैसी गारंटी नहीं है कि एस.ए.के अनुरूप किया गया लेखापरीक्षण हमेशा आर्थिक ग़लत विवरण का पता लगा लेगा अगर यह मौजूद होता है। ग़लत विवरण का उद्भव धोखाधड़ी से या भूलवश हो सकता है और इसे आर्थिक तभी माना जाता है अगर एकल या समेकित रूप से इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों के आधार पर प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित किया जाना संभावित प्रतीत हो।

एस.ए. के अनुरूप लेखापरीक्षण के हिस्से के तौर पर, हम पेशेवर निर्णय करते हैं और समूचे लेखापरीक्षण के दौरान पेशेवराना नज़र रखते हैं। हम,

- इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या भूल के कारण होने वाले आर्थिक ग़लत विवरण से जोख़िमों की पहचान और आकलन करते हैं, उन जोख़िमों के लिए उत्तरदायी कारणों के लिए लेखापरीक्षण की रूपरेखा तैयार करते हैं और लेखापरीक्षण प्रक्रिया निष्पादित करते हैं, तथा वैसे लेखापरीक्षण प्रमाण प्राप्त करते हैं जो हमारे मत की पुष्टि के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार प्रदान करते हैं। धोखाधड़ी के कारण दिए जाने वाले आर्थिक ग़लत विवरण की पहचान नहीं किए जाने का जोख़िम ज्यादा हो सकता है बनिस्बत कि भूल के कारण, क्योंकि धोखाधड़ी में कपट, जालसाजी, जानबूझकर चूक, मिथ्या वर्णन या आंतरिक नियंत्रण का रद्द किया जाना शामिल है।

- स्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखापरीक्षण की रूपरेखा तैयार करने के लिए लेखापरीक्षण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं। अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम यह मत रखने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि कंपनी के पास इण्ड ए. एस. वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों की प्रभावोत्पादक प्रचालनीयता विद्यमान हैं।

- उपयोग में लाई जाने वाली लेखाविधि नीतियों एवं लेखाविधि आकलनों की यथार्थता तथा प्रबंधन द्वारा संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करते हैं।

- प्रबंधन द्वारा लेखाविधि के लिए जारी व्यापार की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्य के आधार पर, निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाक्रम या स्थितियों से संबंधित आर्थिक अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी के जारी व्यापार की निरंतरता पर उल्लेखनीय संशय उत्पन्न करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आर्थिक अनिश्चितता विद्यमान है तो अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी से संबंधित प्रकटीकरण के प्रति इस ओर ध्यान आकर्षित करने या ऐसे प्रकटीकरण यदि अपर्याप्त हैं तो साक्ष्य पर आधारित हैं। फिर भी, भविष्य के घटनाक्रम या स्थितियाँ, जारी व्यापार की निरंतरता पर विराम लगा सकती हैं।

- प्रकटीकरण सहित इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी की समेकित प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु तथा क्या इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी गुप्त अंतरण तथा घटनाक्रम को इस तरह प्रस्तुत करते हैं ताकि उचित प्रस्तुति प्राप्त हो सके, का मूल्यांकन करते हैं।

भौतिकत्व ही इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी में ग़लत विवरण का परिमाण है जो एकल या समेकित रूप से यह संभावना व्यक्त करता है कि वित्तीय विवरणी की यथार्थ जानकारी रखने वाले प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम, (i) अपने लेखापरीक्षण कार्यों के दायरे की योजना और अपने काम के परिणाम के मूल्यांकन तथा (ii) वित्तीय विवरणियों में किसी चिह्नित ग़लत विवरण से पड़ने वाले प्रभाव के मूल्यांकन में परिमाणात्मक भौतिकत्व एवं गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम ऐसे सभी पदाधिकारियों के साथ अन्य बातों के अलावा लेखापरीक्षण के नियोजित दायरे एवं समय तथा उल्लेखनीय लेखापरीक्षण परिणाम में शामिल आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियाँ जिनकी हम पहचान करते हैं, के बारे में बात करते हैं।

हम ऐसे सभी पदाधिकारियों को वह विवरण प्रदान करते हैं जिनका हमने स्वतंत्रता से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और सभी संबंधों एवं अन्य बातों जिनका हमारी स्वतंत्रता पर वास्तविक प्रभाव पड़ता है, और संबंधित बचाव, यदि लागू होता हो, के बारे में बात करते हैं।

उन सभी पदाधिकारियों को बताई गई बातों के आधार पर, हम उन बातों को सुनिश्चित करते हैं जो वर्तमान अवधि के इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों के लेखापरीक्षण में विशेष रूप से उल्लेखनीय रही हैं और जो परिणामस्वरूप प्रमुख लेखापरीक्षण संबंधी बातें हैं। हम, विधि या अधिनियम द्वारा सार्वजनिक प्रकटीकरण पर लगने वाली रोक या किसी बेहद ख़ास परिस्थितियों में जब हम यह सुनिश्चित करते हैं कि अपनी रिपोर्ट में इन बातों के उल्लेख का ग़लत प्रभाव पड़ने वाला है जिससे सार्वजनिक हितलाभ को नुकसान होने वाला है, के अलावा इन बातों को अपनी लेखापरीक्षण रिपोर्ट में वर्णित करते हैं।

अन्य बातें

(क) 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी की इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी, ए. जॉन मॉरिस एवं कंपनी, सनदी लेखाकार द्वारा लेखा-परीक्षित की गई, जिन विवरणियों पर ये दूसरे लेखापरीक्षक थे जिन्होंने 21 जून, 2024 को बिना किसी संशोधन के अपने मत प्रकट किए।

(ख) 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए, निदेशक मंडल द्वारा यथाअनुमोदित, कंपनी के इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी पर मंडल की ओर से श्री संजय कुमार अग्रवाल [अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त) द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, जिन्हें 30 जून, 2025 को मंडल की संपन्न बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा अधिनियम की धारा 134(1) के अंतर्गत मंडल की ओर से अधिकृत किया गया है।

(ग) लेखा में वर्णित आयकर की वापसी एवं प्राप्त पावती के बीच की समामेलन प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

इन मामलों में हमारा मंतव्य किंचित भी परिवर्तित नहीं हुआ है ।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. भारत सरकार द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 11 से संबंधित कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") यथापेक्षित आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में उल्लेखित विषय वस्तुओं पर अधोलिखित **"अनुलग्नक-क"** में हम विवरणी प्रस्तुत करते हैं ।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथापेक्षित, हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) हमने अपने ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर अपनी उपर्युक्त लेखा परीक्षा के लिए सभी सूचनाओं की माँग की एवं उन्हें प्राप्त किया है;

(ख) हमारी राय में, उपर्युक्त इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी की तैयारी से संबंधित विधिसम्म्त उपयुक्त लेखा-बही कंपनी के पास हैं, जैसा कि इनकी परीक्षाओं से परिलक्षित होता है।

(ग) इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहृत, तुलनपत्र, लाभ तथा हानि लेखा, नकद प्रवाह विवरणी, एक्विटी में परिवर्तन की विवरणी लेखा-बही के अनुरूप है।

(घ) हमारे विचार से, उपर्युक्त इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी, अधिनियम की धारा 133, नियम 7 सहित पठ्य कंपनी (भारतीय लेखाविधि मानक) नियम 2015, यथासंशोधित में वर्णित लेखाविधि मानकों के अनुरूप है।

(ङ) यह कंपनी, भारत सरकार की कंपनी है, इसलिए अधिनियम की धारा 164(2) के निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना सं.जी.एस.आर. 463 (ई) के कारण कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(च) यह कंपनी, भारत सरकार की कंपनी है, इसलिए अधिनियम की धारा 197(16), यथा संशोधित, के अनुरूप लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषय दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना सं.जी.एस.आर. 463 (ई) के कारण कंपनी के लिए लागू नहीं है;

(छ) कंपनी की इन इण्ड ए.एस. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संदर्भ में एवं ऐसे नियंत्रण के परिचालन प्रभावोत्पादकता के लिए "अनुलग्नक-ख" में अलग से प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट का संदर्भ लें।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षण एवं लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल अन्य बातें, मेरे मतानुसार एवं हमारी सूचनाओं के आधार पर तथा हमें दी गई व्याख्या के अनुसार, के संदर्भ में:-

i. कंपनी ने 31 मार्च, 2025 तक की अपनी इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मामलों से पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख किया है। (इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी के नोट 42, 44 एवं 50 का संदर्भ लें।)

ii. कंपनी के पास अन्य स्रोतों से प्राप्त संविदा सहित कोई दीर्घावधि संविदा नहीं है जिसके चलते कोई अनपेक्षित आर्थिक हानि हुई हो।

iii. कोई ऐसी राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं बचाव निधि में हस्तांतरित करने की आवश्यकता हुई हो।

iv. प्रबंधन ने यह प्रस्तुत किया है कि जहाँ तक उन्हें ज्ञात है और विश्वास है कि (किसी उधार लिए गए धन या शेयर

प्रीमियम या धन प्राप्ति के अन्य स्रोतों या प्रकारों से) कंपनी द्वारा कोई राशि न तो अग्रिम या ऋण या निवेश के रूप में किसी व्यक्ति या विदेशी प्रतिष्ठान ("मध्यस्थ") सहित किसी प्रतिष्ठान को, दी गई है जिससे यह परिलक्षित हो कि कोई आपसी समझ-बूझ, या तो लिखित में हुई हो या अन्यथा हुई हो कि मध्यस्थ, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी व्यक्ति या संस्था को उधार दे या निवेश करे जिसे कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या इसके बदले में गारंटी, सुरक्षा या ऐसे ही कुछ और, अंतिम लाभार्थी के बदले में प्रदान किए गए हों;

प्रबंधन ने यह प्रस्तुत किया है कि जहाँ तक उन्हें ज्ञात है और विश्वास है कि कंपनी द्वारा कोई राशि न तो किसी व्यक्ति या विदेशी प्रतिष्ठान ("निधिदाता पक्ष") सहित किसी प्रतिष्ठान से ली गई है जिससे यह परिलक्षित हो कि कोई आपसी समझ-बूझ, या तो लिखित में हुई हो या अन्यथा हुई हो कि निधिदाता पक्ष, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी व्यक्ति या संस्था को उधार दे या निवेश करे जिसे कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या इसके बदले में गारंटी, सुरक्षा या ऐसे ही कुछ और, अंतिम लाभार्थी के बदले में प्रदान किए गए हों;

ऐसी लेखापरीक्षण प्रक्रियाएँ जिन्हें वर्तमान परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11 ई के उप-खंड (i) और (ii), जैसा कि उपर्युक्त (iv) के अंतर्गत प्रदत्त दो अनुच्छेदों के अंतर्गत की गई प्रस्तुति में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण शामिल हुआ हो ;

v. पिछले वर्ष के लिए घोषित लाभांश के सापेक्ष वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान किए गए अंतिम लाभांश की राशि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसार है और लाभांश के भुगतान पर लागू होने वाली सीमा पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पूँजी पुनर्गठन पर 27 मई, 2016 को जारी डी.आइ.पी.ए.एम के दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

जैसा कि इण्ड ए.एस वित्तीय विवरणी के नोट 54 में उल्लिखित है, कंपनी के निदेशक-मंडल ने इस वर्ष के लिए एक अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा है जिसे आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

घोषित लाभांश की राशि लाभांश की घोषणा पर लागू होने वाले अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप है।

vi. हमारी परीक्षा के आधार पर, जिसमें जाँच-परख शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने लेखा-बही के रखरखाव के लिए लेखाविधि

सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) अभिलेखित करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में अभिलेखित सभी प्रासंगिक अंतरण के लिए इसे पूरे वर्ष काम में लाया गया है। इसके अलावा, हमारे लेखापरीक्षण के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट हेतु, कृपया "अनुलग्नक ग" में वर्णित हमारी अलग रिपोर्ट का संदर्भ लें।

कृते मुकुंद शिवा एंड ॲसोसिएटस
सनदी लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीयन सं. 0011768 एस

हस्ता/-

(मुकुंदा)
भागीदार
सदस्यता सं. 215774
यू.डी.आइ.एन : 25215774BMIQSE5458

स्थान : बेंगलूरु
तिथि: 30 जून 2025

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष की स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट से संबंधित अनुलग्नक "क"

(i) संयत्र, संपत्ति एवं उपकरण

(क) (ए) कंपनी, अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के परिमाणात्मक विवरण तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण देने के लिए उचित अभिलेख अनुरक्षित कर रखी है।

(बी) कंपनी, अपनी अमूर्त परिसंपत्ति का पूर्ण विवरण देने के लिए उचित अभिलेख अनुरक्षित कर रखी है।

(ख) सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के सत्यापन हेतु वर्ष के दौरान, प्रबंधन द्वारा वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का वस्तुगत सत्यापन किया गया है। प्रबंधन से हमें मिली सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, जाँच के दौरान कोई भी कमी नहीं पाई गई है।

(ग) कंपनी के पास पट्टाधारी भूमि, जिसका कंपनी पट्टाधारक है, पर भवन के अलावा कोई अचल संपत्ति नहीं है।

(घ) 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार सहित) या अमूर्त परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, बेनामी संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1988 एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध किसी बेनामी संपत्ति धारिता संबंधी कोई कार्यवाही न तो शुरू की गई है, न लंबित है।

(ii) वस्तुसूची

(क) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा वस्तुसूची का वस्तुगत सत्यापन किया गया है। हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, सत्यापन का अंतराल उपयुक्त है और ऐसे सत्यापन का दायरा और प्रक्रिया उचित है। ऐसे सत्यापन के दौरान वस्तुसूची के प्रत्येक वर्ग में समेकित रूप से 10% या इससे अधिक की कोई कमी नहीं पाई गई थी।

(ख) कंपनी के पास बैंक या वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्धारित कोई पूँजी सीमा नहीं है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (ii)(बी) लागू नहीं है।

(iii) निवेश, प्रत्याभूति, ऋण एवं अग्रिम

कंपनी ने किसी कंपनी, प्रतिष्ठान, सीमित देयता साझेदारों या अन्य किसी पक्ष के साथ कोई निवेश नहीं किया है या कोई गारंटी या प्रतिभूति नहीं दिया है या सुरक्षित या असुरक्षित प्रकृति का ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (iii) लागू नहीं है।

(iv) ऋण, निवेश एवं प्रत्याभूति

कंपनी के पास कोई ऋण, निवेश, गारंटी एवं प्रतिभूति नहीं है जिसका अधिनियम की धाराएँ 185 तथा 186 के तहत अनुपालन आवश्यक हो। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (iv) लागू नहीं है।

(v) जमा

हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, कोई राशि जमा नहीं की गई है जिसे अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधानों एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत जमा माना जाए। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (v) लागू नहीं है।

(vi) लागत अभिलेख

कंपनी एक सेवा प्रदाता/व्यापारिक प्रतिष्ठान है और इसलिए अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत लागत अभिलेख के अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (vi) लागू नहीं है।

(vii) सांविधिक बकाया

(क) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, कंपनी ग़ैर-विवादित सांविधिक बकाये से संबंधित लेखा-बही में कटौती की गई/जमा राशि जिसमें माल एवं सेवा कर, कंपनी भविष्य निधि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निधि, आयकर, उत्पाद-शुल्क, सीमा-शुल्क, उपकर एवं अन्य कोई सांविधिक बकाया शामिल है, को उपयुक्त प्राधिकारी को सामान्यत: नियमित तरीके से जमा कराती रही है।

हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, माल एवं सेवा कर, कंपनी भविष्य निधि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निधि, आयकर, उत्पाद-शुल्क, सीमा-शुल्क, उपकर एवं अन्य कोई सांविधिक बक़ाया से संबंधित कोई भी ग़ैर-विवादित राशि देय नहीं थी जिसे 31 मार्च, 2025 तक भुगतान किए जाने हेतु छ: महीने से अधिक अवधि तक बक़ाया के तौर पर रखा गया हो।

(ख) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, विवाद के कारण, सेवाकर, बिक्री कर एवं मूल्य संवर्धित कर कंपनी द्वारा जमा नहीं कराए गए हैं :

क्रम सं.	अध्यादेश का नाम	बकाये की प्रकृति	विवादित राशि (₹ लाख में)	विरोध के अंतर्गत राशि का भुगतान/ जमा राशि (₹ लाख में)	शेष राशि (₹ लाख में)	बकाये की अवधि	न्यायालय जहाँ मामला लंबित है
1	वित्त अधिनियम 1994	सेवाकर	885.33	0	885.33	01 जुलाई, 2012 से 30 सितम्बर,2013 तक	केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील अधिकरण (सी.ई. एस.टी.ए.टी), बेंगलूरु
2	वित्त अधिनियम 1994	सेवाकर	163.02	0	163.02	01 अक्तूबर,2013 से 30 सितम्बर,2014 तक	केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील अधिकरण (सी.ई. एस.टी.ए.टी), बेंगलूरु
3	वित्त अधिनियम 1994	सेवाकर	264.18	0	264.18	01 अक्तूबर,2014 से 30 सितम्बर,2015 तक	केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील अधिकरण (सी.ई. एस.टी.ए.टी), बेंगलूरु
4	कर्नाटक मूल्य संवर्धित कर (के.वी.ए.टी) अधिनियम, 2003 एवं केंद्रीय बिक्री कर, 1956	के.वी.एटी एवं केंद्रीय बिक्री कर	20,595.56	5912.47	14,683.09	01 अप्रैल, 2005 से 31 जुलाई, 2008 तक	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय
5	कर्नाटक मूल्य संवर्धित कर (के.वी.ए.टी) अधिनियम, 2003 एवं केंद्रीय बिक्री कर, 1956	के.वी. ए.टी एवं केंद्रीय बिक्री कर	7,109.80	0	7,109.80	01 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2010 तक	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय
6	कर्नाटक मूल्य संवर्धित कर (के.वी.ए.टी) अधिनियम, 2003	के.वी. ए.टी	20,320.02	0	20,320.02	01 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय
7	कर्नाटक मूल्य संवर्धित कर (के.वी.ए.टी) अधिनियम, 2003	के.वी.ए.टी	20,577.15	0	20,577.15	01 अप्रैल,2010 से 31 मार्च, 2011 तक	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय
8	कर्नाटक मूल्य संवर्धित कर (के.वी.ए.टी) अधिनियम, 2003	के.वी.ए.टी	23,325.87	0	23,325.87	01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय
9	कर्नाटक मूल्य संवर्धित कर (के.वी.ए.टी) अधिनियम, 2003	के.वी.ए.टी	26,183.62	0	26,183.62	01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय
10	कर्नाटक मूल्य संवर्धित कर (के.वी.ए.टी) अधिनियम, 2003	के.वी.ए.टी	26,328.42	0	26,328.42	01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय
11	आयकर अधिनियम 1961	आयकर	119.75	0	119.75	मूल्यांकन वर्ष 2017-18	आयकर आयुक्त-अपील
12	आयकर अधिनियम 1961	आयकर	38.98	0	38.98	वित्त वर्ष 2019-20	आयकर आयुक्त-अपील

(viii) पूर्व अनभिलेखित आय

हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी ने आयकर अधिनियम,1961 के अंतर्गत कर आकलन में पिछले वर्ष लेखा-बही में दर्ज़ नहीं किए गए किसी भी अंतरण को आय के तौर पर अभ्यर्पित या प्रकट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (viii) लागू नहीं है।

(ix) ऋण/उधारी का भुगतान

वर्ष के दौरान, कंपनी के पास कोई ऋण नहीं है या कोई उधारी नहीं ली गई है और न ही वर्ष के अंत में लंबित है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (ix) (क) से 3 (ix) (च) लागू नहीं हैं।

(x) आरंभिक सार्वजनिक मूल्य एवं अधिमान्य आबंटन/निजी स्थापन

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धनराशि जुटाई है और न ही शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(x) (a) और (b) लागू नहीं होता है।

(xi) ज्ञात/अभिज्ञात धोखाधड़ी

(क) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई या कंपनी से धोखाधड़ी की कोई घटना देखी गई या रिपोर्ट की गई है।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी (लेखापरीक्षण एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत यथावर्णित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार के साथ अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट दर्ज़ नहीं की गई है।

(ग) जैसा कि प्रबंधन द्वारा वर्णित किया गया है, वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा सूचना प्रदाता संबंधी कोई भी परिवाद प्राप्त नहीं हुआ है।

(xii) निधि कंपनी

कंपनी, कोई निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(xii) लागू नहीं हैं।

(xiii) संबंधित पक्ष अंतरण

हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ अंतरण यथा लागू अधिनियम की धारा 177 एवं 188 का अनुपालन करते हैं और लागू होने वाले लेखा विधि मानकों द्वारा यथापेक्षित वित्तीय विवरणी में इनके विवरण उल्लेखित किए गए हैं।

(xiv) आंतरिक लेखापरिक्षण

(क) हमारे मत एवं हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी के व्यापार के आकार एवं प्रकार के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षण प्रणाली है।

(ख) हमने लेखापरीक्षण वर्ष के दौरान,कंपनी से संबंधित अब तक जारी की गई लेखा रिपोर्ट की आंतरिक लेखापरीक्षण रिपोर्ट पर विचार किया है।

(xv) ग़ैर नकदी अंतरण

हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, वर्ष के दौरान, कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई ग़ैर नकदी अंतरण नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(xv) लागू नहीं हैं।

(xvi) ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान हेतु प्रमाणन

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I अ के तहत कंपनी को पंजीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (xvi) (क) लागू नहीं हैं।

(ख) कंपनी ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास हेतु वित्तीय क्रियाकलापों में संलिप्त नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (xvi) (ख) लागू नहीं हैं।

(ग) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए परिनियमों की परिभाषा के अनुसार, कंपनी मूल रूप से कोई निवेश कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (xvi) (ग) लागू नहीं हैं।

(घ) भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देश 2016 के अनुसार, कंपनी के पास कोई समूह कंपनी नहीं है जैसा कि मूल रूप से निवेश कंपनी के लिए पारिभाषित है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (xvi) (घ) लागू नहीं हैं।

(xvii) धन-हानि

कंपनी को वर्तमान वर्ष और इससे पूर्व के वित्तीय वर्ष में कोई धन-हानि नहीं हुई है।

(xviii) सांविधिक लेखापरीक्षक का त्यागपत्र

वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है और तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (xviii) लागू नहीं हैं।

(xix) कंपनी देयताओं के भुगतान के सामर्थ्य

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी के लिए नोट 56 में प्रकट वित्तीय अनुपातों के आधार पर, वित्तीय परिसंपत्तियों की आयु और उनके प्रापण की संभावित तिथि और वित्तीय देयताओं के भुगतान के साथ निदेशक-मंडल एवं प्रबंधन की योजनाओं की जानकारी और धारणाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जाँच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है। जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षण रिपोर्ट की तारीख तक कोई भी वस्तुगत अनिश्चितता मौजूद है जिसे कंपनी तुलन-पत्र की तिथि पर विद्यमान तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय अपनी देयताओं को चुकता करने के लिए सक्षम नहीं हो। हालाँकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहारिकता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। आगे हम कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षण रिपोर्ट की

तिथि तक उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन-पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देयताओं, जैसे ही वे देय हों, का कंपनी द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा।

(xx) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

(क) जारी परियोजनाओं के अलावा कोई अव्ययित राशि नहीं रही है जिसे अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के द्वितीय प्रावधान के अनुपालन में अधिनियम की अनुसूची VII में वर्णित निधि में हस्तांतरित करने की आवश्यकता हो।

(ख) वैसी कोई भी जारी परियोजनाएँ जिसमें सभी राशि जो अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के अंतर्गत अव्यतित रही है, उसे उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) के प्रावधानों के अंतर्गत विशेष लेखा में अंतरित कर दी गई हैं।

(xxi) अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा सापेक्ष/प्रतिकूल अभ्युक्ति

चूँकि यह स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट कंपनी की स्टैंडआलोन वित्तीय विवरणी पर जारी की जा रही है अतएव इस आदेश के अनुच्छेद 3 (xxi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते मुकुंद शिवा एंड ॲसोसिएटस
सनदी लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीयन सं. 0011768 एस

हस्ता/-

(मुकुंदा)
भागीदार
सदस्यता सं. 215774
यू.डी.आइ.एन : 25215774BMIQSE5458

स्थान : बेंगलूरु
तिथि: 30 जून 2025

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष की स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट से संबंधित अनुलग्नक "ख"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 31 मार्च, 2025 तक की इण्ड ए.एस वित्तीय विवरणी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखापरीक्षण किया है जो उस तिथि तक समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी की इण्ड ए.एस वित्तीय विवरणी के लेखापरीक्षण से संयोजित है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण पर दिशानिर्देश नोट ("दिशानिर्देश नोट") में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए वित्तीय नियंत्रण की स्थापना एवं अनुरक्षण हेतु कंपनी का प्रबंधन उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में व्यापार का सुचारु एवं सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल है और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथापेक्षित कंपनी की नीतियाँ, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटि की पहचान और रोकथाम, लेखाविधि अभिलेखों की सत्यता एवं पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर तैयारी भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में अपने लेखापरीक्षण पर आधारित अपना मत प्रकट करना है। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी विहित लेखा परीक्षण दिशानिर्देश नोट एवं मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया है, उस सीमा तक जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण हेतु लागू है। इन मानकों तथा दिशानिर्देश नोट के लिए यह आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और योजना बनाएँ तथा इन स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित करें और ऐसे सभी महत्वपूर्ण पहलुएँ प्रभावशाली ढंग से प्रचालित किए गए या नहीं, इसके बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षण संपन्न करें।

हमारे लेखापरीक्षण में, इन स्टैंडआलोन वित्तीय विवरणियों के संदर्भ एवं उनकी परिचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता के विषय में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षण प्रमाण प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण में इन स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणियों के संदर्भ से जुड़े आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वस्तुगत कमी से संबंधित जोख़िम का आकलन करना और आकलित जोख़िम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण

के परिरूप तथा प्रचालनीय प्रभावोत्पादकता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है। इसके लिए चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है जिसमें वित्तीय विवरणी में, धोखाधड़ी से या भूलवश की गई वस्तुपरक ग़लत बयानी से उत्पन्न जोख़िम का आकलन शामिल है।

हमें विश्वास है कि लेखापरीक्षण प्रमाण जो हमने प्राप्त किए हैं,वे कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली से जुड़े इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में वित्तीय नियंत्रण के बारे में अपने लेखापरीक्षण मत प्रकट करने के लिए आधार के तौर पर पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

एक कंपनी की इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों के संदर्भ से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता से संबंधित उचित आश्वासन तथा सामान्यतया स्वीकृत लेखाविधि सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणी की तैयारी प्रदान होती हैं। एक कंपनी की इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (i) कंपनी की परिसंपत्ति के अंतरण एवं वितरण की सटीक एवं सही, उचित विवरण सहित, अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित है; (ii) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि अभिलिखित अंतरण सामान्यतया स्वीकृत लेखाविधि के अनुसार वित्तीय विवरणी तैयार करने की अनुमति हेतु आवश्यक है और कंपनी की प्राप्ति एवं व्यय कंपनी के निदेशकों एवं प्रबंधन के प्राधिकार के अनुरूप तैयार किए जाते हैं; और, (iii) कंपनी की परिसंपत्ति की अनधिकृत प्राप्ति, उपयोग या वितरण से संबंधित समय पर पहचान या रोकथाम के लिए उचित आश्वासन प्रदान करती हैं जिसका वित्तीय विवरणी पर वस्तुपरक प्रभाव पड़ता हो ।

वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमा

वित्तीय विवरणियों के संदर्भ रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमन के कारण मिलीभगत की संभावनाओं या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन प्रत्यादेश के कारण, भूल या धोखाधड़ी के कारण वस्तुपरक ग़लतबयानी हो सकती है और जिसकी पहचान नहीं की जा सकती। साथ ही, भविष्य के लिए इन वित्तीय विवरणियों के संदर्भ से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का प्रक्षेप जोख़िम भरा है। इस कारण, इस संदर्भ से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन का स्तर घट सकता है।

मत

हमारे मत से, सभी आर्थिक पहलुओं में, कंपनी के पास इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों के संदर्भ से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों के संदर्भ से संबंधित ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दिशानिर्देश नोट में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा

स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आधारित ऐसी वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी ढंग से प्रचालित हो रहे थे।

कृते मुकुंद शिवा एंड ॲसोसिएटस
सनदी लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीयन सं. 0011768 एस

हस्ता/-

(मुकुंदा)
भागीदार
सदस्यता सं. 215774
यू.डी.आइ.एन : 25215774BMIQSE5458

स्थान : बेंगलूरु
तिथि: 30 जून 2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों हेतु स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक- "ग"

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देशों पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरण के संबंध में लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, हम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 23.05.2025 के पत्रांक 77/CA-II/Dir-Sub Dir/11-2015/Vol II द्वारा जारी निर्देशों पर निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं:-

क्र.सं.	निर्देश	उत्तर
I	कार्मिकों की सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ के लिए कंपनी द्वारा सीधे तौर पर या न्यासों के द्वारा उद्धृत या अनुद्धृत निवेशों के उचित मूल्यांकन हेतु अभिगम। इसमें मूल्यांकन की प्रक्रियाओं की जाँच, इण्ड ए.एस. के सामंजस्य सुनिश्चित करना एवं सहयोगी अभिलेखों का पुनरीक्षण शामिल है। लेखापरीक्षक, मूल्यांकन पद्धति, इसके औचित्य और लागू विनियमनों के अनुपालन, किसी वस्तुपरक विचलन या ग़लत विवरण की रिपोर्टिंग प्रस्तुत करेंगे।	कंपनी ने अपने कार्मिकों को उपदान के भुगतान हेतु उपदान न्यास का सृजन किया है। एन्ट्रिक्स ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक एल.आइ.सी. नव समूह उपदान नक़द जमा योजना खोल रखा है। पेंशन एवं समूह योजना विभाग, बेंगलूरु [एल.आइ.सी.] न्यास कोष अभिशासन के ढाँचे का नियंत्रण सुनिश्चित करेगा। 31 मार्च, 2025 तक न्यास कोष में कुल नियमित योगदान राशि ₹1,13,31,151.19 रही है। कंपनी एल.आइ.सी के साथ सीधे तौर पर नव समूह नक़दीकरण योजना खोल रखी है और अनुरक्षित कर रही है। 31.03.2025 तक इस कोष में अंतशेष ₹1,91,09,339.58 रहा है। दोनों कोषों के मूल्यांकन का आधार कंपनी द्वारा नियुक्त बीमांकक से प्राप्त बीमांकित रिपोर्ट है।
II	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखाविधि अंतरण को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली से परे लेखाविधि अंतरण के संसाधन के वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ लेखाओं की सत्यता पर प्रभाव, यदि कोई हो, उद्धृत किया जा सकता है।	हाँ, कंपनी के पास सभी लेखाविधि अंतरण को संसाधित करने के लिए आईटी प्रणाली है। हालाँकि कुछ लेखाविधि प्रविष्टियों के आँकड़े एक्सेल स्प्रेडशीट और अन्य प्रणालियों से प्रविष्ट किए जाते हैं, लेकिन इन्हें लेखाविधि आईटी प्रणाली और उचित अनुमोदन और नियंत्रण के माध्यम से संसाधित किया जाता है।

III	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि का लागू लेखाविधि मानक और शर्तों के अनुसार उचित हिसाब-किताब रखा गया और क्या प्राप्त/प्राप्य धनराशि का उपयोग इसके नियम एवं शर्तों के अनुरूप किया गया ? क्या प्राप्त अनुदान पर अर्जित ब्याज की लेखाविधि अनुदान के नियम एवं शर्तों के अनुरूप किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धनराशि प्राप्त नहीं होती है। वित्तीय विवरणों हेतु नोट के नोट 41 के तहत रिपोर्ट किया गया अनुदान लेखाविधि मानक अनुपालन के लिए उचित मूल्यांकन पर आधारित एक मान्य अनुदान
IV	क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्र की पहचान की है? यदि हाँ, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमिओं को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है ? यदि हाँ, (क) तो क्या सर्वोत्तम वैश्विक व्यवहारों को ध्यान में रखकर जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की गई है? (ख) तो क्या कंपनी ने आँकड़ा परिसंपत्ति की पहचान की है और क्या इसका मूल्यांकन सही ढंग से किया गया है?	हाँ, कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्र की पहचान की है। (क) हाँ, सर्वोत्तम वैश्विक व्यवहारों को ध्यान में रखकर ही जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की गई है? (ख) कंपनी ने आँकड़ा परिसंपत्ति की पहचान नहीं की है।
V	क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की (सूचीबद्धता एवं प्रकटीकरण विनियम, 2015 और सेबी के लागू अन्य नियम तथा विनियम, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, भारतीय कंप्यूटर आपातकाल प्रतिक्रिया टीम, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जहाँ लागू हो, का अनुपालन कर रही है?	कंपनी सूचीबद्ध नहीं है, अतएव कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की (सूचीबद्धता एवं प्रकटीकरण विनियम, 2015 और सेबी के लागू अन्य नियम तथा विनियम, लागू नहीं हैं। कंपनी ने निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग और भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रावधानों का अनुपालन किया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, कंपनी के लिए भारतीय कंप्यूटर आपातकाल प्रतिक्रिया टीम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के विनियम लागू नहीं हैं।

कृते मुकुंद शिवा एंड ॲसोसिएटस
सनदी लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीयन सं. 0011768 एस

हस्ता/-

(मुकुंदा)
भागीदार
सदस्यता सं. 215774
यू.डी.आई.एन : 25215774BMIQSE5458

स्थान : बेंगलूरु
तिथि: 30 जून 2025

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में विनिर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य-ढाँचे के अनुसार एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणी तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकगण, अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानक के अनुसार स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा करते हुए इन वित्तीय विवरणियों पर अधिनियम की धारा 143 के तहत अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। **दिनांक 30.06.2025 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट** में उनके द्वारा ऐसा किए जाने के बारे में उल्लेख है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों के पूरक लेखापरीक्षण नहीं करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-

(डॉ. कविता प्रसाद)
महानिदेशक लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 04.08.2025

विस्तृत वित्तीय विवरणी

सीआइएन: U85110KA1992GOI013570

31 मार्च, 2025 तक तुलन पत्र

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
परिसंपत्तियाँ:			
(1) दीर्घकालीन परिसंपत्तियाँ			
(क) सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	4	769.53	802.47
(ख) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4ए	3.22	5.41
(ग) उपयोगाधिकार परिसंपत्तियाँ	5	239.71	245.16
(घ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) ऋण	6	0.14	0.25
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7	0.77	0.72
(ङ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	31	2,719.30	2,718.25
(च) अन्य दीर्घकालीन परिसंपत्तियाँ	8	27,397.67	28,147.75
		31,130.34	**31,920.01**
(2) चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति-सूची	9	0.21	0.21
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) व्यापार प्राप्तियाँ	10	2,067.29	2,017.31
(ii) नक़द और नक़द समतुल्य	11	26,257.80	18,364.36
(iii) नक़द और नक़द समतुल्य के अलावा बैंक शेष	12	81,816.90	89,841.34
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	13	7,069.13	6,869.87
(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	14	9,633.64	9,470.47
		1,26,844.97	1,26,563.56
		1,57,975.31	**1,58,483.57**
एक्विटी और देयता:			
(1) एक्विटी			
(क) एक्विटी शेयर पूँजी	15	680.00	680.00
(ख) अन्य एक्विटी	16	1,45,158.53	1,46,844.19
		1,45,838.53	**1,47,524.19**
(2) देयताएँ			
दीर्घकालीन देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) पट्टा देयताएँ	17	268.38	269.10
(ख) प्रावधान	18	-	-
		268.38	269.10
चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) पट्टा देयताएँ	17	0.72	0.67
(ii) व्यापार प्राप्तियाँ	19		
(अ) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		0.44	2.19
(ब) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		7,354.29	6,142.16

(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	976.68	972.32
(ख) अन्य चालू देयताएँ	21	3,389.85	3,479.89
(ग) प्रावधान	22	146.42	93.05
		11,868.40	10,690.28
		1,57,975.31	**1,58,483.57**
महत्वपूर्ण लेखा-विधि नीतियाँ	3		

संलग्न नोट संख्या 1 से 58 इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

हमारी समतिथि के रिपोर्ट में इस तुलन पत्र का संदर्भ निहित है।

कृते मुकुंद शिवा एवं ॲसोसिएटस
सनदी लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीयन संख्या : 011768S

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशकमंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-

मुकुंदा
भागीदार
सदस्यता संख्या : 215774
यू.डी.आई.एन: 25215774BMIQSE5458
बेंगलूरु
30 जून, 2025

हस्ता/-

संजय कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)/
निदेशक (वित्त)
डी.आई.एन : 08200144
बेंगलूरु
30 जून, 2025

हस्ता/-

मोहन महादेवन
निदेशक
डी.आई.एन : 07267450
बेंगलूरु
30 जून, 2025

हस्ता/-

जी. आनंदनारायणन
कंपनी सचिव
आइ.सी.एस.आई सदस्यता संख्या 13691
बेंगलूरु
30 जून, 2025

सीआइएन: U85110KA1992GOI013570

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि लेखा

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
I	प्रचालन से राजस्व	23	7,677.81	9,197.69
II	अन्य आय	24	8,831.94	8,287.02
III	**कुल आय (I +II)**		**16,509.75**	**17,484.71**
IV	**व्यय:**			
	(i) प्रचालन से राजस्व की लागत	25	5,780.79	7,757.01
	(ii) माल की सूची में परिवर्तन	26	0.00	0.00
	(iii) कर्मचारी लाभ व्यय	27	283.77	273.82
	(iv) वित्त लागत	28	22.12	22.17
	(v) मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	4,4ए & 5	49.30	55.47
	(vi) अन्य व्यय	29	2,586.48	926.05
	कुल व्यय (IV)		**8,722.46**	**9,034.52**
V	**कर पूर्व लाभ (III - IV)**		7,787.29	8,450.19
VI	**कर व्यय :**			
	(i) चालू कर		2,089.98	2,104.16
	(ii) आस्थगित कर	30	(1.05)	58.29
VII	**वर्ष के लिए लाभ (V-VI)**		**5,698.36**	**6,287.74**
VIII	**अन्य व्यापक आय**			
	क (i) वे मद जिन्हें लाभ या हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा पारिभाषित लाभ योजना का पुनर्मापन		(5.37)	(2.11)
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		1.35	0.53
	वर्ष क के लिए कुल अन्य व्यापक आय (i+ii)		(4.02)	(1.58)
IX	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (VII+VIII)**		**5,694.34**	**6,286.16**
X	प्रति एक्विटी शेयर आय [शेयर का नाममात्र मूल्य: ₹ 100 (31 मार्च, 2024: ₹ 100)]			
	(1) मूल एवं परिवर्तित	32	837.99	924.67
	महत्वपूर्ण लेखा-विधि नीतियाँ	3		

संलग्न नोट संख्या 1 से 58 इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

हमारी समतिथीय रिपोर्ट में इस लाभ तथा हानि लेखा का संदर्भ निहित है।

कृते मुकुंद शिवा एवं ॲसोसिएटस
सनदी लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीयन संख्या : 011768S

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशकमंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
मुकुंदा	**संजय कुमार अग्रवाल**	**मोहन महादेवन**	**जी. आनंदनारायणन**
भागीदार	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)/ निदेशक (वित्त)	निदेशक	कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : 215774	डी.आई.एन : 08200144	डी.आई.एन : 07267450	आइ.सी.एस.आई सदस्यता संख्या 13691
यू.डी.आई.एन: 25215774BMIQSE5458	बेंगलूरु	बेंगलूरु	बेंगलूरु
बेंगलूरु	30 जून, 2025	30 जून, 2025	30 जून, 2025
30 जून, 2025			

सीआईएन: U85110KA1992GOI013570

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एक्विटी में परिवर्तन की विवरणी

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

क. एक्विटी शेयर पूँजी		31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
(i)	वर्ष के आरंभ में शेष राशि	**680.00**	**680.00**
(ii)	पूर्वावधि भूल के कारण एक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	-	-
(iii)	वर्ष के आरंभ में पुनरोक्त शेष राशि	680.00	680.00
(iv)	वर्ष के दौरान एक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	-	-
(v)	वर्ष के अंत में शेष राशि	**680.00**	**680.00**

ख. अन्य एक्विटी	अतिरिक्त राशि और अधिशेष								कुल	
विवरण	सामान्य अतिरिक्त राशि		पूँजी पुनर्लाभ अतिरिक्त राशि (सांविधिक)		प्रतिधारित आय (अधिशेष)		अन्य व्यापक आय की मदें			
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
(i) **वर्ष के आरंभ में शेष राशि**	**1,06,614.10**	**1,06,614.10**	**60.00**	**60.00**	**40,166.82**	**41,313.08**	**3.27**	**4.85**	**1,46,844.19**	**1,47,992.03**
(ii) लेखा-विधि नीति में परिवर्तन या पूर्वावधि त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) **वर्ष के आरंभ में पुनरोक्त शेष राशि**	**1,06,614.10**	**1,06,614.10**	**60.00**	**60.00**	**40,166.82**	**41,313.08**	**3.27**	**4.85**	**1,46,844.19**	**1,47,992.03**
(iv) वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	5,698.36	6,287.74	-	-	5,698.36	6,287.74
(v) परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मापन (आयकर के बाद	-	-	-	-	-	-	(4.02)	(1.58)	(4.02)	(1.58)
(vi) लाभांश	-	-	-	-	(7,380.00)	(7,434.00)	-	-	(7,380.00)	(7,434.00)
(vii) **वर्ष के अंत में शेष राशि**	**1,06,614.10**	**1,06,614.10**	**60.00**	**60.00**	**38,485.18**	**40,166.82**	**(0.75)**	**3.27**	**1,45,158.53**	**1,46,844.19**

नोट :

1. सामान्य अतिरिक्त राशि : यह अर्जित लाभ से सृजित एक वैकल्पिक अतिरिक्त राशि है, जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं है बल्कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप उपयोग के लिए है।

2. पूँजी विमोचन अतिरिक्त राशि : कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, पूँजी विमोचन अतिरिक्त राशि तब सृजित होती है जब कंपनी अपने शेयर वैकल्पिक अतिरिक्त राशि या प्रतिभूति प्रीमियम से स्वयं खरीदती है। खरीदे गए शेयरों के नाममात्र मूल्य के खरीदे गए शेयर के बराबर की राशि पूँजी विमोचन अतिरिक्त राशि में हस्तांतरित की जाती है। अतिरिक्त राशि का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 के प्रावधानों के अनुरूप किया जा सकता है।

संलग्न नोट संख्या 1 से 58 इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

हमारी समतिथीय रिपोर्ट में इस एक्विटी में परिवर्तन की विवरणी का संदर्भ निहित है।

कृते मुकुंद शिवा एवं ॲसोसिएटस
सनदी लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीयन संख्या : 011768S

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशकमंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
मुकुंदा	**संजय कुमार अग्रवाल**	**मोहन महादेवन**	**जी. आनंदनारायणन**
भागीदार	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)/ निदेशक (वित्त)	निदेशक	कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : 215774	डी.आई .एन : 08200144	डी.आई .एन : 07267450	आइ.सी.एस.आई सदस्यता संख्या 13691
यू.डी.आई .एन: 25215774BMIQSE5458	बेंगलूरु	बेंगलूरु	बेंगलूरु
बेंगलूरु	30 जून, 2025	30 जून, 2025	30 जून, 2025
30 जून, 2025			

सी.आइ.एन: U85110KA1992GOI013570

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

	31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क. प्रचालन गतिविधियों से नक़द प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	**7,787.29**	**8,450.19**
समायोजन:		
वित्तीय लागत (पट्टा देयता)	22.12	22.17
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	49.30	55.47
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से नुकसान	0.00	0.44
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	36.01	(201.29)
बैंक जमा से ब्याज आय	(8,609.30)	(7,860.53)
सरकारी अनुदान आय	(22.69)	(22.69)
कार्यशील पूँजी में परिवर्तन से पहले प्रचालन नक़द प्रवाह	**(737.27)**	**443.76**
कार्यशील पूँजी परिवर्तन से समायोजन		
वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी-ऋण	0.11	0.19
अन्य दीर्घकालीन परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	807.52	1,590.09
सम्पत्ति सूची में (वृद्धि)/कमी	0.00	0.00
व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	(85.98)	2,199.86
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(242.84)	(1,957.45)
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(168.55)	4,451.82
दीर्घकालीन प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	-	(7.44)
व्यापार देयताओं में वृद्धि/(कमी)	1,210.38	1,353.49
अन्य चालू वित्तीय देयताओं में वृद्धि/(कमी)	4.36	(159.09)
अन्य वर्तमान देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(90.04)	226.77
चालू प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	53.37	(261.92)
प्रचालन गतिविधियों से नक़द प्रवाह	**751.06**	**7,880.08**
घटाएँ: प्रदत्त आयकर (निवल)	(2,146.06)	606.22
प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त निवल नक़द	**(1,395.00)**	**8,486.30**
ख. निवेश गतिविधियों से नक़द प्रवाह		
अन्य बैंक शेष और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	8,024.44	(4,537.10)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की ख़रीद	(8.76)	(7.83)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री	0.04	-
बैंकों में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज	8,652.82	6,591.58
निवेश गतिविधियों से प्राप्त/(इनमें प्रयुक्त)निवल नक़द	**16,668.54**	**2,046.65**

ग. वित्तीय गतिविधियों से नक़द प्रवाह		
पट्टा देयता पर चुकाया गया ब्याज	(0.10)	(0.10)
लाभांश भुगतान	(7,380.00)	(7,434.00)
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नक़द	**(7,380.10)**	**(7,434.10)**
नक़द और नक़द समतुल्यों में निवल (कमी)/वृद्धि	**7,893.44**	**3,098.85**
वर्ष के आरंभ में नक़द एवं नक़द समतुल्य (नोट 11 देखें)	18,364.36	15,265.51
वर्ष के अंत में नक़द एवं नक़द समतुल्य (नोट 11 देखें)	**26,257.80**	**18,364.36**
नक़द एवं नक़द समतुल्य के घटक		
बैंकों में जमा शेष राशि	87.44	524.25
3 महीने से कम या बराबर की परिपक्वता अवधि वाली बैंक जमा	26,170.26	17,840.00
नक़दी	0.10	0.11
	26,257.80	**18,364.36**

महत्वपूर्ण लेखा-विधि नीतियाँ **नोट 3**

संलग्न नोट संख्या 1 से 58 इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

हमारी समतिथीय रिपोर्ट में इस नक़द प्रवाह विवरणी का संदर्भ निहित है।

कृते मुकुंद शिवा एवं ॲसोसिएटस
सनदी लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीयन संख्या : 011768S

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशकमंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
मुकुंदा	**संजय कुमार अग्रवाल**	**मोहन महादेवन**	**जी. आनंदनारायणन**
भागीदार	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)/ निदेशक (वित्त)	निदेशक	कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : 215774	डी.आई.एन : 08200144	डी.आई.एन : 07267450	आइ.सी.एस.आई सदस्यता संख्या 13691
यू.डी.आई.एन: 25215774BMIQSE5458	बेंगलूरु	बेंगलूरु	बेंगलूरु
बेंगलूरु	30 जून, 2025	30 जून, 2025	30 जून, 2025
30 जून, 2025			

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट
(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

1. कंपनी का सिंहावलोकन

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("एन्ट्रिक्स" या "कंपनी") भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम द्वारा विकसित उत्पादों तथा सेवाओं के विपणन में शामिल है। एन्ट्रिक्स, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। एन्ट्रिक्स, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का वाणिज्यिक अंग है।

एन्ट्रिक्स के व्यापारिक क्रियाकलाप इस प्रकार हैं:

- संचार उपग्रह प्रेषानुकर का प्रावधान
- भारतीय सुदूर संवेदन (आई.आर.एस.) हेतु अभिगमन प्रदान करना
- ग्राहक सेवाओं हेतु उपग्रह प्रमोचन सेवाएँ प्रदान करना
- भारतीय एवं विदेशी सुदूर संवेदन उपग्रहों से प्राप्त आँकड़ों का विपणन
- उपग्रह, उपग्रह उपप्रणाली एवं प्रमोचन यान उपप्रणाली का निर्माण एवं विपणन
- अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए संबद्ध भू-अवसंरचना स्थापित करना; तथा
- उपग्रह के लिए मिशन सहायता सेवाएँ।

अंतरिक्ष भवन परिसर, न्यू बी.ई.एल रोड, बेंगलूरु-560094 में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

निदेशकमंडल ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी को अनुमोदन प्रदान किया और इसे 30 जून, 2025 को जारी करने के लिए अधिकृत किया।

2. अनुपालन-विवरण

ये वित्तीय विवरणी भारतीय लेखा मानक (इण्ड ए.एस.) के अनुरूप यथावर्णित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133, समय-समय पर यथासंशोधित पठ्य कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, के तहत तैयार किए गए हैं।

3. महत्वपूर्ण लेखाविधि नीतियों का सारांश

3.1 तैयारी एवं प्रस्तुति का आधार

ये वित्तीय विवरणी प्रोद्भवन के आधार पर ऐतिहासिक लागत के तहत इण्ड ए.एस. के अनुरूप तैयार की गई हैं सिवाय कुछ वित्तीय संलेखों के जिनका मापन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों या परिशोधित लागत के आधार पर किया गया है।

वर्गीकरण विभाजन से संबंधित वित्तीय विवरणी इण्ड ए.एस.1," वित्तीय विवरणी की प्रस्तुति "में समाविष्ट है| स्पष्टता के लिए, लाभ तथा हानि लेखा एवं तुलनपत्र में कई मद समेकित किए गए हैं| ये मद, वित्तीय विवरणी की नोट, जहाँ कहीं भी लागू हो, में अलग से रखे गए हैं| ये वित्तीय विवरणी अधिनियम की अनुसूची ।।। के तहत निर्धारित प्रारूप में तैयार और प्रस्तुत की गई हैं।

जहाँ नए जारी किए गए लेखा मानक प्रारंभ में अपनाए गए हों या उस समय उपयोग में आने वाली लेखाविधि नीतियों में बदलाव के लिए विद्यमान लेखा मानक में संशोधन जरूरी हुआ हो, को छोड़ कर लेखाविधि नीतियाँ सुसंगत ढंग से लागू की गई हैं।

3.2 प्रकार्यात्मक एवं प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरणी भारतीय रुपए (₹), जो कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा है, में प्रस्तुत की गई है। सभी राशियाँ निकटतम लाख के मान में पूर्ण की गई हैं।

3.3 प्रचालन-चक्र एवं चालू तथा दीर्घकालीन वर्गीकरण

परिसंपत्ति एवं देयता के चालू/दीर्घकालीन वर्गीकरण के उद्देश्य से, कंपनी ने अपने सामान्य प्रचालन-चक्र को बारह महीने का नियत कर रखा है| यह सेवाओं की प्रकृति एवं संपत्ति या सूची को प्रक्रमित करने एवं उन्हें नकद और नकद समतुल्य प्रापण के बीच लगने वाले समय पर आधारित है।

कोई भी परिसंपत्ति या देयता चालू मानी जाएगी अगर वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करती है :

i. कंपनी के सामान्य परिचालन काल में ही किसी परिसंपत्ति/देयता को प्राप्त/भुगतान किया जा सके;

ii. परिसंपत्ति बिक्री या उपभोग के लिए अभिलक्षित हो;

iii. परिसंपत्ति/देयता को मूलत: व्यापार के लिए रखा जाए;

iv. रेपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर परिसंपत्ति/देयता को प्राप्त/भुगतान किया जा सके;

v. परिसंपत्ति नकद या नकद समतुल्य है जबतक इसकी अदला-बदली पर रोक न लगी हो या विवरित अवधि के कम-से-कम बारह महीने के बाद देयता के भुगतान के लिए उपयोग में न लाई जा सके;

vi. जहाँ तक देयता का प्रश्न है, कंपनी को विवरित अवधि के कम-से-कम बारह महीने के बाद भी देयता के भुगतान को टालने का कोई बिना शर्त अधिकार प्राप्त नहीं है।

अन्य सभी परिसंपत्ति या देयता दीर्घकालीन मानी जाती हैं।

3.4 आकलन एवं निर्णय के उपयोग

इण्ड ए.एस. के अनुरूप वित्तीय विवरणी की तैयारी में आकलन, निर्णय एवं पूर्वानुमान हेतु प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। ये आकलन, निर्णय एवं पूर्वानुमान परिसंपत्ति तथा देयता की राशि से संबंधित सूचना, वित्तीय विवरणी की तिथि तक आकस्मिक परिसंपत्ति तथा देयता के प्रकटीकरण एवं अवधि के दौरान राजस्व तथा व्यय की राशि से संबंधित सूचना को प्रभावित करते हैं। इन आकलनों से वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं।

आकलनों तथा अधोगत पूर्वानुमान की समय-समय पर समीक्षा की जाती है| वह अवधि जब आकलनों को संशोधित किया जाता है और जब कोई भविष्य की अवधि प्रभावित होती है तब लेखाविधि आकलनों को संशोधन हेतु स्वीकार किया जाता है। विशेषकर, लेखाविधि नीतियों को लागू करने में आकलन के महत्वपूर्ण क्षेत्र, अनिश्चितता एवं समीक्षात्मक निर्णयों के बारे में सूचना जिसका वित्तीय विवरणी में स्वीकृत राशि पर अति महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, निम्नलिखित नोट में प्रकट किया गया है :

(i) राजस्व स्वीकृति

कंपनी, स्थाई मूल्य संविदाओं के संबंध में प्रगति की पूर्णता के मापन हेतु संविदा में यथासहमत पूर्णता विधि की प्रतिशतता में क्रियाकलापों की पूर्णता के चरण/अंतिम लक्ष्य का उपयोग करती है। लेखाविधि में पूर्णता विधि की प्रतिशतता कुल अपेक्षित संविदा राजस्व एवं लागत के आकलन पर निर्भर करती है। इस विधि का अनुसरण तब किया जाता है जब संविदा के विभिन्न तत्वों के लिए लागू होने वाले राजस्व और लागत के भरोसेमंद आकलन तैयार किए जाते हैं। चूँकि, इन संविदाओं की वित्तीय सूचना आकलन पर निर्भर करती है जिसकी इन संविदाओं की अवधि के दौरान जारी व्यापार के आधार पर आकलन और समीक्षा की जाती है, जैसे ही संविदा पूर्ण होने के कगार पर पहुँचती है वैसे ही स्वीकृत राजस्व और लाभ का संशोधन किया जाता है।

(ii) आयकर

कर आकलनों में कर की स्थिति धारणीय होने की संभावना से संबंधित निर्णय सहित आयकर के लिए प्रावधानों को निश्चित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। कर आकलन एक जटिल प्रक्रिया है जिसका हल विस्तारित समयावधि में निकाला जा सकता है।

(iii) आस्थगित कर

परिसंपत्ति एवं देयता तथा उनकी वाहित राशि के कर के मध्य उत्पन्न होने वाले निगम्य एवं कर-योग्य अस्थाई अंतर पर आस्थगित कर अभिलिखित किया जाता है, उस दर से जिसे रिपोर्टिंग तिथि तक क्रियान्वित या वास्तविक तौर पर क्रियान्वित किया गया है। अवधि के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति का अंतिम प्रापण भविष्य के करयोग्य लाभ के सृजन पर निर्भर करता है जिसमें वे अस्थाई अंतर और अग्रेनीत कर हानि कटौती

योग्य हो जाते हैं। कंपनी, इस आकलन को तैयार करने में आस्थगित कर देयता एवं भविष्य की प्रायोजित करयोग्य आय में उत्क्रमण पर विचार करती है। आस्थगित कर परिसंपत्ति की स्वीकार्य मान्य राशि, हालाँकि, निकट काल में कम किया जा सकता है यदि अग्रेनीतअवधि के दौरान भविष्य के करयोग्य आय के आकलन को कम किया जाता है।

(iv) पारिभाषित लाभ योजना एवं क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति

पारिभाषित लाभ योजना की लागत, क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति एवं पारिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य प्रायोजित यूनिट आकलन विधि का प्रयोग करता हुआ बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न पूर्वानुमान शामिल हैं जो भविष्य के वास्तविक विकास से भिन्न हो सकते हैं। इनमें छूट की दर, भविष्य में वेतन-वृद्धि एवं मृत्यु-दर शामिल है। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं एवं इनकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, यह पारिभाषित लाभ दायित्व इन पूर्वानुमानों में परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक सभी पूर्वानुमानों की समीक्षा की जाती है।

(v) वित्तीय परिसंपत्ति पर अपेक्षित ऋण हानि

वित्तीय परिसंपत्ति का क्षति प्रावधान, भुगतान नहीं करने के जोखिम के बारे में पूर्वानुमान एवं संग्रहण के समय पर आधारित है। कंपनी अपने अतीत के इतिहास, ग्राहकों की लेनदारी क्षमता, बाज़ार की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक भविष्य के आकलनों के आधार पर और कोविड-19 के प्रभाव को भी क्षति की गणना के लिए इन पूर्वानुमानों तथा इनपुट के चयन में निर्णय का उपयोग करती है।

(vi) कोविड-19 के कारण वैश्विक स्वास्थ्य महामारी से संबंधित अनिश्चतताओं का आकलन

कंपनी ने वित्तीय और ग़ैर-वित्तीय परिसंपत्ति की वाहित राशि की वापसी की प्रतिलभ्यता सहित इन वित्तीय विवरणी की तैयारी में कोविड-19 से संबंधित महामारी के परिणामस्वरूप पड़ने वाले संभावित प्रभाव पर विचार किया है। इन वित्तीय विवरणी की संस्तुति की तिथि तक कंपनी ने इस महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक अवस्था में भविष्य की संभावित अनिश्चितताओं से संबंधित पूर्वानुमान को विकसित करने में आकलन रिपोर्ट एवं संबंधित सूचना तथा आर्थिक भविष्यवाणी को उपयोग में लाया है और आशा करती है कि इन परिसंपत्तियों की वाहित राशि वापस ली जाएगी| कोविड-19 के कारण प्रभावित कंपनी की वित्तीय विवरणी और अनुमोदन की तिथि तक आकलित इन स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी में अंतर हो सकता है।

(vii) उचित मूल्य का मापन

वित्तीय एवं ग़ैर-वित्तीय परिसंपत्ति एवं देयता के लिए कंपनी की कुछ लेखाविधि नीतियों तथा प्रकटीकरण हेतु उचित मूल्य का मापन आवश्यक होता है।

मूल्यांकन तकनीकों में उपयोग में लाई जाने वाली इनपुट के आधार पर उचित मूल्य के

अनुक्रम में उचित मूल्य विभिन्न स्तरों पर वर्गीकृत किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं:

स्तर 1: समान परिसंपत्ति या देयता के लिए सक्रिय बाज़ारों में उद्‌धृत मूल्य (असमायोजित)

स्तर 2: स्तर 1 में शामिल उद्‌धृत मूल्य को छोड़कर इनपुट जो परिसंपत्ति या देयता के लिए या तो प्रत्यक्ष (यानी मूल्य के रूप में) या अप्रत्यक्ष (यानी मूल्य से प्राप्त) के लिए प्रेक्षणीय है।

स्तर 3: परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो प्रेक्षणीय बाज़ार के आँकड़े पर आधारित नहीं है (अप्रेक्षणीय इनपुट)।

परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य के मापन में, जहाँ तक संभव हो, कंपनी प्रेक्षणीय बाज़ार के आँकड़े उपयोग करती है। यदि, परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य के मापन में प्रयुक्त इनपुट उचित मूल्य के अनुक्रम में विभिन्न स्तरों के तहत आती हैं, तब उचित मूल्य मापन पूरी तौर पर उचित मूल्य के अनुक्रम में समान स्तर में निम्नतम स्तर की इनपुट के तौर पर वर्गीकृत की जाती हैं जो पूरे मापन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं।

3.5 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(i) मान्यता एवं मापन

संचित मूल्यह्रास एवं संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का उल्लेख किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मद की लागत में व्यापार बट्टा, छूट और आयात शुल्क एवं अप्रतिदेय क्रय कर सहित, इनके क्रय मूल्य की कटौती के बाद, इसके अभिलक्षित उपयोग के लिए मद को कामकाजी स्थिति में लाने से संबंधित प्रत्यक्ष लागत को पुन: स्थापित करने के लिए आकलित लागत शामिल हैं।

यदि संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के महत्वपूर्ण अंगों का कोई अलग से उपयोगी जीवन है तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के इतर मद (प्रमुख घटक) में गिना जाता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मद के निपटारे में किसी लाभ एवं हानि को लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है।

(ii) इण्ड ए.एस. में अंतरण

इण्ड ए.एस. में संक्रमण पर, कंपनी ने पिछली जी.ए.ए.पी. के अनुसार मापित, 1 अप्रैल, 2015 तक अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के वाहित मूल्य के साथ जारी रहने का निर्णय लिया है, और ऐसी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की विचारित लागत के वाहित मूल्य का उपयोग करेगी (नोट 4 देखें)।

(iii) परवर्ती व्यय

परवर्ती व्यय पूँजीकृत तभी किया जाता है जब ऐसी संभावना हो कि व्यय से संबंधित

भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के पास आयेंगे।

(iv) मूल्यह्रास

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार, सरल रेखा विधि का उपयोग करते हुए उनके आकलित उपयोगी जीवन के ऊपर मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है। ₹0.05 लाख से कम लागत वाली परिसंपत्ति का शेष मूल्य परिसंपत्ति की मूल लागत का 0% होता है और अन्य सभी परिसंपत्तियों के लिए, परिसंपत्ति के शेष मूल्य परिसंपत्ति की लागत के 1% होते हैं। 1% के शेषमूल्य को परिसंपत्ति को अधिकतम सीमा तक कम करने के लिए प्रतिफलित किया जाता है। कंपनी द्वारा यथानिर्धारित परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन इसप्रकार हैं:

परिसंपत्ति की प्रकृति	उपयोगी जीवन
संयत्र एवं यंत्र-समूह	15 वर्ष
भवन	60 वर्ष
भवन (अस्थाई निर्माण)	3 वर्ष
भवन (बाड़, इत्यादि)	5 वर्ष
फर्नीचर एवं अन्य सामग्री	10 वर्ष
वाहन	8 वर्ष
कम्प्यूटर एवं अन्य सहायक सामग्री	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
विद्युतीय व्यवस्था	10 वर्ष
सर्वर और नेटवर्क	6 वर्ष

3.6 अमूर्त परिसंपत्ति

संचित परिशोधन एवं क्षति को घटाकर लागत पर अमूर्त परिसंपत्ति का उल्लेख किया जाता है। आकलित उपयोगी जीवन/परिशोधन अनुज्ञप्ति की अवधि है और इसके न होने की स्थिति में 5 वर्ष है। यह सरल रेखा विधि द्वारा परिशोधित किया जाता है।

3.7 वस्तुसूची

कच्चा माल, कार्य-प्रगति एवं परिसज्जित माल निम्न-लागत तथा आकलित प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं। माल की लागत का निर्धारण पहले डालो, पहले निकालो सूत्र के आधार पर किया जाता है और इसमें सामान-सूची प्राप्त करने में लगे व्यय और उन्हें उनके वर्तमान स्थान एवं स्थिति में लाने में लगी अन्य लागत शामिल हैं। कार्य-प्रगति एवं परिसज्जित माल की लागत में रूपांतरण की लागत शामिल है।

3.8 राजस्व प्रापण

(i) उत्पादों की बिक्री

राजस्व, सभी परोक्ष करों से निवल, तभी स्वीकार किए जाते हैं जब माल ग्राहकों अथवा उनके द्वारा निर्धारित/ठेके पर दी गई परियोजना को सौंपा जाता है। हालाँकि, यदि ग्राहक के अनुरोध पर सुपुर्दगी में विलम्ब होता है और ग्राहक यह जिम्मेदारी लेकर बिल स्वीकार

कर लेता है तो राजस्व स्वीकार कर लिए जाते हैं। यद्यपि भौतिक रूप से माल की सुपुर्दगी नहीं की गई तथापि यह आशा की जाती है कि माल सुपर्दगी के लिए हस्तगत, चिह्नित एवं तैयार है और सुपुर्दगी कर दी जाएगी और,यदि संस्थापना/निरीक्षण किए जाने की शर्तों के निमित्त हो तो राजस्व को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाता जब तक कि ग्राहक सुपुर्दगी स्वीकार नहीं कर ले और संस्थापना/निरीक्षण पूरा न हो जाए।

(ii) सेवाएँ

क) प्रमोचन, संस्थापन, अभिचालन और परीक्षण

ग्राहक के साथ हुए करार के अनुरूप अंतिम लक्ष्य/काम के पूरा के बाद ही सभी परोक्ष करों से निवल राजस्व स्वीकार किए जाते हैं।

ख) अभिगम शुल्क, अंतरिक्ष खंड, मिशन सहायता इत्यादि

चाहे एक बार की सेवा हो या आवर्ती सेवा, उसे प्रदान करने या समय-समय पर संविदा के अनुरूप सेवा की प्रकृति के आधार पर सभी परोक्ष करों से निवल राजस्व एक बार स्वीकार किए जाते हैं।

ग) परामर्शिता

परामर्शिता प्रदान करने या समय-समय पर संविदा के अनुरूप परामर्शिता की प्रकृति के आधार पर सभी परोक्ष करों से निवल राजस्व एक बार स्वीकार किए जाते हैं।

(iii) सम्मिश्र संविदा

उपर्युक्त मद (i) एवं (ii) में उल्लिखित नीति के अनुरूप सम्मिश्र संविदा के प्रत्येक मद के लिए राजस्व स्वीकार किए जाते हैं।

(iv) अन्य आय

क) ब्याज

ब्याज से आय प्रोद्भवन के आधार पर स्वीकार की जाती है। जबकि ब्यापार प्राप्तियों पर ब्याज से प्राप्त आय प्राप्ति के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ख) रॉयल्टी

ग्राहकों से प्राप्त स्वीकृति पर आधारित रॉयल्टी की गणना प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है।

ग) निवेश से प्राप्त लाभांश

निवेश से प्राप्त लाभांश तब स्वीकार किया जाता है जब भुगतान पाने के लिए कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है।

3.9 विदेशी मुद्रा अंतरण

(i) प्रारंभिक स्वीकृति

अंतरण की तिथि तक विनिमय दर को लागू कर प्रकार्यात्मक मुद्रा में विदेशी मुद्रा अंतरण अभिलिखित किए जाते हैं।

(ii) परवर्ती मापन

विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देयता रिपोर्टिंग तिथि तकविनिमय दर से प्रकार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किए जाते हैं| ग़ैर-मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देयता जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के आधार पर मापन किया जाता है, उन्हें पुन: परिवर्तित नहीं किया जाता है। लाभ तथा हानि लेखा में विनिमय अंतर को स्वीकार किया जाता है।

3.10 वित्तीय संलेख

(i) स्वीकृति एवं आरंभिक मापन

व्यापार प्राप्तियाँ प्रारंभिक रूप से तभी स्वीकृत होते हैं जब वे उद्भूत होते हैं। बाकी सभी वित्तीय परिसंपत्ति एवं वित्तीय देयता प्रारंभिक रूप से तभी स्वीकृत होते हैं जब कंपनी संलेख के संविदात्मक प्रावधानों के भागीदार बनती है।

वित्तीय परिसंपत्ति एवं वित्तीय देयता प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर मापित होते हैं। लेन-देन लागत जो सीधे तौर पर अधिग्रहण या निर्गमन से संबंधित होते हैं, उन्हें तत्काल लाभ तथा हानि लेखा के ज़रिए उचित मूल्य पर लेखा-विधित किया जाता है।

(ii) वर्गीकरण एवं परवर्ती मापन

क) वित्तीय परिसंपत्ति

प्रारंभिक स्वीकृति पर वित्तीय परिसंपत्ति को मापित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है :

- परिशोधित लागत;
- एफ.वी.टी.पी.एल (लाभ तथा हानि द्वारा उचित मूल्य)
- एफ.वी.ओ.सी.आई (अन्य व्यापक आय द्वारा उचित मूल्य)

वित्तीय परिसंपत्ति अपनी प्रारंभिक स्वीकृति के बाद पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाती सिवाय उस अवधि के दौरान जब कंपनी अपने वित्तीय परिसंपत्ति के प्रबंधन के लिए अपने व्यापार-प्रारूप को परिवर्तित करती है।

वित्तीय परिसंपत्ति परिशोधित लागत पर मापित की जाती है यदि यह दोनों निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है और एफ.वी.टी.पी.एल. के तौर पर निर्दिष्ट नहीं है :

- एक व्यापारिक प्रारूप के अंदर परिसंपत्ति रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाह को संग्रहित करने के लिए परिसंपत्ति को धारित रखना है।
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्त किसी विशिष्ट तिथि में नकद प्रवाह का सृजन करती है जो बचे हुए मूलधन पर मूलधन और ब्याज का पूर्णत: भुगतान होती है।

ऋण निवेश एफ.वी.ओ.सी.एल. पर मापित किया जाता है यह दोनों निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है और एफ.वी.टी.पी.एल. के तौर पर निर्दिष्ट नहीं है :

- एक व्यापारिक प्रारूप के अंदर परिसंपत्ति रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाह को संग्रहितकर और वित्तीय परिसंपत्ति को बेचकर प्राप्त किया जाता है।
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्त किसी विशिष्ट तिथि में नकद प्रवाह का सृजन करती है जो बचे हुए मूलधन पर मूलधन और ब्याज का पूर्णत: भुगतान होती है।

एक्विटी निवेश की प्रारंभिक स्वीकृति जिसे व्यापार के लिए धारित नहीं किया गया है, कंपनी, ओ.सी.आई में निवेश के उचित मूल्य में अप्रत्यादेय तौर पर परवर्ती परिवर्तन के लिए चयन कर सकती है (एफ.वी.ओ.सी.आई. के रूप में निर्दिष्ट-एक्विटी निवेश)। यह चयन निवेश-दर-निवेश आधार पर किया जाता है।

सभी वित्तीय परिसंपत्ति जो परिशोधित लागत या एफ.वी.ओ.सी.एल. पर मापित के रूप में वर्गीकृत नहीं की जाती हैं उन्हें एफ.वी.टी.पी.एल. पर मापित किया जाता है।

एफ.वी.टी.पी.एल. पर वित्तीय परिसंप्ति	ये परिसंपत्ति बाद में उचित मूल्य पर मापित किए जाते हैं| किसी ब्याज या लाभांश आय सहित शुद्ध लाभ और हानि को लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है।
एफ.वी.ओ.सी.एल. पर ऋण निवेश	ये परिसंपत्ति बाद में उचित मूल्य पर मापित किए जाते हैं| प्रभावी ब्याज विधि के तहत ब्याज से आय, विदेशी विनिमय से लाभ तथा हानि और क्षतिलाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किए जाते हैं| अन्य शुद्ध लाभ तथा हानि ओ.सी.आइ. में स्वीकार किए जाते हैं| अस्वीकृति की स्थिति में, ओ.सी.आइ. में जमा लाभ तथा हानि लाभ एवं हानि लेखा के रूप में पुनर्वर्गीकृत किए जाते हैं।
एफ.वी.ओ.सी.आइ.में एक्विटी निवेश	ये परिसंपत्ति बाद में उचित मूल्य पर मापित किए जाते हैं। निवेश की लागत के भाग के रूप में वापसी को इंगित करते हुए लाभांश को छोड़कर अन्य लाभांश को लाभ तथा हानि लेखा में आय के रूप में स्वीकार किया जाता है। अन्य शुद्ध लाभ तथा हानि ओ.सी.आइ. में स्वीकार किए जाते हैं और लाभ एवं हानि लेखा के रूप में पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाते हैं।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति	प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से ये परिसंपत्ति बाद में परिशोधित लागत पर मापित किए जाते हैं। यह परिशोधित लागत क्षति हानि द्वारा कम किया जाता है। ब्याज से आय, विदेशी विनिमय से लाभ तथा हानि और क्षतिलाभ तथा हानि लेखामें स्वीकार किए जाते हैं। अस्वीकृति की स्थिति में किसी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि लेखा के रूप में स्वीकार किया जाता है।

ख) वित्तीय देयता

वित्तीय देयता परिशोधित लागत या एफ.वी.टी.पी.एल. पर मापित की जाती हैं| किसी वित्तीय देयता को एफ.वी.टी.पी.एल. पर मापित तभी किया जाता है जब इसे व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है| एफ.वी.टी.पी.एल. पर वित्तीय देयता उचित मूल्य एवं किसी ब्याज व्यय सहित शुद्ध लाभ तथा हानि में मापित की जाती हैं और लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार की जाती हैं| प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से अन्य वित्तीय देयता बाद में परिशोधित लागत पर मापित की जाती हैं| ब्याज व्यय एवं विदेशी विनिमय लाभ तथा हानि, लाभ एवं हानि लेखा में स्वीकर किए जाते हैं| अस्वीकृति की स्थिति में किसी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है|

(iii) अस्वीकृति

क) वित्तीय परिसंपत्ति

कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को अस्वीकार करती है जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकद प्रवाह का संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाता है या यह संविदात्मक नकद प्रवाह को प्राप्त करने के लिए अधिकार को लेन-देन में अंतरित कर देती है जिसमें वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के संपूर्ण जोखिम तथा पुरस्कार अंतरित होते हैं या जिसमें कंपनी स्वामित्व के संपूर्ण जोखिम तथा पुरस्कार को न तो अंतरित या मूल रूप से धारित करती है और वित्तीय परिसंपत्ति के नियंत्रण को धारित नहीं करती है।

ख) वित्तीय देयता

कंपनी वित्तीय देयता को अस्वीकार करती है जब इसका संविदात्मक दायित्व पूरा या निरस्त या समाप्त हो जाता है।

कंपनी वित्तीय देयता को तब भी अस्वीकार करती है जब इसकी शर्तें संशोधित की जाती हैं और संशोधित शर्तों के तहत नकद प्रवाह मूल रूप से अलग होते हैं| समाप्त हो चुकी वित्तीय देयता की वाहित राशि और संशोधित शर्तों के साथ नई वित्तीय देयता का अंतर लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है।

3.11 क्षति

(i) वित्तीय संलेख की क्षति

कंपनी संभावित ऋण हानि के लिए इन पर हानि भत्ता को स्वीकार करती है:

- परिशोधन लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्ति

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या परिशोधित लागत पर वाहित वित्तीय परिसंपत्ति ऋण-क्षतिग्रस्त है, वित्तीय परिसंपत्ति 'ऋण-क्षतिग्रस्त' तब होती है जब एक या अधिक अवसर जिसका वित्तीय परिसंपत्ति के भविष्य के आकलित नकद प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

वह प्रमाण कि वित्तीय परिसंपत्ति 'ऋण-क्षतिग्रस्त' है, में निम्नलिखित प्रेक्षणीय आँकड़े शामिल हैं :

- लेनदार या देनदार की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई
- करार भंग होना जैसे चूक या 365 दिनों या उससे अधिक के लिए बाकी
- उन शर्तों पर कि कंपनी द्वारा ऋण या अग्रिम की पुनर्रचना पर कंपनी विचार नहीं करेगी
- वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रतिभूति के लिए सक्रिय बाज़ार का ग़ायब होना व्यापार प्राप्तियों के लिए हानि भत्ता का मापन अपेक्षित जीवनकाल जमा राशि की हानि के बराबर की राशि पर किया जाता है।

(ii) ग़ैर-वित्तीय परिसंपत्ति की क्षति

अन्य कर परिसंपत्ति को छोड़कर कंपनी की ग़ैर-वित्तीय परिसंपत्ति की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि क्या क्षति के कोई संकेत हैं? यदि इस तरह के कोई संकेत दिखते हैं तो परिसंपत्ति की वापस योग्य राशि का आकलन किया जाता है।

क्षति परीक्षण के लिए, परिसंपत्ति जो स्वतंत्र नकद अंतर्प्रवाह सृजित नहीं करती उन्हें नकद-सृजन इकाइयों (सी.जी.यू.) में वर्गित किया जाता है। प्रत्येक सी.जी.यू. परिसंपत्ति के छोटे समूह को सूचित करते हैं जो नकद अंतर्प्रवाह सृजित करते हैं और जो अन्य परिसंपत्ति के नकद अंतर्प्रवाह या सी.जी.यू से प्रमुखतया स्वतंत्र होते हैं।

क्षति हानि तब स्वीकार की जाती है जब किसी परिसंपत्ति की वाहित राशि या सी.जी.यू अपनी आकलित वापसी योग्य राशि को पार कर जाती है।

3.12 कर्मचारी लाभ

(क) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

वह अवधि जिसमें कर्मचारी अपनी सेवाएँ प्रदान करता है उस दौरान उसे बिना कटौती के अल्पावधि कर्मचारी लाभ जैसे वेतन, अधिलाभ, अनुग्रह-राशि दिए जाते हैं।

(ख) उपदान

कंपनी अपने सभी कर्मचारियों को उपदान, एक पारिभाषित लाभ योजना, प्रदान करती

है| योजना के तहत, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय या रोज़गार समाप्त होने के बाद कंपनी में संबंधित कर्मचारियों के वेतन और उनके सेवाकाल के आधार पर एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है।
वर्ष के अंत में, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान की राशि निर्धारित की जाती है।

निवल पारिभाषित लाभ देयता का पुनर्मूल्यांकन जिसमें बीमांकिक लाभ या हानि शामिल हैं, ओ.सी.आई . में स्वीकार किया जाता है। पारिभाषित लाभ योजना से संबंधित निवल ब्याज व्यय तथा अन्य व्यय, लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किए जाते हैं।

(ग) राष्ट्रीय पेंशन योजना (कॉर्पोरेट मॉडल योजना)

राष्ट्रीय पेंशन योजना (कॉर्पोरेट मॉडल योजना) में कंपनी के कार्मिक शामिल हैं। पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेंशन योजना (कॉर्पोरेट मॉडल योजना), जो एक पारिभाषित अंशदान योजना है, में कंपनी मूल वेतन तथा महँगाई भत्ता का 14% का योगदान देती है| अंशदान को प्रोद्भवन के आधार पर लेखित किया जाता है और लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है।

(घ) क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति

कंपनी के कर्मचारियों के लिए अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है। दीर्घकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति जो एक अन्य दीर्घकालिक रोज़गार लाभ योजना है, एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा कार्यान्वित तुलनपत्र की तिथि तक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखित होता है| बीमांकिक लाभ/हानि, लाभ तथा हानि लेखा में तुरंत स्वीकार किए जाते हैं।

(ङ) डाक जीवन बीमा (पी.एल.आइ.)

कंपनी, स्वीकृत नीति के अनुरूप कर्मचारियों के नाम पी.एल.आइ. प्रीमियम के 50% का अंशदान देती है।

3.13 आयकर

आयकर में चालू तथा आस्थगित कर शामिल हैं। इसे लाभ या हानि में स्वीकार किया जाता है सिवाय इसके कि मद को सीधे एक्विटी में या अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया गया है।

(i) चालू कर

चालू कर में, करयोग्य आय में देय या प्राप्य अपेक्षित कर या वर्ष के लिए हानि और पिछले वर्ष के लिए देय या प्राप्य कर का समायोजन शामिल है। आयकर से जुड़ी अनिश्चितता, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद देय या प्राप्य अपेक्षित कर राशि का आकलन

चालू कर की राशि से परिलक्षित होती है। इसे रिपोर्टिंग तिथि तक, अधिनियमित या विशेष रूप से अधिनियमित कर दर (और कर नियम) के उपयोग से मापित किया जाता है।

चालू कर परिसंपत्ति और चालू कर देयता केवल क्षति की पूर्ति है यदि स्वीकृत राशि को अंकित करने के लिए विधिवत् कार्यान्वित करने योग्य अधिकार हो, और यह निवल आधार पर या समकाल में परिसंपत्ति को प्राप्त करने और देयता को स्थापित करने के लिए अभिलक्षित हो।

(ii) आस्थगित कर

वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु परिसंपत्ति एवं देयता की वाहित राशियों और कर-निर्धारण के उद्देश्य हेतु संबंधित राशियों के बीच अस्थाई अंतर के सापेक्ष आस्थगित कर स्वीकृत किया जाता है। आस्थगित कर, अग्रेनीत कर हानि और कर जमा के सापेक्ष भी स्वीकृत किया जाता है। आस्थगित कर इन कारणों से नहीं स्वीकार किए जाते हैं:

- किसी अंतरण में, परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक स्वीकृति से उभरने वाले अस्थाई अंतर जो व्यापार-योग नहीं है और जो अंतरण के समय न तो लेखाविधि और न ही करयोग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता हो;

- साख की प्रारंभिक स्वीकृति से उभरने वाले करयोग्य अस्थाई अंतर।

आस्थगित कर परिसंपत्ति उस सीमा तक स्वीकार की जाती है जब ऐसा संभव हो कि भविष्य के करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेंगे जिनके विरुद्ध वे उपयोग में लाए जा सकते हैं| आस्थगित कर परिसंपत्ति-अस्वीकृत या स्वीकृत की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक समीक्षा की जाती है और उस सीमा तक स्वीकृत/कम की जाती है जब ऐसा क्रमश: संभव/असंभव हो कि संबंधित कर लाभ स्वीकृत होंगे।

आस्थगित कर, कर दरों पर मापित किए जाते हैं जो उस अवधि के लिए लागू होने के लिए अपेक्षित होते हैं जब रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित/विशेष रूप से अधिनियमित नियम पर आधारित परिसंपत्ति स्वीकृत होती है या देयता स्थापित होती है।

रिपोर्टिंग तिथि तक अपनी परिसंपत्ति और देयताओं की वाहित राशि की वसूली करने या इसे निश्चित करने के लिए कंपनी की अपेक्षाओं के तौर-तरीकों के अनुरूप अनुसरण करने वाला कर परिणाम आस्थगित कर का मापन परिलक्षित करता है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति और देयताएँ प्रतितुल्य हैं यदि चालू कर देयताओं और परिसंपत्तियों की क्षतिपूर्ति हेतु कोई विधिक प्रवर्तनीय अधिकार है। और, ये समान करयोग्य मदें या विभिन्न कर मदें, जिन पर समान कर प्राधिकरण द्वारा आयकर लगाए गए हैं, को निरूपित करते हैं। लेकिन वे चालू कर परिसंपत्ति और देयताओं को निवल

आधार पर निर्धारित करना चाहते हैं या उनकी कर परिसंपत्ति और देयताएँ साथ-साथ प्राप्य होंगी।

3.14 प्रति शेयर आय

वर्ष के लिए एक्विटी शेयर धारक से संबंधित शुद्ध लाभ या हानि को वर्ष के दौरान एक्विटी शेयर के बची हुई भारित औसत संख्या से विभाजित कर प्रति शेयर प्रारंभिक आय की गणना की जाती है। वर्ष के दौरान एक्विटी शेयर के बची हुई भारित औसत संख्या को अधिलाभ शेयर जारी करने के अवसर (यदि कोई हो) हेतु समायोजित किया जाता है।

प्रति शेयर मिश्रित आय की गणना के उद्देश्य से, वर्ष के लिए एक्विटी शेयर धारक से संबंधित शुद्ध लाभ या हानि और वर्ष के दौरान एक्विटी शेयर के बची हुई भारित औसत संख्या को सभी मिश्रित प्रमुख एक्विटी शेयर के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

3.15 प्रावधान और आकस्मिकता

प्रावधान स्वीकृत तब किया जाता है जब किसी प्रतिष्ठान के पास पिछली घटनाओं के कारण वर्तमान दायित्व होता है; यह संभव है कि संसाधन का बहिर्प्रवाह दायित्व को स्थापित करने के लिए आवश्यक होगा। इन्हें प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि तक एवं वर्तमान उत्तम आकलनों को परिलक्षित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

जब कोई संभावित दायित्व या कोई वर्तमान दायित्व जिसमें संसाधन का बहिर्प्रवाह हो, जो कि संभवत: नहीं होगा, तभी आकस्मिक देयता हेतु प्रकटीकरण किया जाता है। जहाँ संभावित दायित्व हो या वर्तमान दायित्व हो जिसमें संसाधन के बहिर्प्रवाह की संभावना क्षीण हो, कोई प्रावधान या प्रकटीकरण किया जाता है। वित्तीय विवरणी में आकस्मिक परिसंपत्ति न तो स्वीकार की जाती है, और न ही प्रकट की जाती है।

3.16 नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में तीन महीने या कम की वास्तविक परिपक्वता वाले नकद, बैंक में जमा एवं अल्पकालिक निवेश शामिल हैं जो नकद में तुरंत परिवर्तनीय हैं और मूल्य में परिवर्तन के निरर्थक जोखिम के तहत हैं।

3.17 सरकारी अनुदान

अंतरिक्ष विभाग को प्रदत्त पट्टा भूमि किराए के उचित मूल्य और पट्टा भूमि किराए के वास्तविक मूल्य के अंतर को आर्थिक सरकारी अनुदान माना गया है। लाभ तथा हानि लेखा के आय एवं व्यय भाग में उन दोनों को वैचारिक रूप से संपूर्ण कर लेखाविधित किया गया है।

3.18 पट्टा

01 अप्रैल 2019 से प्रभावी, कंपनी ने इण्ड-ए.एस. 116-पट्टा को अपनाया है और संशोधित पिछली पद्द्धति को अपनाकर इसे 01 अप्रैल 2019 को विद्यमान सभी पट्टा संविदा पर लागू

किया है। उसी के आधार पर और मानक में अनुमन्य विशिष्ट परिवर्तनीय प्रावधानों के अंतर्गत, कंपनी के लिए तुलनात्मक आँकड़ों की पुनरुक्ति आवश्यक नहीं है।

सभी पट्टों को उपयोगाधिकार परिसंपत्ति एवं पट्टा देयता मानकर लेखाविधित किया जाता है, सिवाय इनके:

- कम मूल्य की परिसंपत्ति का पट्टा

- 12 महीने या कम की अवधि का पट्टा

नोट: कंपनी के पास कोई निम्न मूल्य या अल्पकालिक पट्टे नहीं हैं|

दिनांक 01 अप्रैल 2019 के आरंभिक अनुप्रयोग के बाद ये नीतियाँ लागू होती हैं:

पट्टा शर्त से जुड़े पट्टेदार की संविदा भुगतान बकाया के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता का मापन किया जाता है, पट्टे में शामिल दर के संदर्भ में बट्टा दर निर्धारित की जाती है बशर्ते (किसी विशेष स्थिति में) इसे आसानी से निर्धारित नहीं की जा सके, ऐसे हालात में पट्टे के शुरु होने पर कंपनी की वृद्धि उधार दर का उपयोग किया जाता है। परिवर्तनीय पट्टा भुगतान को पट्टा देयता मापन में तभी शामिल किया जाता है जब वे सूची या दर पर आश्रित होते हैं। ऐसी स्थिति में, पट्टा देयता का आरंभिक मापन परिवर्तनीय तत्व ग्रह्ण करता है जो पट्टा की पूरी अवधि तक अपरिवर्तित रहता है। अन्य परिवर्तनीय पट्टा भुगतान का व्यय उसी अवधि में किया जाता है जिससे वे संबंधित होते हैं।

आरंभिक स्वीकृति में, पट्टा देयता के वाहित मान में निम्नलिखित शामिल हैं:

- किसी बाकी बचे मूल्य गारंटी के अंतर्गत देय अपेक्षित राशि
- कंपनी के पक्ष में दी गई किसी क्रय विकल्प के प्रयोग मूल्य यदि उस विकल्प का आकलन करने के लिए तार्किक रूप से निश्चित हो।
- पट्टे को समाप्त करने के लिए कोई शास्ति, यदि पट्टे की शर्त का आकलन प्रयोग में लाए गए समापन विकल्प के आधार पर अनुमानित किया गया है।

उपयोगाधिकार परिसंपत्ति का आरंभिक मापन पट्टा देयता की राशि पर होता है जिसे किसी प्राप्त पट्टा प्रोत्साहन हेतु कम किया जाता है, और निम्नलिखित के लिए बढ़ाया जाता है:

- पट्टा के आरंभ होने पर या उससे पहले पट्टा का भुगतान किया जाता है;
- आरंभिक सीधी लागत लगाई जाती है; और
- किसी प्रावधान राशि को स्वीकार किया जाता है जहाँ कंपनी संविदा के आधार पर पट्टाधारित परिसंपत्ति को विध्वंस करने, हटाने या पुन:स्थापित करने की आवश्यकता महसूस करती है।

आरंभिक मापन के परिणामस्वरूप, बकाया राशि पर नियत दर से लिए जाने वाले ब्याज के चलते पट्टा देयता बढ़ जाती है, और पट्टे के भुगतान के लिए कम कर दी जाती है| उपयोगाधिकार परिसंपत्ति, पट्टे की बाकी बची हुई अवधि के लिए या कदाचित् परिसंपत्ति के बाकी बचे आर्थिक जीवन के लिए, क्योंकि इसे पट्टे की अवधि से कम माना जाता है, सरल रेखा आधार पर परिशोधित की जाती हैं।

जब कंपनी, अपने किसी पट्टे की अवधि के अनुमान को संशोधित करती है तो यह पट्टा देयता की वाहित राशि को संशोधित अवधि के लिए भुगतान हेतु हस्तांतरित करने के लिए समायोजित करती है जिसे संशोधित बट्टा दर का उपयोग कर छूट दी जाती है। पट्टा देयता के वाहित मूल्य को भी ठीक इसी तरह संशोधित किया जाता है जब दर या सूची पर आधारित भविष्य के पट्टे के भुगतान के परिवर्तनीय तत्व को संशोधित किया जाता है, सिवाय तब कि बट्टा दर अपरिवर्तित रहती है। दोनों स्थिति में, बाकी बचे (संशोधित) पट्टा की अवधि के लिए संशोधित वाहित राशि परिशोधन के साथ उपयोगाधिकार परिसंपत्ति के वाहित मूल्य हेतु समतुल्य समायोजन किया जाता है। यदि उपयोगाधिकार परिसंपत्ति के वाहित राशि को शून्य के रूप में समायोजित किया जाता है तो आगे की कोई कटौती लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार की जाती है।

3.19 भारतीय लेखाविधि मानकों में संशोधन

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एम.सी.ए") समय-समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए, एम.सी.ए ने कंपनी पर लागू किसी भी नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित नहीं किया है।

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

नोट सं.	विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
4	**सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण**		
	(क) भवन	730.00	759.64
	(ख) फ़र्नीचर व फिक्सचर	15.99	21.77
	(ग) वाहन	9.26	11.83
	(घ) कार्यालय उपकरण	1.40	2.18
	(ङ) कंप्यूटर और सर्वर	9.47	2.97
	(च) नेटवर्किंग उपकरण	3.41	4.08
		769.53	**802.47**
	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में परिवर्धन, निस्तारण और अन्य समायोजन तथा संबंधित मूल्यह्रास और क्षति हानि या प्रतिक्रमण दर्शाती हुई प्रत्येक वर्ग की परिसंपत्तियों की सकल और निवल अग्रणीत राशियों का समामेलन, अलग से प्रकट किया गया है।	इस नोट का अनुलग्नक देखें	इस नोट का अनुलग्नक देखें
4 क	**अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ**		
	(क) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	**3.22**	**5.41**
	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में परिवर्धन, निस्तारण और अन्य समायोजन तथा संबंधित मूल्यह्रास और क्षति हानि या प्रतिक्रमण दर्शाती हुई प्रत्येक वर्ग की परिसंपत्तियों की सकल और निवल अग्रणीत राशियों का समामेलन, अलग से प्रकट किया गया है।	इस नोट का अनुलग्नक देखें	इस नोट का अनुलग्नक देखें
5	**उपयोगाधिकार परिसंपत्तियाँ**		
	पट्टा धारित भूमि	**239.71**	**245.16**
	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में परिवर्धन, निस्तारण और अन्य समायोजन तथा संबंधित मूल्यह्रास और क्षति हानि या प्रतिक्रमण दर्शाती हुई प्रत्येक वर्ग की परिसंपत्तियों की सकल और निवल अग्रणीत राशियों का समामेलन, अलग से प्रकट किया गया है।	इस नोट का अनुलग्नक देखें	इस नोट का अनुलग्नक देखें

नोट - 4 का अनुलग्नक - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

विवरण	भवन- आरसीसी निर्मित ढाँचा	भवन- वातानुकूलन, प्रणाली, अन्य प्रणालियाँ	भवन- विद्युत प्रणाली	भवन- अस्थायी निर्माण, बाड़	फर्नीचर और फिक्सर	वाहन	कार्यालय उपकरण	कंप्युटर और सर्वर	नेटवर्किंग उपकरण	कुल
सकल वाहित मान										
31 अप्रैल 2023 तक	837.12	143.15	266.12	62.93	242.13	22.28	86.14	109.23	1.11	**1,770.21**
परिवर्धन/ समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	1.14	4.09	**5.23**
निपटान/ समायोजन	-	-	-	-	1.06	**-**	8.10	3.16	-	**12.32**
31 मार्च 2024 तक	837.12	143.15	266.12	62.93	241.07	22.28	78.04	107.21	5.20	**1,763.12**
परिवर्धन/ समायोजन	-	-	-	-	-	-	0.48	8.28	-	**8.76**
निपटान/ समायोजन	-	-	-	-	-	-	0.00	3.14	-	**3.14**
31 मार्च 2025 तक	**837.12**	**143.15**	**266.12**	**62.93**	**241.07**	**22.28**	**78.52**	**112.35**	**5.20**	**1,768.74**
संचित मूल्यह्रास										
1 अप्रैल, 2023 तक	115.75	92.85	262.02	49.41	213.62	7.88	80.33	104.15	1.10	**927.11**
वर्ष हेतु मूल्यह्रास/समायोजन	14.47	11.62	0.21	3.35	6.73	2.57	3.37	3.08	0.02	**45.42**
निपटान/ समायोजन	-	-	-	-	1.05	-	7.84	2.99	-	**11.88**
31 मार्च 2024 तक	130.22	104.47	262.23	52.76	219.30	10.45	75.86	104.24	1.12	**960.65**
वर्ष हेतु मूल्यह्रास/समायोजन	14.47	11.60	0.22	3.35	5.78	2.57	1.26	1.74	0.67	**41.66**
निपटान/ समायोजन	-	-	-	-	-	-	0.00	3.10	-	**3.10**
31 मार्च 2025 तक	**144.69**	**116.07**	**262.45**	**56.11**	**225.08**	**13.02**	**77.12**	**102.88**	**1.79**	**999.21**
निवल वाहित मूल्य										
31 मार्च 2024 तक	**706.90**	**38.68**	**3.89**	**10.17**	**21.77**	**11.83**	**2.18**	**2.97**	**4.08**	**802.47**
31 मार्च 2025 तक	**692.43**	**27.08**	**3.67**	**6.82**	**15.99**	**9.26**	**1.40**	**9.47**	**3.41**	**769.53**

टिप्पणी:

1) व्यापार संयोजन एवं क्षतिपूर्ति हानि/प्रतिक्रमण द्वाराकोई प्राप्ति नहीं हुई है।

2) वार्षिक किराया के आधार पर, प्रारंभ में 60 वर्षों के लिए, जिसकी शुरुआत दिनांक 01 फरवरी, 2009 से हुई, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार से पट्टे पर ली गई ज़मीन पर भवन का निर्माण हुआ हैआपसी समझौते के आधार पर पट्टे की अवधि को 10 वर्ष की एक और अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा।आपसी समझौते के आधार पर पट्टे की अवधि को 10 वर्ष की एक और अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा।

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

नोट - 4ए का अनुलग्नक - अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

विवरण	कंप्युटर सॉफ्टवेयर	कुल
सकल वाहित मान		
31 अप्रैल 2023 तक	144.23	**144.23**
परिवर्धन/ समायोजन	2.60	**2.60**
निपटान/ समायोजन	0.97	**0.97**
31 मार्च 2024 तक	145.86	**145.86**
परिवर्धन/ समायोजन	-	-
निपटान/ समायोजन	-	-
31 मार्च 2025 तक	145.86	**145.86**
संचित मूल्यह्रास		
1 अप्रैल, 2023 तक	136.82	**136.82**
वर्ष हेतु मूल्यह्रास/समायोजन	4.60	**4.60**
निपटान/ समायोजन	0.97	**0.97**
31 मार्च 2024 तक	140.45	**140.45**
वर्ष हेतु मूल्यह्रास/समायोजन	2.19	**2.19**
निपटान/ समायोजन	-	-
31 मार्च 2025 तक	142.64	**142.64**
निवल वाहित मूल्य		
31 मार्च 2024 तक	**5.41**	**5.41**
31 मार्च 2025 तक	**3.22**	**3.22**

टिप्पणी:

1) व्यापार संयोजन एवं क्षतिपूर्ति हानि/प्रतिक्रमण द्वारा कोई प्राप्ति नहीं हुई है।

नोट - 5 का अनुलग्नक - उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति

कंपनी द्वारा धारित उपयोगाधिकार परिसंपत्ति के विवरण इस प्रकार है:

विवरण	पट्टाधारित-भूमि	कुल
सकल वाहित मान		
31 अप्रैल 2023 तक	272.41	**272.41**
परिवर्धन/ समायोजन	-	-
निपटान/ समायोजन	-	-
31 मार्च 2024 तक	272.41	**272.41**
परिवर्धन/ समायोजन	-	-
निपटान/ समायोजन	-	-
31 मार्च 2025 तक	272.41	**272.41**
संचित मूल्यह्रास		
1 अप्रैल, 2023 तक	21.80	**21.80**
वर्ष हेतु मूल्यह्रास/समायोजन	5.45	**5.45**
निपटान/ समायोजन	-	-
31 मार्च 2024 तक	27.25	**27.25**
वर्ष हेतु मूल्यह्रास/समायोजन	5.45	**5.45**
निपटान/ समायोजन	-	-
31 मार्च 2025 तक	32.70	**32.70**
निवल वाहित मूल्य		
31 मार्च 2024 तक	**245.16**	**245.16**
31 मार्च 2025 तक	**239.71**	**239.71**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

		31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
6	**ऋण (अच्छे माने जाने वाले, असुरक्षित)**		
	(क) कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशि	0.04	0.16
	(ख) कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशि पर उपार्जित ब्याज	0.10	0.09
		0.14	**0.25**
7	**अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ**		
	(क) प्रतिभूति जमा	0.02	0.02
	(ख) 12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली बैंक जमा राशि	-	-
	(ग) प्रतिभूति जमा के बदले में जारी प्रत्याभूति के प्रति अतिरिक्त राशि के रूप में रखी गई बैंक जमा राशि	0.63	0.63
	(घ) बैंक जमा पर उपार्जित ब्याज	0.12	0.07
		0.77	**0.72**
8	**अन्य दीर्घकालीन परिसंपत्तियाँ**		
	(क) पूँजी अग्रिम	-	-
	(ख) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम राशि	2,332.05	3,139.57
	(ग) कर प्राधिकारों के पास जमा राशि	5,000.00	5,000.00
	(घ) असम्मति के अंतर्गत प्रदत्त कर	5,500.78	5,500.78
	(ङ) कर - बकाया वापसी	14,564.84	14,507.40
		27,397.67	**28,147.75**
9	**वस्तुसूची**		
	जारी व्यापार सामग्री	**0.21**	**0.21**
10	**व्यापार प्राप्तियाँ**		
	(क) खरी मानी गई व्यापार प्राप्तियाँ-सुरक्षित	304.92	304.92
	(ख) खरी मानी गई व्यापार प्राप्तियाँ-असुरक्षित	1,762.36	1,712.39
	(ग) व्यापार प्राप्तियाँ जिसमें ऋण जोखिम की उल्लेखनीय वृद्धि शामिल हैं	13,021.99	12,919.23
	(घ) व्यापार प्राप्तियाँ - ऋण क्षति	2,566.67	2,633.41
		17,655.94	**17,569.95**
	घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता - ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	13,021.99	12,919.23
	घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता - ऋण हानि	2,566.66	2,633.41
		2,067.29	**2,017.31**

नोट 10 का अनुलग्नक

31 मार्च 2025 तक व्यापार प्राप्तियाँ कालभवन सारणी

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

विवरण		भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
		6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ- खरी मानी गई	655.93	119.94	170.71	31.01	1089.69	**2,067.28**
(ii)	अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ- जिसके ऋण जोखिम में व्यापक वृद्धि हुई	42.32	-	31.23	31.24	10877.46	**10,982.25**
(iii)	अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ- ऋण क्षति	-	-	-	-	2556.03	**2,556.03**
(iv)	विवादित व्यापार प्राप्तियाँ- खरी मानी गई	-	-	-	-		-
(v)	विवादित व्यापार प्राप्तियाँ- जिसके ऋण जोखिम में व्यापक वृद्धि हुई	-	-	-	-	2039.74	**2,039.74**
(vi)	विवादित व्यापार प्राप्तियाँ- ऋण क्षति	-	-	-	-	10.64	**10.64**

31 मार्च 2024 तक व्यापार प्राप्तियाँ कालभवन सारणी

विवरण		भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
		6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ- खरी मानी गई	796.74	102.68	118.25	68.40	931.24	**2,017.31**
(ii)	अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ- जिसके ऋण जोखिम में व्यापक वृद्धि हुई	-	31.23	31.24	373.18	10,443.84	**10,879.49**
(iii)	अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ- ऋण क्षति	-	-	-	-	2,622.77	**2,622.77**
(iv)	विवादित व्यापार प्राप्तियाँ- खरी मानी गई	-	-	-	-		-
(v)	विवादित व्यापार प्राप्तियाँ- जिसके ऋण जोखिम में व्यापक वृद्धि हुई	-	-	-	-	2,039.74	**2,039.74**
(vi)	विवादित व्यापार प्राप्तियाँ- ऋण क्षति	-	-	-	-	10.64	**10.64**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

		31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
11	**नक़द और नक़द समतुल्य**		
	(क) बैंकों में शेष राशि - चालू खाते	87.44	524.25
	(ख) 3 महीने से कम या बराबर की परिपक्वता अवधि वाली बैंक जमा	26,170.26	17,840.00
	(ग) नक़दी राशि	0.10	0.11
		26,257.80	**18,364.36**
12	**नक़द और नक़द समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष**		
	(क) 12 महीने तक की या उससे कम की परिपक्वता अवधि वाली बैंक जमा राशि	81,716.01	89,779.15
	(ख) प्रतिभूति जमा के बदले में जारी प्रत्याभूति के प्रति अतिरिक्त राशि के रूप में रखी गई बैंक जमा राशि	-	-
	(ग) सी.एस.आर गतिविधियों के लिए निर्धारित बैंकों के पास शेष राशि	36.67	0.10
	(घ) सी.एस.आर गतिविधियों के लिए निर्धारित बैंक में जमा राशि	64.22	62.09
		81,816.90	**89,841.34**
13	**अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ**		
	(क) बैंक में जमा राशि पर उपार्जित ब्याज	4,771.21	4,814.79
	(ख) बिलरहित राजस्व (खरे माने गए, असुरक्षित)	2,295.78	2,044.06
	(ग) अन्य प्राप्तियाँ	2.14	11.02
		7,069.13	**6,869.87**
14	**अन्य चालू परिसंपत्तियाँ**		
	(असुरक्षित-खरे माने गए)		
	(क) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम राशि	5,090.40	5,161.37
	(ख) उपदान निधि	-	-
	(ग) राजस्व प्राधिकारों के पास शेष राशि	4,543.24	4,309.10
		9,633.64	**9,470.47**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

		31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
15	**एक्विटी शेयर पूँजी**		
	(क) **अधिकृत:**		
	(i) ₹ 100 प्रति शेयर मूल्य वाले शेयरों की संख्या	1,00,00,000	1,00,00,000
	(ii) शेयरों की राशि (₹ लाख में)	10,000.00	10,000.00
	(ख) **निर्गत,अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त:**		
	(i) ₹ 100 प्रति शेयर मूल्य वाले शेयरों की संख्या	6,80,000	6,80,000
	(ii) शेयरों की राशि (₹ लाख में)	680.00	680.00

(ग)

	अवधि के आरंभ और अंत में बाकी बचे शेयरों की संख्या	**As at March 31, 2025**	**As at March 31, 2024**
(i)	वर्ष के आरंभ में बाकी बचे शेयरों की संख्या	6,80,000	6,80,000
(ii)	वर्ष के दौरान जारी	-	-
(iii)	**वर्ष के अंत में बाकी बचे शेयरों की संख्या**	**6,80,000**	**6,80,000**
(iv)	वर्ष के आरंभ में बाकी बचे शेयरों की राशि	680.00	680.00
(v)	वर्ष के आरंभ में बाकी बचे शेयरों की राशि	-	-
(vi)	**वर्ष के अंत में बाकी बचे शेयरों की राशि**	**680.00**	**680.00**

(घ) लाभांश के वितरण एवं पूँजी के पुनर्गठन पर प्रतिबंध सहित शेयरों के प्रत्येक वर्ग से जुड़े अधिकार, अधिमान और प्रतिबंध:

(i) कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के शेयर हैं, जिन्हें एक्विटी शेयर कहा जाता है, जिनमें से प्रत्येक का सममूल्य ₹100 प्रति शेयर है। एक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हक़दार है। मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में घोषणा के अधीन है।

(ii) निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्तियाँ प्रबंधन विभाग (डीआइपीएएम) के दिशा-निर्देशों के अनुसार कर पश्चात् लाभ का न्यूनतम 30% या कुल पूँजी का 5%, जो भी अधिक हो, भारत सरकार को लाभांश के रूप में प्रदान किया जाएगा और पूँजी का पुनर्भुगतान कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार होगा।

(ङ) कंपनी के 5% से अधिक शेयरों या शेयरों के वर्ग की शेयरधारिता का विवरण

100 रुपये प्रत्येक के प्रदत्त एक्विटी शेयरों के समस्त 6,80,000 शेयर के 100 % राष्ट्रपति और उनके द्वारा मनोनीत सदस्यों के नाम केंद्र सरकार (भारत सरकार) के पास हैं।

(च) विकल्प के अंतर्गत जारी करने के लिए आरक्षित कोई शेयर नहीं है।

(छ) तुलन पत्र की तिथि तक एक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय कोई प्रतिभूति नहीं है।

(ज) जिस तिथि को तुलन पत्र तैयार किया गया है उस तिथि से ठीक पहले के पाँच वर्ष की अवधि की जानकारी। -------- अनुलग्नक के अनुसार --------

नोट 15 का अनुलग्नक

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

तुलन पत्र तैयार करने की तिथि से ठीक पहले की पाँच वर्ष की अवधि की जानकारी

	विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
(i)	बिना नक़द प्राप्ति के अनुबंध के अनुरूप पूर्ण प्रदत्त शेयर के रूप में आबंटित शेयरों की कुल संख्या एवं प्रकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बोनस शेयरों के माध्यम से पूर्ण प्रदत्त शेयर के रूप में आबंटित शेयरों की कुल संख्या एवं प्रकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वापस खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या एवं प्रकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

प्रवर्तकों की शेयरधारिता का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष के अंत में प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर					
प्रवर्तक का नाम	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक		वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	शेयर की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयर की संख्या	कुल शेयरों का %	
भारत के महामहिम राष्ट्रपति और उनके मनोनीत प्रतिनिधि के माध्यम से केन्द्र सरकार (भारत सरकार)	6,80,000	100%	6,80,000	100%	-
कुल	**6,80,000**	**100%**	**6,80,000**	**100%**	**-**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

		31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
16	**अन्य एक्विटी**		
	एक्विटी में परिवर्तन के संलग्न विवरण के अनुसार	1,45,158.53	1,46,844.19
17	**पट्टा देयताएँ**		
	(क) दीर्घकालीन	268.38	269.10
	(ख) चालू	0.72	0.67
		269.10	**269.77**
18	**प्रावधान**		
	(क) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - उपदान	-	-
	(ख) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - छुट्टी नक़दीकरण	-	-
		-	**-**
19	**व्यापार देयताएँ (नोट के लिए अनुलग्नक देखें)**		
	(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	0.44	2.19
	(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	4,079.13	4,006.23
	(ग) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों को बिना बिल की बकाया राशि	3,275.16	2,135.93
		7,354.73	**6,144.35**
	अतिरिक्त जानकारी:		
	कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एम.एस.एम.इ.डी अधिनियम) के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है:		
	विवरण:		
	1 बकाया मूलधन और अप्रदत्त	0.44	2.19
	2 उपर्युक्त (1) पर बकाया ब्याज और अप्रदत्त ब्याज	-	-
	3 एम.एस.एम.ई.डी अधिनियम के अंतर्गत सभी विलंबित भुगतानों पर ब्याज का भुगतान	-	-
	4 वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि के बाद किए गए भुगतान	-	-
	5 उपर्युक्त (3) के अलावा विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज	-	-
	6 उपार्जित ब्याज और अप्रदत्त	-	-
	7 एम.एस.एम.ई.डी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत व्यय छूट की अस्वीकृति के प्रयोजनार्थ लघु उद्यम को उस तिथि तक जब उपर्युक्त बकाया ब्याज का वास्तविक भुगतान किया गया है और आगामी वर्षों में भी आगे दिए जाने वाले बाक़ी एवं देय ब्याज	-	-

नोट 19 का अनुलग्नक

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

31 मार्च 2024 तक व्यापार प्राप्तियाँ कालभवन सारणी

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

विवरण		भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	एम.एस.एम.ई	0.44	-	-	-	**0.44**
(ii)	अन्य	282.44	89.11	41.30	3,666.28	**4,079.13**
(iii)	विवादित बकाया – एम.एस.एम.ई	-	-	-	-	**-**
(iv)	विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	**-**

31 मार्च 2025 तक व्यापार प्राप्तियाँ कालभवन सारणी

विवरण		भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	एम.एस.एम.ई	2.19	-	-	-	**2.19**
(ii)	अन्य	333.74	41.30	211.18	3,420.01	**4,006.23**
(iii)	विवादित बकाया – एम.एस.एम.ई	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(iv)	विवादित बकाया – अन्य	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

		31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
20	**अन्य वित्तीय देयताएँ - चालू**		
	(क) अन्य देयताओं के लिए लेनदार	91.27	88.17
	(ख) प्रतिभूतियाँ और अन्य अनुबंध जमा	885.41	884.15
		976.68	**972.32**
21	**अन्य चालू देयताएँ**		
	(क) सांविधिक देयताएँ	168.14	223.76
	(ख) ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि	2,479.36	2,721.64
	(ग) अग्रिम के तौर पर प्राप्त राजस्व	742.35	534.49
		3,389.85	**3,479.89**
22	**प्रावधान**		
	(क) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - उपदान	15.56	11.73
	(ख) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - छुट्टी नक़दीकरण	22.21	15.28
	(ग) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रतिबद्धताओं के लिए प्रावधान (नोट 29 का अनुलग्नक देखें)	108.65	66.04
		146.42	**93.05**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

नोट सं.	विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
23	**परिचालन से राजस्व:**		
	(क) उत्पादों की बिक्री:		
	(i) निर्यात	40.99	46.10
	(ii) घरेलू	2,516.66	2,559.12
	कुल (क)	**2,557.65**	**2,605.22**
	(ख) सेवाओं की बिक्री:		
	(i) **निर्यात**		
	अधिगम शुल्क और स्वत्व-शुल्क	2.06	116.06
	अभिशून्यन - प्रमोचन सेवाएँ	(227.82)	-
	मिशन सहायता सेवाएँ	252.76	422.74
	(ii) **घरेलू**		
	अंतरिक्ष खंड क्षमता - इन्सैट	-	-
	घटाएँ: अंतरिक्ष विभाग का राजस्व हिस्सा	-	-
		-	-
	अंतरिक्ष खंड क्षमता - विदेशी उपग्रह	40.31	123.74
	आँकड़ा सूचना अभिगम शुल्क प्राप्ति	4,307.85	5,325.03
	मिशन सहायता सेवाएँ	745.00	604.90
	परामर्शिता सेवाएँ प्राप्तियाँ	-	-
	कुल (ख)	**5,120.16**	**6,592.47**
	कुल (क) + (ख)	**7,677.81**	**9,197.69**
24	**अन्य आय:**		
	(क) ब्याज से आय		
	(i) बैंकों में जमा राशि पर	8,609.30	7,860.53
	(ii) व्यापार प्राप्तियों पर	-	28.74
	(iii) आयकर वापसी पर	34.08	11.45
	(iv) कर्मचारियों को अग्रिम राशि देने पर	0.01	0.02
	(ख) कर्मचारियों को अग्रिम राशि देने पर	159.05	156.06
	(ग) पुनर्लिखित संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	201.29
	(घ) पुनर्लिखितअनावश्यक देयता	-	-
	(ङ) सरकारी अनुदान से आय	22.69	22.69
	(च) विक्रेताओं से परिनिर्धारित क्षति प्राप्ति	-	-
	(छ) किराये से आय	6.00	6.00
	(ज) विविध आय	0.81	0.24
		8,831.94	**8,287.02**
25	**प्रचालन से राजस्व की लागत**		
	(क) उत्पादों की बिक्री की लागत		
	(i) निर्यात	16.98	21.57
	(ii) घरेलू (अभिशून्यन-निवल)	2,155.29	1,989.02
	कुल (क)	**2,172.27**	**2,010.59**
	(ख) सेवाओं की बिक्री लागत		
	(i) **निर्यात**		
	अधिगम शुल्क और स्वत्व-शुल्क	1.24	69.64
	अभिशून्यन - प्रमोचन सेवाएँ	(1,131.10)	-
	मिशन सहायता सेवाएँ	136.87	258.41
	(ii) **घरेलू**		
	परामर्शिता सेवाएँ	-	-
	अंतरिक्ष खंड क्षमता - विदेशी उपग्रह	-	1.62
	आँकड़ा सूचना अभिगम शुल्क	3,970.51	4,890.25
	मिशन सहायता सेवाएँ	631.00	526.50
	कुल (ख)	**3,608.52**	**5,746.42**
	कुल (क) + (ख)	**5,780.79**	**7,757.01**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

		31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
26	**माल की वस्तुसूची में परिवर्तन**		
	(i) आरंभिक माल	0.21	0.21
	(ii) घटाइए: अंतिम माल	0.21	0.21
		0.00	**0.00**
27	**कर्मचारी लाभ व्यय**		
	वेतन और अधिलाभ	228.09	223.94
	अन्य निधियों में योगदान	44.89	46.89
	कर्मचारी कल्याण व्यय	10.79	2.99
		283.77	**273.82**
28	**वित्तीय लागत**		
	पट्टा देयता पर ब्याज	22.12	22.17
		22.12	**22.17**
29	**अन्य व्यय**		
	यात्रा व्यय	29.73	21.07
	मुद्रण व लेखन-सामग्री	2.55	1.40
	संचार व्यय	17.40	13.62
	विधिक शुल्क और व्यय	1,887.81	578.35
	परामर्शिता और व्यावसायिक शुल्क	40.79	41.82
	दर और कर	390.95	23.93
	विज्ञापन और प्रचार	2.00	-
	सदस्यता और अंशदान	2.21	4.79
	जनशक्ति व्यय	83.22	54.53
	बीमा शुल्क	2.34	2.95
	विदेशी मुद्रा विनिमय और अंतरण पर शुद्ध हानि	(96.21)	19.28
	बैंक शुल्क	5.14	6.42
	बैंक प्रत्याभूति और एल.सी. शुल्क	-	0.08
	मरम्मत और अनुरक्षण - अन्य	24.17	22.63
	लेखा परीक्षकों को भुगतान:		
	सांविधिक लेखा परीक्षा हेतु	2.50	4.00
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर व्यय (अनुलग्नक के अनुसार विवरण)	140.41	118.21
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से हानि	0.00	0.44
	संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	36.01	-
	विविध व्यय	15.46	12.53
		2,586.48	**926.05**
30	**आस्थगित कर**		
	वर्ष के दौरान उद्भूत आस्थगित कर	(1.05)	58.29
		(1.05)	**58.29**

नोट 29 का अनुलग्नक

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ('सी.एस.आर') व्यय के विवरण

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी द्वारा अग्रेनीत अव्ययित राशि/(समायोजित की जाने वाली राशि)	(0.35)	(28.63)
कंपनी द्वारा वर्ष हेतु व्यय के लिए आबंटित राशि	130.56	130.40
जोड़ें: सीएसआर निधि पर अर्जित ब्याज	6.07	16.09
कंपनी द्वारा वर्ष हेतु व्यय के लिए कुल राशि	**136.28**	**117.86**
शैक्षिक एवं आजीविका संबंधी गतिविधियाँ	30.01	-
चिकित्सा उपकरण, सहायक उपकरण और पोषण	103.32	112.82
ऊर्जा, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का संरक्षण	7.08	5.39
कुल व्यय	**140.41**	**118.21**
कंपनी द्वारा अग्रेनीत व्यय हेतु/(समायोजित की जाने वाली राशि)	**(4.13)**	**(0.35)**
व्यय में शामिल प्रतिबद्ध देयता जिसे व्यय किया जाना बाक़ी है	**108.65**	**66.04**
भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार सी.एस.आर व्यय के संबंध में संबंधित पक्ष अंतरण के विवरण - संबंधित पक्ष प्रकटीकरण	शून्य	शून्य

31 आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
(क) आस्थगित कर परिसंपत्ति		
कर कटौती में समयांतर	3,923.35	3,914.29
	3,923.35	3,914.29
(ख) आस्थगित कर देयता		
कर कटौती में समयांतर	1,204.05	1,196.04
	1,204.05	1,196.04
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति	**2,719.30**	**2,718.25**

31 आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ निवल) जारी

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

क) लाभ और हानि विवरण में मान्य राशि		
विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू कर व्यय:	2,089.98	2,104.16
आस्थगित कर व्यय	(1.05)	58.29
निवल कर व्यय	**2,088.93**	**2,162.45**

ख) अन्य व्यापक आय में मान्य राशि		
विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
क) मद जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
रोजगार के बाद परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ का पुनर्मापन	(5.37)	(2.11)
उपर्युक्त मद का कर प्रभाव	1.35	0.53
कुल	**(4.02)**	**(1.58)**

ग) प्रभावी आयकर दर का सामंजस्य				
विवरण	**31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए**		**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए**	
	राशि	**दर**	**राशि**	**दर**
कर पूर्व लाभ	7,787.29	25.168%	8,450.19	25.168%
अपेक्षित आयकर व्यय	1,959.91		2,126.74	
अपेक्षित आयकर व्यय के साथ प्रतिवेदित आयकर व्यय के सामंजस्य के लिए समायोजन पर कर प्रभाव				
पिछले वर्ष का कर व्यय		(4.31)		(0.12)
स्थायी अंतर	529.75	133.33	142.37	35.83
समायोजन का प्रभाव (निवल)	529.75	129.02	142.37	35.71
समायोजन पर कर का प्रभाव	129.02		35.71	
वर्ष के लिए कुल आयकर व्यय	**2,088.93**		**2,162.45**	
प्रभावी कर की दर		**26.82%**		**25.59%**

31 आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल) जारी

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

घ) आस्थगित कर शेष की प्रवृत्ति				
विवरण	**1 अप्रैल, 2023 तक**	**लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त**	**अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त**	**31 मार्च, 2024 तक**
	कर परिसंपत्ति			**कर परिसंपत्ति**
कर कटौती में समयांतर				
ऋण के प्रति क्षतिपूर्ति भत्ता	3,964.95	(50.66)	-	3,914.29
निश्चित होने से पूर्व कर (परिसंपत्तियाँ) / देयताएँ)	**3,964.95**	**(50.66)**	**-**	**3,914.29**
अप्रयुक्त कर जमा का अग्रसारण			-	-
	कर देयता			**कर देयता**
कर कटौती में समयांतर				
विरोध के तहत प्रदत्त कर	1,154.78	-	-	1,154.78
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	33.63	7.63	-	41.26
	1,188.41	**7.63**	**-**	**1,196.04**
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	**2,776.54**	**(58.29)**	**-**	**2,718.25**

ङ) आस्थगित कर शेष की प्रवृत्ति				
विवरण	**1 अप्रैल, 2024 तक**	**लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त**	**अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त**	**31 मार्च, 2025 तक**
	कर परिसंपत्ति			**कर परिसंपत्ति**
कर कटौती में समयांतर				
ऋण के प्रति क्षतिपूर्ति भत्ता	3,914.29	9.06	-	3,923.35
निश्चित होने से पूर्व कर (परिसंपत्तियाँ) / देयताएँ)	**3,914.29**	**9.06**	**-**	**3,923.35**
अप्रयुक्त कर जमा का अग्रसारण				
	कर देयता			**कर देयता**
कर कटौती के समय में अंतर				
विरोध के तहत प्रदत्त कर	1,154.78	-	-	1,154.78
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	41.26	8.01	-	49.27
	1,196.04	**8.01**	**-**	**1,204.05**
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	**2,718.25**	**1.05**	**-**	**2,719.30**

32. प्रति शेयर आय (ईपीएस)

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

i. एक्विटी धारकों के कारण लाभ

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के लिए करोपरांत लाभ	5,698.36	6,287.74
कंपनी के एक्विटी धारकों की मूल आय के कारण लाभ	**5,698.36**	**6,287.74**
अन्य	-	-
मिले जुले प्रभाव को समायोजित करने हेतु कंपनी के एक्विटी धारकों के कारण लाभ	**5,698.36**	**6,287.74**

ii. प्रश्रय दी गई एक्विटी शेयरों की औसत संख्या

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रश्रय दी गई शेयरों की औसत संख्या	6,80,000	6,80,000
मिले-जुले प्रभाव (यदि कोई हो)	-	-
	6,80,000	**6,80,000**
₹100 रुपये के नाममात्र मूल्य के प्रति शेयर मूल आय (₹.)	**837.99**	**924.67**
₹100 रुपये के नाममात्र मूल्य के प्रति शेयर मिली-जुली आय (₹.)	**837.99**	**924.67**

33 वित्तीय उपकरण – उचित मूल्य और जोखिम प्रबंधन

क. लेखांकन वर्गीकरण और उचित मूल्य

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

31 मार्च 2025 तक

	वाहित मूल्य				उचित मूल्य			
	एफवीटीपीएल	**एफवीटीओसीआइ**	**परिशोधित लागत**	**कुल**	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**	**कुल**
उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
उचित मूल्य पर नहीं मापी गईं वित्तीय परिसंपत्तियाँ								
दीर्घकालीन वित्तीय परिसंपत्तियाँ								
कर्मचारियों को अग्रिम राशि	-	-	0.14	0.14	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-
12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली बैंक जमा राशियों सहित अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ			0.75	0.75	-	-	-	-
चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ								
व्यापार प्राप्तियाँ	-	-	2,067.29	2,067.29	-	-	-	-
नक़द एवं नक़द समतुल्य	-	-	26,257.80	26,257.80	-	-	-	-
अन्य बैंक जमा राशि शेष	-	-	81,816.90	81,816.90				
अन्य प्रतिलभ्य	-	-	2.14	2.14	-	-	-	-
बिलरहित राजस्व			2,295.78	2,295.78				
बैंक में जमा से उपार्जित ब्याज	-	-	4,771.21	4,771.21	-	-	-	-
	-	**-**	**1,17,212.03**	**1,17,212.03**	**-**	**-**	**-**	**-**
उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देयताएँ	-	-	-	-	-	-	-	-
उचित मूल्य पर नहीं मापी गईं वित्तीय देयताएँ								
दीर्घकालीन वित्तीय देयताएँ								
पट्टा देयताएँ	-	-	268.38	268.38	- -	-	-	-
चालू वित्तीय देयताएँ								
पट्टा देयताएँ	-	-	0.72	0.72				
व्यापार देय	-	-	7,354.73	7,354.73	-	-	-	-
अन्य देयताओं के लिए लेनदार	-	-	91.27	91.27	-	-	-	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य अनुबंध जमा	-	-	885.41	885.41	-	-	-	-
	-	**-**	**8,600.51**	**8,600.51**	**-**	**-**	**-**	**-**

33 वित्तीय उपकरण – उचित मूल्य और जोखिम प्रबंधन (जारी)

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

31 मार्च 2024 तक

	वाहित मूल्य				उचित मूल्य			
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआइ	परिशोधित लागत	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
उचित मूल्य पर नहीं मापी गईं वित्तीय परिसंपत्तियाँ								
दीर्घकालीन वित्तीय परिसंपत्तियाँ								
कर्मचारियों को अग्रिम राशि	-	-	0.25	0.25	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा	-	-	0.02	0.02				
12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली बैंक जमा राशियों सहित अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ			0.70	0.70				
चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ								
व्यापार प्राप्तियाँ	-	-	2,017.31	2,017.31	-	-	-	-
नक़द एवं नक़द समतुल्य	-	-	18,364.36	18,364.36	-	-	-	-
अन्य बैंक जमा राशि शेष	-	-	89,841.34	89,841.34				
अन्य प्रतिलभ्य	-	-	11.02	11.02	-	-	-	-
बिलरहित राजस्व			2,044.06	2,044.06				
बैंक में जमा से उपार्जित ब्याज	-	-	4,814.79	4,814.79	-	-	-	-
	-	-	**1,17,093.85**	**1,17,093.85**	-	-	-	-
उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देयताएँ	-	-	-	-	-	-	-	-
उचित मूल्य पर नहीं मापी गईं वित्तीय देयताएँ								
दीर्घकालीन वित्तीय देयताएँ								
पट्टा देयताएँ	-	-	269.10	269.10	-	-	-	-
चालू वित्तीय देयताएँ								
पट्टा देयताएँ			0.67	0.67				
व्यापार देय	-	-	6,144.35	6,144.35	-	-	-	-
अन्य देयताओं के लिए लेनदार	-	-	88.17	88.17	-	-	-	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य अनुबंध जमा	-	-	884.15	884.15	-	-	-	-
	-	-	**7,386.44**	**7,386.44**	-	-	-	-

उचित मूल्य पदानुक्रम

नोट 3.4 (vii) देखें - उचित मूल्यों का मापन

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय संलेखों से उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित जोखिम से कंपनी प्रभावित हो सकती है:

- ऋण जोखिम ;
- तरलता जोखिम ; और
- बाज़ार जोखिम

i. जोखिम प्रबंधन खाका

कंपनी की मुख्य वित्तीय देयताओं में व्यापार देय तथा ग्राहकों से जमा शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के व्यापार के लिए आर्थिक व्यवस्था करना है। कंपनी की मुख्य वित्तीय परिसंपत्ति में व्यापार प्राप्तियाँ, नकद, जमा तथा इसके व्यापार से प्रत्यक्ष रूप से उद्भूत निवेश शामिल हैं।

कंपनी के क्रियाकलाप इसे कई तरह के वित्तीय जोखिमों में डालते हैं: बाज़ार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम। कंपनी का मुख्य ध्यान वित्तीय बाज़ार की अनिश्चितता और अपनी वित्तीय निष्पादकता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को कम करने पर केंद्रित होता है। कंपनी का मुख्य जोखिम विदेशी मुद्रा जोखिम होता है। ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषता से पड़ने वाले विशेष प्रभाव के कारण ही कंपनी को ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है।

33 वित्तीय उपकरण – उचित मूल्य और जोखिम प्रबंधन (जारी)
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

ii. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी को होने वालेला वित्तीय नुकसान का जोखिम है, जबि कोई ग्राहक या वित्तीय संलेख अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और यह मुख्य रूप से ग्राहकों से कंपनी की प्राप्तियों से उत्पन्न होता है।

निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्ति की वाहित राशि अधिकतम ऋण अनावरण का वर्णन करती है:

(क) व्यापार प्राप्तियाँ

प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषता के कारण ही कंपनी को ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, उद्योग से मिलने वाले बक़ाएदारी जोखिम एवं वह देश जहाँ ग्राहक काम करता है, सहित उन कारणों पर भी प्रबंधन विचार करता है जो ग्राहक के आधार को प्रभावित कर सकता है।

उद्योगजगत् के प्रचलनों एवं व्यापारिक वातावरण जिस पर प्रतिष्ठान कार्य करता है, के आधार पर प्रबंधन यह विचार करता है कि व्यापार प्राप्तियाँ एवं ऋण, बक़ाएदारी (ऋण क्षतिग्रस्त) के रूप में हैं अगर भुगतान 365 दिनों से अधिक समय से बाकी है और जमा या बैंक प्रत्याभूति से सुरक्षित नहीं है।

केंद्र/राज्य सरकारों,केंद्र/राज्य सरकार के विभागों, केंद्र/राज्य सरकार की स्वायत्त संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिनके लिए प्रावधान/हानि भत्ता की माप प्रकरण से प्रकरण पर आधारित होती है और अपेक्षित ऋण हानि हेतु विचार नहीं किया जाता है।

कंपनी क्षति हानि के लिए भत्ता स्थापित करती है, जो व्यापार प्राप्तियों से संबंधित अपेक्षित हानि के आकलन को इंगित करती है।

व्यापार प्राप्तियों एवं व्यक्तिगत ग्राहकों से ऋण के लिए ऋण जोखिम एवं अपेक्षित ऋण हानि के अनावरण के बारे में सूचना निम्न लिखित सारणी से मिलती है:

31 मार्च 2025 तक

	प्रभावशाली औसत हानि दर	क्या ऋण क्षति हुई
छह महीने से कम	6.06%	नहीं
6 महीने -1 वर्ष	0.00%	नहीं
1-2 वर्ष	15.47%	नहीं
2-3 वर्ष	50.18%	नहीं
3 वर्ष से अधिक	92.22%	नहीं
3 वर्ष से अधिक	100.00%	हाँ

31 मार्च 2024 तक

	प्रभावशाली औसत हानि दर	क्या ऋण क्षति हुई
छह महीने से कम	0.00%	नहीं
6 महीने -1 वर्ष	23.32%	नहीं
1-2 वर्ष	20.89%	नहीं
2-3 वर्ष	84.51%	नहीं
3 वर्ष से अधिक	93.06%	नहीं
3 वर्ष से अधिक	100.00%	हाँ

वष के दौरान व्यापार एवं अन्य प्राप्य के संबंध में हानि भत्त में उतार-चढ़ाव निम्नानुसार रहा।

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
1 अप्रैल तक शेष राशि	15,552.64	15,753.93
पहचान की गई क्षति हानि	36.01	-
पुनर्लिखित राशि	-	201.29
31 मार्च तक शेष राशि	**15,588.65**	**15,552.64**

ऋण जोखिम का भौगोलिक अभिकेंद्रन

व्यापार प्राप्तियों का भौगोलिक अभिकेंद्रन (सकल एवं निवल भत्ता), बिलरहित प्राप्तियाँ एवं संविदा परिसंपत्तियाँ अधोलिखित हैं:

देश	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
	सकल %	निवल %	सकल %	निवल %
भारत	83.75	93.43	84.42	95.66
संयुक्त राज्य अमेरिका	1.06	6.57	0.79	4.34
नीदरलैंड	12.64	0.00	12.30	0.00
अन्य देश	2.55	0.00	2.49	0.00

व्यापार प्राप्य का देश-वार विवरण ग्राहकों के स्थान पर आधारित है।

ख) नकदी और नकदी समतुल्य

31 मार्च, 2025 को कंपनी के पास 26,257.80 लाख रुपये की नकदी और नकदी समकक्ष थी (31 मार्च, 2024: 18,364.36 लाख रुपये)। नकदी और नकदी समकक्ष बैंकों के पास रखे गए हैं।

33 वित्तीय उपकरण – उचित मूल्य और जोखिम प्रबंधन (जारी)

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

iii. तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, जिनका निपटान नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्रदान करके किया जाता है। तरलता के प्रबंधन के लिए कंपनी का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि, जहाँ तक संभव हो, सामान्य और तनावपूर्ण दोनों स्थितियों में, अस्वीकार्य नुकसान उठाए बिना या कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाए बिना।उसके पास अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता होगी।

कंपनी की तरलता के मुख्य स्रोत नकदी और नकदी समकक्ष तथा बैंक जमा और व्यापार से उत्पन्न नकदी प्रवाह हैं। कंपनी के पास कोई बैंक से उधार नहीं है। कंपनी का मानना है कि कार्यशील पूँजी उसकी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तदनुसार, कोई तरलता जोखिम नहीं माना जाता है।

तरलता जोखिम की अवस्थिति

रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय देयताओं की बाकी बची संविदात्मक परिपक्वताएँ निम्नलिखित हैं। ये राशियाँ सकल और बिना छूट वाली हैं, और इनमें अनुमानित ब्याज भुगतान शामिल हैं तथा निवल समझौतों के प्रभाव शामिल नहीं हैं।

		संविदात्मक नकदी प्रवाह			
31 मार्च 2025 तक	**वाहित राशि**	**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-4 वर्ष**	**4-7 वर्ष**
मुखर वित्तीय देयताएँ					
चालू					
व्यापार देयताएँ	7,354.73	7,354.73	-	-	-
अन्य चालू वित्तीय देयताएँ					
अन्य देयताओं के लिए लेनदार	91.27	91.27	-	-	-
अन्य - प्रतिभूतियाँ और अन्य अनुबंध जमा	885.41	885.41	-	-	-
	8,331.41	**8,331.41**	**-**	**-**	**-**

		संविदात्मक नकदी प्रवाह			
31 मार्च 2024 तक	**वाहित राशि**	**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-4 वर्ष**	**4-7 वर्ष**
मुखर वित्तीय देयताएँ					
दीर्घकालिक					
अन्य व्यापार देयताएँ					
चालू					
व्यापार देयताएँ	6,144.35	6,144.35	-	-	-
अन्य चालू वित्तीय देयताएँ					
अन्य देयताओं के लिए लेनदार	88.17	88.17	-	-	-
अन्य - प्रतिभूतियाँ और अन्य अनुबंध जमा	884.15	884.15	-	-	-
	7,116.67	**7,116.67**	**-**	**-**	**-**

33 वित्तीय उपकरण – उचित मूल्य और जोखिम प्रबंधन (जारी)

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

iv. बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम वह जोखिम है जो बाज़ार मूल्यों के साथ बदलता है – जैसे विदेशी मुद्रा एवं ब्याज दर – कंपनी की आय या वित्तीय संलेखों की धारिता के मान को प्रभावित करेंगे। बाज़ार जोखिम, विदेशी मुद्रा प्राप्ति एवं देय तथा दीर्घावधि ऋण सहित सभी बाज़ार प्रभावी वित्तीय संलेखों के प्रति उत्तरदायी है। कंपनी, मूलत: ब्याज दर जोखिम एवं निवेश के बाज़ार मूल्य से संबंधित बाज़ार जोखिम से प्रभावित है। अतएव, बाज़ार जोखिम का प्रभाव, निवेश एवं ऋण क्रियाकलाप का ही परिणाम है। बाज़ार जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य विदेशी मुद्रा के अत्यधिक प्रभाव से बचाना है।

मुद्रा जोखिम

कंपनी, विदेशी मुद्रा में उत्पादों एवं सेवाओं के निर्यात के कारण मुद्रा जोखिम से प्रभावित है| कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया (₹) है |

मुद्रा जोखिम से प्रभावित होने वाली कंपनी के परिमाणात्मक आँकड़े के सारांश निम्नप्रकार हैं :

31 मार्च 2025 तक

मुद्रा	विदेशी मुद्रा की राशि				राशि लाख ₹ में			
	चालू परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	निवल प्राप्तियाँ/(देय)	वित्तीय परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	निवल प्राप्तियाँ/(देय)
यूरो(ईयूआर)	28.42	-	2.33	26.09	2,610.38	-	220.11	2,390.27
अमेरिकी डॉलर (यूएसडी)	2.21	-	18.83	(16.62)	188.33	-	1,618.04	(1,429.71)

31 मार्च 2024 तक

मुद्रा	विदेशी मुद्रा की राशि				राशि लाख ₹ में			
	चालू परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	निवल प्राप्तियाँ/(देय	वित्तीय परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	निवल प्राप्तियाँ/(देय)
यूरो(ईयूआर)	28.42	-	1.65	26.77	2,590.48	-	150.40	2,440.08
अमेरिकी डॉलर (यूएसडी)	1.67	-	18.69	(17.02)	139.95	-	1,566.22	(1,426.27)

सूक्ष्मग्राही विश्लेषण

वर्ष के अंत में भारतीय रुपए, अमेरिकी डॉलर, यूरो एवं अन्य मुद्राओं में तथ्यात्मक स्थिरता (अस्थिरता) की संभावनाएँ विदेशी मुद्रा में वित्तीय संलेख के प्रारूपों को प्रभावित किया होगा और एक्विटी तथा लाभ या हानि को नीचे दी गई राशि द्वारा प्रभावित किया। इस विश्लेषण से पता चलता है कि एक विशेष ब्याज दर में अन्य सभी परिवर्तनांक स्थिर रहते हैं और क्रय एवं विक्रय के पूर्वानुमान से पड़ने वाले किसी भी प्रभाव को अनदेखा कर देता है।

	(लाभ)/हानि		एक्विटी, कर का निवल	
	स्थिर	अस्थिर	स्थिर	अस्थिर
31 मार्च 2025 तक				
यूरो (1% परिचालन)	24.62	(24.62)	18.42	(18.42)
अमेरिकी डॉलर (यूएसडी))(1% परिचालन)	(14.28)	14.28	(10.69)	10.69
31 मार्च 2024 तक				
यूरो)(1% परिचालन)	24.40	(24.40)	18.26	(18.26)
अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) (1% परिचालन)	(14.26)	14.26	(10.67)	10.67

निम्नलिखित उल्लेखनीय विनिमय दर लागू किए गए हैं।

	वर्षांत दर	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
यूरो	94.35	91.15
अमेरिकी डॉलर (यूएसडी)	85.95	83.80

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

34.खंड-सूचना

35.कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अंतर्गत, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना जीएसआर 463(ई) दिनांक 05- जून-2015 के अनुसार प्रत्येक वर्ग के माल एवं उनसे संबंधित मूल्यों की अतिरिक्त सूचनाओं के प्रकटीकरण से छूट दे रखी है और उत्पादों की संवेदी प्रकृति तथा व्यापार के क्षेत्र के मद्देनज़र, भारतीय लेखा मानक 108-प्रचालन खण्ड के तहत चालू एवं पिछले वित्तीय वर्ष की अपेक्षित सूचना प्रदान नहीं की गई है।

35.संबंधित पक्ष-इण्ड ए.एस.-24

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सी.पी.एस.यू) है। अनुच्छेद 25 और 26 के अनुसार, कंपनी को सरकार के साथ या केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ संबंधित पार्टी लेनदेन के विस्तृत प्रकटीकरण से छूट दी गई है। कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट को लागू किया है और वित्तीय विवरणी में सीमित प्रकटीकरण किया है। ऐसी संस्थाएँ जिनके साथ कंपनी के महत्वपूर्ण लेनदेन हैं, उनमें अंतरिक्ष विभाग ('अं.वि"), रक्षा मंत्रालय, भारत संचार निगम लिमिटेड शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।सरकारी एजेंसियों/सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं में सी.एस.आर योगदान को इण्ड-एएस 24 के तहत संबंधित पार्टी लेनदेन के रूप में नहीं माना जाता है।

नियंत्रण प्रतिष्ठान **अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार**

विवरण	**31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष हेतु**
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक संबंधित पक्ष का नाम	**संबंध**	**संबंध**
श्री संजय कुमार अग्रवाल	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त)
वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष के साथ किए गए अंतरण की सूची		
अल्पकालीन कर्मचारी लाभ कार्य-समापन लाभ सहित वेतन		
	47.69	44.34
	-	-
	47.69	**44.34**
अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार		
वर्ष के दौरान प्राप्त राजस्व	807.42	1,590.00
वर्ष के दौरान राजस्व पर किए गए व्यय	(340.05)	851.75
वर्ष के दौरान अंतरिक्ष खंड के लिए दी गई संविदा प्रबंधन सेवा से प्राप्त राजस्व	-	-
व्यय की प्रतिपूर्ति	9.15	1.39
	476.52	**2,443.14**
वर्ष के दौरान अन्य सरकारी विभागों, मंत्रालयों एवं सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं से प्राप्त राजस्व		
वर्ष के दौरान राजस्व	8,488.45	8,488.45

संबंधित पक्ष के साथ बाकी बची शेष राशि की सूची

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के कारण (निवल)	1155.26	1189.53
अन्य सरकारी विभागों और मंत्रालयों से प्राप्य (निवल)	427.53	521.91

36. पूँजी प्रबंधन

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

कंपनी की नीति एक मजबूत पूँजी आधार बनाए रखने की है ताकि निवेशक, ऋणदाता और बाजार का विश्वास बनाए रखा जा सके और व्यवसाय के भविष्य के विकास को जारी रखा जा सके। प्रबंधन पूँजी पर लाभ के साथ-साथ सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के लक्ष्य पर भी निगरानी रखता है।

कंपनी 'समायोजित निवल ऋण' से 'समायोजित एक्विटी' के अनुपात का उपयोग करके पूँजी की निगरानी करती है। इस उद्देश्य के लिए, समायोजित निवल ऋण को कुल देयताओं में से नकदी और नकदी समकक्ष घटाकर परिभाषित किया जाता है। समायोजित एक्विटी में सुरक्षा रिज़र्व में संचित राशि के अलावा एक्विटी के सभी घटक

कंपनी की नीति अनुपात को 2.00 से नीचे रखने की है। 31 मार्च को कंपनी का समायोजित निवल ऋण-एक्विटी अनुपात इस प्रकार था:

	31 मार्च 2025 तक	**31 मार्च 2024 तक**
कुल देयताएँ	12,136.78	10,959.38
घटाएँ : नकद और नकद समतुल्य	26,257.80	18,364.36
समायोजित निवल ऋण	**(14,121.02)**	**(7,404.98)**
कुल एक्विटी	1,45,838.53	1,47,524.19
घटाएँ : सुरक्षा रिजर्व	-	-
समायोजित एक्विटी	**1,45,838.53**	**1,47,524.19**
समायोजित निवल ऋण से समायोजित एक्विटी अनुपात	**(0.10)**	**(0.05)**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

37. कर्मचारी लाभ से संबंधित परिसंपत्तियाँ और देयताएँ

(नोट 3 में लेखाविधि नीति देखें))

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

i.उपदान

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
पारिभाषित लाभ दायित्व	128.87	109.45
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(113.31)	(97.72)
कुल कर्मचारी लाभ देय'ताएँ	**15.56**	**11.73**

लाभ और हानि विवरणी में मान्य व्यय	31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
चालू सेवा लागत	9.68	9.50
निवल ब्याज लागत / (आय) निवल पारिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर	0.84	0.12
कुल	**10.52**	**9.62**

अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आय	31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
बीमांकिक (लाभ) / हानि		
- जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन	-	(0.14)
-वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन	6.27	3.61
- अनुभव भिन्नता (अर्थात वास्तविक अनुभव बनाम धारणाएँ	(0.01)	(1.06)
निवल ब्याज व्यय में मान्य राशि के अलावा' योजना परिसंपत्तियों पर लाभ	(0.88)	(0.30)
कुल	**5.38**	**2.11**

निवल पारिभाषित लाभ दायित्व का सामंजस्य

पारिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का सामंजस्य

	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	109.45	90.81
भुगतान किये गये लाभ	(4.34)	-
वर्तमान सेवा लागत	9.68	9.50
ब्याज लागत	7.82	6.73
पिछली सेवा में लाभ		
अन्य व्यापक आय में मान्य बीमांकिक (लाभ) हानि		
- जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन	-	(0.14)
- वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन	6.27	3.61
- अनुभव समायोजन	(0.01)	(1.06)
वर्ष के अंत में शेष राशि	**128.87**	**109.45**

योजना परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य का सामंजस्य

	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	97.72	89.15
नियोजन में प्रदत्त योगदान	12.07	1.66
लाभ प्रदत्त	(4.34)	-
ब्याज से आय	6.98	6.61
अन्य व्यापक आय में मान्य नियोजित परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ	0.88	0.30
निधि शेष हेतु समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**113.31**	**97.72**
निवल पारिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)	**15.56**	**11.73**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

उपदान (जारी)

1. बीमांकिक मान्यताएँ

रिपोर्टिंग तिथि तक निम्नलिखित मुख्य बीमांकिक मान्यताएँ थीं

	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
छूट दर	6.75%	7.15%
वेतन वृद्धि दर	7.00%	7.00%
महँगाई भत्ता की दर में वृद्धि (प्रति वर्ष)	7.00%	7.00%

2.जनसांख्यिकीय धारणाएँ

	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
मृत्यु दर (आइएएलएम 2012-14 का %)	100%	100%
आयु के आधार पर निकासी दर (प्रति वर्ष)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31-40 वर्ष	2%	2%
40 वर्ष से ऊपर	1%	1%

भविष्य में मृत्यु दर के संबंध में धारणाएँ प्रकाशित आँकड़ों और मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित हैं।

3. सूक्ष्मग्राहिता विश्लेषण

रिपोर्टिंग तिथि तक अन्य मान्यता स्थिरांक धारित बीमांकिक मान्यताओं में एक संबंधित मान्यता के लिए तर्कसंगत संभावित परिवर्तन नीचे दिखाई गई राशि द्वारा पारिभाषित लाभ दायित्व प्रभावित हुआ होगा

	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
	कमी	वृद्धि	कमी	वृद्धि
छूट दर (1% उतार-चढ़ाव) रु. लाख	146.17	114.33	124.10	97.16
(सूक्ष्मग्राहिता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	13.40%	-11.30%	13.40%	-11.20%
भावी वेतन वृद्धि (1% उतार-चढ़ाव) रु. लाख	111.69	149.00	94.89	126.56
(सूक्ष्मग्राहिता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	-13.30%	15.60%	-13.30%	15.60%
दुर्घटना दर (50% संचलन) रु. लाख	129.23	128.53	109.63	109.27
(सूक्ष्मग्राहिता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	0.30%	-0.30%	0.20%	-0.20%
मृत्यु दर (10% मूवमेंट) लाख रुपये	128.04	129.43	108.71	109.98
सूक्ष्मग्राहिताके कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	-0.60%	0.40%	-0.70%	0.50%

एलआइसीजीजीएफ के साथ बीमा के द्वारा योग्य कार्मिकों को उपदान दिया जाता है| बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा संगणित वार्षिक माँग लाभ तथा हानि लेखा एवं अन्य व्यापक आय के ख़रचे में लिखा जाता है|.

अंतरिक्ष विभाग के कार्मिक, जो इस कंपनी के कार्मिक नहीं हैं, परन्तु कंपनी के लिए कार्य करते हैं, हेतु अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार को दी जाने वाली राशि में ऊपर दी गई राशि शामिल नहीं है।

ii. अवकाश मूल्यांकन

1.1.परिसंपत्ति एवं देयता (तुलनपत्र की स्थिति)

	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
दायित्व का वर्तमान मूल्य	213.30	182.36
नियोजित परिसंपत्ति का उचित मूल्य	191.09	167.08
अधिशेष/ (घाटा)	(22.21)	(15.28)
परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव, यदि कोई हो - -	-	-
निवल देयता	**(22.21)**	**(15.28)**

2.कंपनी अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची III के अनुसार वर्ष के अंत में दायित्व के वर्तमान मूल्य का द्विभागीकरण

	31 मार्च 2025 तक 31, 2025	31 मार्च 2024 तक 31, 2024
चालू देयता (अल्पावधि)	22.21	15.28
दीर्घकालीन देयता (दीर्घावधि)	-	-
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**22.21**	**15.28**

छुट्टी नकदीकरण से संबंधित सेवानिवृत्ति लाभ भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ समूह छुट्टी नकदीकरण योजना के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से अंतर देयता को लाभ और हानि विवरणी और अन्य व्यापक आय पर लगाया जाता है।

ऊपर दर्शाई गई राशि में कंपनी के लिए काम करने वाले अंतरिक्ष विभाग के कर्मचारियों के संबंध में अंतरिक्ष विभाग , भारत सरकार को लागत की प्रतिपूर्ति शामिल नहीं है, क्योंकि ये कर्मचारी कंपनी से संबंधित नहीं हैं।

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

38. भारतीय लेखा मानक 37 के अंतर्गत प्रकटीकरण

प्रावधानों में परिचालन				
	1 अप्रैल, 2023 तक	**योग**	**प्रयुक्त राशि**	**31 मार्च 2024 तक**
उपदान				
चालू	1.06	11.73	1.06	11.73
दीर्घकालीन	0.60	-	0.60	-
छुट्टी नक़दीकरण				
चालू	11.26	15.28	11.26	15.28
दीर्घकालीन	6.84	-	6.84	-
सी.एस.आर प्रतिबद्धताएँ	342.65	117.86	394.47	66.04
कुल	**362.41**	**144.87**	**414.23**	**93.05**

प्रावधानों में परिचालन				
	1 अप्रैल, 2024 तक	**योग**	**प्रयुक्त राशि**	**31 मार्च 2025 तक**
उपदान				
चालू	11.73	15.56	11.73	15.56
दीर्घकालीन	-	-	-	-
छुट्टी नक़दीकरण				
चालू	15.28	22.21	15.28	22.21
दीर्घकालीन	-	-	-	-
सी.एस.आर प्रतिबद्धताएँ	66.04	136.28	93.67	108.65
कुल	**93.05**	**174.05**	**120.68**	**146.42**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

39. भारतीय लेखा मानक-38 के अंतर्गत प्रकटीकरण - अमूर्त संपत्ति :

(क)	अमूर्त परिसंपत्ति की श्रेणी	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
(ख)	अमूर्त परिसंपत्ति की प्रकृति	अलग से प्राप्त
(ग)	उपयोगी जीवन या परिशोधन दर	निश्चित उपयोगी जीवन
(घ)	उपयोग में लाई गई परिशोधन पद्धति	अनुज्ञप्ति की अवधि के पार परिशोधन सीधी रेखा के आधार पर और इसके अभाव में 5 वर्ष होता है
(ङ.)	सकल वाहित राशि	₹145.86 लाख (पिछले वर्ष ₹ 145.86 लाख)
(च)	संचित परिशोधन	₹142.64 लाख (पिछले वर्ष ₹ 140.45 लाख)
(छ)	लाभ तथा हानि लेखा की लाइन सामग्री जिसमें किसी अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन शामिल है	आंतरिक विकास से अलग, अलग से प्राप्त, एवं समामेलन से प्राप्त इंगित करते योग
(ज)	अवधि की आरंभ और अंत में संचित क्षतिपूर्ति हानि	शून्य
लाभ तथा हानि लेखा की लाइन सामग्री जिसमें किसी अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन शामिल है		
(i)	वे जो आंतरिक विकास से भिन्न स्रोतों से प्राप्त हुए हैं, वे जो अलग से प्राप्त हुए हैं,, एवं जो समामेलन से प्राप्त हुए हैं, को इंगित करते योग	अलग से प्राप्त- ₹ शून्य लाख (पिछले वर्ष ₹ 2.60 लाख)। आंतरिक तौर पर या समामेलन द्वारा विकसित कोई सॉफ्टवेयर नहीं है।
(ii)	इण्ड एएस-105 और अन्य निपटारे के अनुरूप बिक्री के लिए रखे हुए या बिक्री के लिए रखे हुए वर्गीकृत निपटारे के समूह में शामिल परिसंपत्ति	शून्य (पिछले वर्ष-शून्य)
(iii)	अवधि के दौरान, इण्ड एएस-36 के अनुरूप पुनर्मूल्यांकन और अन्य व्यापक आय में क्षति हानि स्वीकृत या प्रतिक्रमित से हुई वृद्धि या कमी	शून्य
(iv)	अवधि के दौरान, इण्ड एएस-36 के अनुरूप लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकृत क्षति हानि	शून्य
(v)	अवधि के दौरान स्वीकृत कोई समामेलन	₹ 2.19 लाख (पिछले वर्ष ₹ 4.60 लाख)
(vi)	वित्तीय विवरणी के प्रदेय मुद्रा में स्थानांतरण, और अस्तित्व के विदेशी प्रचालन के प्रदेय मुद्रा में स्थानांतरण के कारण उद्भूत होने वाले निवल विनिमय अंतर	शून्य
(vii)	अवधि के दौरान वाहित राशि में अन्य परिवर्तन	शून्य

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

40. 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए चालू वर्ष के लिए इण्ड एएस 116 के अंतर्गत पट्टा प्रकटीकरण

इण्ड एएस 116 का क्रियान्वयन-पट्टेदार के तौर पर पट्टा

कंपनी के पास केवल एक ही पट्टा है| उदाहरणार्थ, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार, भूमिका पट्टा| 01 अप्रैल, 2019 से इस पट्टा करार पर इण्ड ए.एस 116 लागू किया गया| 01 अप्रैल 2019 तक पट्टा देयता पर लागू पट्टेदार की ऋण वृद्धि दर का वाहित औसत 8.20% प्रति वर्ष था|

परिवर्तन के कारण, नए मानक अपनाने से ₹272.41 लाख की उपयोगाधिकार परिसंपत्ति और ₹272.41 लाख की पट्टा देयता स्वीकार की गई है|

तुलन पत्र में उपयोगाधिकार परिसंपत्ति को 'दीर्घकालीन' परिसंपत्ति के अंतर्गत अलग से दर्शाया गया है एवं पट्टा देयता को 'चालू एवं दीर्घकालीन वित्तीय देयता' के अंतर्गत दर्शाया गया है |

i) तुलन पत्र में मान्य राशि

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
क) उपयोगाधिकार परिसंपत्ति	239.71	245.16
ख) पट्टा देयताएँ		
चालू	0.72	0.67
दीर्घकालीन	268.38	269.10
कुल पट्टा देयताएँ	269.10	269.77
ग) उपयोगाधिकार परिसंपत्ति में योग	-	-

ii) लाभ तथा हानि लेखा में मान्य राशि

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
क) उपयोगाधिकार परिसंपत्ति हेतु मूल्यह्रास शुल्क	5.45	5.45
ख) ब्याज हेतु व्यय	22.12	22.17
ग) अल्पावधि पट्टे से संबंधित व्यय	-	-

iii) नक़द प्रवाह

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
पट्टे के कुल नक़द बहिर्गमन	0.10	0.10

iv) भविष्य की प्रतिबद्धता

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
भविष्य के बिना बट्टे वाले पट्टे के भुगतान जिसके लिए पट्टा करार अभी तक आरंभ नहीं	-	-

v) अप्रकट पट्टा देयता का परिपक्व विश्लेषण (₹ 22.69 लाख की स'रकारी अनुदान राशि सहित)

अवधि	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
एक वर्ष के बाद नहीं	22.79	22.79
एक वर्ष के बाद और पाँच वर्षों के बाद नहीं	91.14	91.14
पाँच वर्षों के बाद	884.87	907.65
कुल	**998.80**	**1,021.58**

प्रचालनीय पट्टा

31 मार्च तक, अविलोप्य प्रचालनीय पट्टे के अंतर्गत भविष्य के न्यूनतम किए जाने वाले पट्टा भुगतान (₹. 22.69 लाख की सरकारी अनुदान के अलावा) अधोलिखित हैं

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
एक वर्ष से कम में देय	0.10	0.10
एक और पाँच वर्ष के बीच देय	0.40	0.40
पाँच वर्ष से अधिक के बाद देय	3.90	4.00
	4.40	4.50

41 इण्ड एएस 20 के अंतर्गत सरकारी अनुदान का प्रकटीकरण

कंपनी ने अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार से 60 वर्षों के लिए पट्टे पर भूमि ली है जो ₹ 10,000 प्रति वर्ष के नाममात्र किराए पर कंपनी का अकेला हिस्सेदार भी है।

मूल्यांकन के आधार पर, पट्टा किराए का अनुमानित उचित मूल्य ₹ 22.79 लाख प्रतिवर्ष है। इण्ड एएस 20 के "सरकारी अनुदान की लेखाविधि और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण" के अनुसार, उचित मूल्य और ₹ 22.69 लाख के नाममात्र किराए के अंतर को 'अन्य आय' के तौर पर स्वीकार किया गया है।

		31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
42	**आकस्मिक देयताएँ एवं प्रतिबद्धताएँ:** (जहाँ तक कि प्रावधान न किया गया हो) i) **आकस्मिक देयता::** (क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया:-		
	(i) माँग की तिथि तक ब्याज एवं शास्ति सहित कर्नाटक मूल्य आधारित कर एवं केंद्रीय विक्री कर इन माँगों के प्रति (चालू एवं पिछली रिपोर्टिंग अवधि दोनों के लिए लागू) विरोध के तहत₹ ₹ 912.47 लाख का भुगतान किया गया और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 12.03.2010 के अंतरिम आदेश के निर्देशानुसार ₹ 5,000 लाख की राशि जमा की गई।	1,44,440.44	1,44,440.44
	(ii) माँग की तिथि तक सेवा कर (ब्याज और शास्ति सहित)। कंपनी ने ₹12,503.13 लाख सेवा कर (ब्याज और शास्ति सहित) को अमान्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया है और विरोध स्वरूप ₹12008.85 लाख का भुगतान किया है। विवेकपूर्ण सिद्धांत के अंतर्गत, लेखा में ₹7,420.54 लाख की देयता मानी गई है। परिणामत:, देयता की क्षतिपूर्ति के बाद ₹6,046.19 लाख आकस्मिक देयता के रूप में दिखाई गई है और विरोध स्वरूप प्रदत्त ₹4,588.31 लाख के सेवाकर को वित्तीय विवरणी में दीर्घकालीन परिसंपत्ति के रूप में दिखाया गया है।	6046.19	6046.19
	(iii) वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आयकर निर्धारण के संबंध में सी.आइ.टी (अपील) के समक्ष अपील लंबित है।	119.75	211.48
	(iv) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आयकर निर्धारण के संबंध में सी.आइ.टी (अपील) के समक्ष अपील लंबित है।	38.98	38.98
	(v) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर निर्धारण के संबंध में सी.आइ.टी (अपील) द्वारा अनुमति दी गई है।	शून्य	163.07
42	**कुल**	**1,50,645.36**	**1,50,900.16**

	(ख) प्रतिभूति: (i) बैंक प्रतिभूति	शून्य	शून्य
	(ग) अन्य धनराशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	शून्य	शून्य
	ii) प्रतिबद्धताएँ:		
	(क) पूँजीगत लेखा पर निष्पादित किये जाने हेतु शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है;	शून्य	शून्य
	(ख) अन्य प्रतिबद्धताएँ	शून्य	शून्य
	कंपनी का मत है कि आकस्मिक मानी जाने वाली देयता के लिए संसाधन बाहर नहीं जा पाएगी।		
43	सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया में उल्लिखित राशि जो कम-से-कम राशि के बराबर हो के प्रापण से संबंधित परिसंपत्ति, स्थायी परिसंपत्ति के बारे में मंडल की राय।	मंडल की राय है कि ऐसी परिसंपत्ति का मूल्य कम-से-कम लेखा में उल्लिखित राशि के समान होगा जो सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया के क्रम में प्राप्य होगा।	मंडल की राय है कि ऐसी परिसंपत्ति का मूल्य कम-से-कम लेखा में उल्लिखित राशि के समान होगा जो सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया के क्रम में प्राप्य होगा।

44. विवादों के विवरण:

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>विवाद की प्रकृति</th><th>फोरम/प्राधिकरण जहाँ मामला/ विवाद लंबित है</th><th>31 मार्च, 2025 तक विवाद में शामिल राशि (₹ लाख में)</th></tr>
<tr><td>क.</td><td>दिनांक 01.04.2005 से दिनांक 31.07.2008 की अवधि के लिए के.वी.ए.टी. एवं सी.एस.टी. की माँग</td><td>भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय</td><td>20,595.56</td></tr>
<tr><td colspan="4">विवाद की स्थिति:
माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील कार्यवाही जारी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 03 मई, 2010 के अपने आदेश के द्वारा "मूल्यांकन अधिकारी को मूल्यांकन कार्यवाही को लेकर आगे बढ़ सकने और अगले आदेश तक वसूली नहीं करने का आदेश दिया है।"</td></tr>
<tr><td>ख.</td><td>01.08.2008 से 31.03.2010 की अवधि के लिए के.वी.ए.टी. एवं सी.एस.टी. (वर्ष 2009-10 के लिए, के.वी.ए.टी. पुन: आकलित और इसलिए अलग से दिखाया गया) आदेश निम्नवत् :
i. आदेश सं 221736837/05.01.2016 द्वारा वित्त वर्ष 2009-10 के लिए के.वी.ए.टी
ii. आदेश सं. 259709721/24.02.2016 द्वारा वित्त वर्ष 2010-11 के लिए के.वी.ए.टी
iii. आदेश सं. 251709773/24.02.2016 द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 के लिए के.वी.ए.टी
iv. आदेश सं. 275709811/24.02.2016 द्वारा वित्त वर्ष 2012-13 के लिए के.वी.ए.टी
v. आदेश सं. 232709848/24.02.2016 द्वारा वित्त वर्ष 2013-14 के लिए के.वी.ए.टी</td><td>कर्नाटका के माननीय उच्च न्यायालय / भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय</td><td>1,23,844.88</td></tr>
<tr><td colspan="4">विवाद की स्थिति:
मूल्यांकन अधिकारी द्वारा इस अवधि के लिए जारी मूल्यांकन आदेश के विरुद्ध कंपनी ने कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय में समादेश याचिका दायर की है।

दिनांक 20 सितम्बर, 2016 को माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश पारित कर एन्ट्रिक्स को अगस्त 2008 से मार्च 2014 तक की अवधि के लिए 3 महीने के भीतर माँगे गए कर के 50% जमा करने का निर्देश दिया | कर के शेष, ब्याज और शास्ति को शोधक्षम प्रतिभूति प्रस्तुत करने तक रोक लगा दी गई है।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="4">माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कंपनी द्वारा दायर समादेश अपील को भी दिनांक 14.12.2016 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कंपनी द्वारा दायर समादेश अपील को भी दिनांक 14.12.2016 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कंपनी द्वारा दायर समादेश अपील को भी दिनांक 14.12.2016 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।</td></tr>
<tr><td colspan="4">कंपनी ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर की थी जिन्हें सिविल अपील के तौर पर स्वीकार किया गया था और है तथा 2010 के मूल अपील सं.2349-2352 के साथ सुनवाई का आदेश दिया गया है| मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।

माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सभी संबंधित मामलों को माननीय सर्वोच्चन्यायालय में ह्स्तांतरित करने के लिए माननीय सर्वोच्चन्यायालय के समक्ष ह्स्तांतरण याचिका दायर की गई थी | शीर्ष न्यायालय ने दिनांक 03 अप्रैल, 2017 को यह निर्देश देते हुए याचिका ख़ारिज़ कर दिया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सभी संबंधित मामलों की सुनवाई तभी होगी जब इसके समक्ष लंबित सिविल अपीलीय कार्यवाही पूरी हो जाएगी और सिविल अपील के संबंध में उच्च न्यायालय स्वत: माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करेगा।</td></tr>
<tr><td>ग.</td><td>जुलाई 2012 से सितम्बर 2015 तक की अवधि के दौरान विदेशी उपग्रहों के लिए प्रमोचन सेवाएँ प्रदान करने के लिए माँग किए गए सेवाकर</td><td>सीईएसटीएटी, बेंगलूरु (केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण)</td><td>5,900.84</td></tr>
<tr><td colspan="4">विवाद की स्थिति:

सीइएसटीएटी, बेंगलूरु के समक्ष मामला लंबित है। फिर भी, ब्याज एवं शास्ति को छोड़कर सह-कर लाभ को पाने के बाद ₹4,588.31 लाख का सेवाकर विरोध के अंतर्गत भुगतान कर दिया गया है।</td></tr>
</table>

45. कंपनी और देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड ('देवास') ने दिनांक 28.01.2005 को "देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसरो/एन्ट्रिक्स एस-बैंड अंतरिक्ष यान पर अंतरिक्ष खंड क्षमता के पट्टे के लिए करार'" किया था, जिसे एन्ट्रिक्स द्वारा दिनांक 25.02.2011 को जारी निरस्त्रीकरण पत्र द्वारा निरस्त कर दिया गया था। देवास ने इसे चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न न्यायिक और अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियाँ हुईं। आईसीसी ट्रिब्यूनल ने कंपनी के विरुद्ध एक मध्यस्थता निर्णय सुनाया, जिसमें देवास को पूर्व-निर्णय और पश्चात-निर्णय ब्याज सहित 562.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हर्जाना देने का आदेश दिया गया। इस निर्णय को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 29 अगस्त, 2022 को रद्द कर दिया और दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इसे बरकरार रखा। इसके बाद दायर विशेष अनुमति याचिका को भी भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 06 अक्टूबर, 2023 को खारिज कर दिया। हालाँकि, इस रद्द किए गए निर्णय को लागू करने की कार्यवाही अभी भी विदेशी न्यायालयों में चल रही है।

देवास ने मध्यस्थता के फैसले को फ्रांस में एक फैसले में बदल दिया था और 22 अक्टूबर, 2015 को पेरिस के प्रथम वाद न्यायालय से एक मान्यता-पत्र आदेश प्राप्त किया था। इस मान्यता-पत्र आदेश के विरुद्ध एन्ट्रिक्स की अपील को पेरिस अपीलीय न्यायालय और फ्रांसीसी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। 27 नवंबर, 2024 को, फ्रांसीसी जिला न्यायालय ने देवास के परिसमापन निर्णय को मान्यता-पत्र प्रदान किया और देवास पर आधिकारिक परिसमापक के अधिकार को मान्यता दी।

देवास को आइ.सी.सी के अधिनिर्णय की पुष्टि का आदेश और इसके बाद अमेरिका के सिएटल स्थित वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के जिला न्यायालय से निर्णय प्राप्त हुआ था। हालाँकि, 1 अगस्त, 2023 के अपने आदेश के माध्यम से, सैन फ्रांसिस्को स्थित नौवीं चल न्यायालय ने एन्ट्रिक्स की अपील को पूर्णतः स्वीकार कर लिया और सिएटल जिला न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए आइसीसी के अधिनिर्णय को पलट दिया। इसने निर्णय दिया कि सिएटल जिला न्यायालय द्वारा एन्ट्रिक्स के लिए व्यक्तिगत निर्णय करना गलत था। देवास और उसके शेयरधारकों ने अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में उत्प्रेषण याचिका दायर की थी, जिसकी अंतिम सुनवाई पूरी हो चुकी है और निर्णय की प्रतीक्षा है।

देवास हस्तक्षेपक (देवास, मॉरीशस के शेयरधारक और उसकी अमेरिकी सहायक कंपनी) ने 24 फरवरी, 2021 को जस्टिस क़्वीन के उच्च न्यायालय की खंडपीठ, वाणिज्यिक न्यायालय, लंदन (यूके) के समक्ष निर्णय के प्रवर्तन में पक्षकार बनने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। न्यायालय के आदेश के आधार पर, संयुक्त आवेदन और अन्य संबंधित दस्तावेज़ एंट्रिक्स को ईमेल द्वारा भेजे गए। दस्तावेजों के अवलोकन से पता चला है कि न्यायालय ने 26 अक्टूबर, 2015 को आईसीसी निर्णय की पुष्टि करते हुए एकपक्षीय आदेश जारी किया था। हालाँकि, उक्त आदेश आज तक एंट्रिक्स को नहीं दिया गया है। न्यायालय के आदेश के आधार पर संयोजन आवेदन और अन्य संबंधित प्रलेख एन्ट्रिक्स को ई-मेल के माध्यम से भेजे गए। प्रलेख के अवलोकन के पश्चात् ऐसा पाया गया कि न्यायालय ने दिनांक 26 अक्तूबर, 2015 को आइसीसी के निर्णय की पुष्टि करते हुए एकपक्षीय आदेश जारी किया है। हालाँकि, उक्त आदेश एन्ट्रिक्स को अबतक सौंपा नहीं गया है|

डीएमएआई (देवास की अमेरिकी सहायक कंपनी) ने हेग, नीदरलैंड के ज़िला न्यायालय में आइसीसी के अधिनिर्णय को लागू कराने के लिए याचिका दायर की जिसे दिनांक 18 जुलाई, 2023 के आदेश से खारिज़ कर दिया गया था। डीएमएआइ ने हेग में अपीलीय न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी जिसने ज़िला न्यायालय के निर्णय को अस्वीकार कर दिया और नीदरलैंड में अधिनिर्णय लागू किया जाने की स्वीकृति प्रदान की। एन्टिक्स ने डच सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जिसे स्वीकार कर लिया गया और वह निर्णयादेश के अधीन है।

विधि सलाहकार/परामर्शदाताओं के साथ परामर्श करके अगली कार्रवाई की जा रही है|

46. कंपनी ने वर्ष 2017-18 में इन्सैट/जीसैट अंतरिक्ष खण्ड से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति हेतु आइसीएआइ से उनका विचार जानना चाहा था। उनके मतानुसार, अंतरिक्ष विभाग को प्रदान किए जाने वाले शेयर के प्रति कंपनी जवाबदेह है। कंपनी ने उनके मत को स्वीकार किया है और उनके मतानुसार ही इन्सैट/जीसैट अंतरिक्ष खण्ड से प्राप्त राजस्व का लेखा-जोखा रखा है। वर्ष के दौरान, इस खण्ड से प्राप्त राजस्व शून्य है (विगत वर्ष शून्य लाख) [निवल साख पत्र निर्गत]।

47. कंपनी ने विदेशी ग्राहकों को उनके उपग्रह प्रमोचित कर अपनी सेवाएँ दी हैं। संविदा के शर्तों के अनुरूप, विदेशी ग्राहक, इस सुविधा के उपयोग के लिए तैयार होने की तिथि से सात वर्षों के लिए

जगह साझा (ग़ैर- वित्तीय क्षतिपूर्ति) करके उसके एवज की भरपाई करेंगे| इण्ड एएस-115 के अनुच्छेद 48(डी), इण्ड एएस-115 के अनुच्छेद 66 के तौर पर पठ्य के अनुरूप, अंतरण मूल्य ₹ 11,130 लाख (लागू होने वाले माल सेवा कर सहित) निर्धारित किया गया है जो ग्राहक द्वारा प्रदान की जाने वाली ग़ैर-वित्तीय क्षतिपूर्ति का उचित मूल्य निर्दिष्ट करता है। यह सुविधा नवम्बर 2020 से उपयोग के लिए उपलब्ध है। परवर्ती अवधि से संबंधित इस ग़ैर-वित्तीय क्षतिपूर्ति को "सेवा-अग्रिम" के तौर पर वर्गीकृत किया गया है और कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग II अनुसूची III के तहत प्रस्तुत किया गया है।

48. कंपनी ने प्रमुख ग्राहकों से 31 मार्च, 2025 तक शेष की पुष्टि के लिए अनुरोध किया है और केवल कुछेक ग्राहकों से ही उत्तर मिल पाया है| अंतर पाए जाने वाले ग्राहकों के लेखा का सामंजस्य जारी है। प्रबंधन की दृष्टि में इस सामंजस्य का लाभ तथा हानि लेखापर कोई आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

49. अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार से 31 मार्च, 2025 तक शेष की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।प्रबंधन की दृष्टि में ऐसी अपुष्टि से वर्ष के लाभ पर कोई आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

50. 01.04.2005 से 31.03.2014 तक वाणिज्यिक कर विभाग, कर्नाटक सरकार द्वारा माँगे गए के.ए.वी.टी. एवं सी.एस.टी से संबंधित ₹144,440.44 लाख की आकस्मिक देयता जो नोट-सं.42(i)(क)(i) द्वारा दर्शाया गया है, में माँग की तिथि से तुलनपत्र की तिथि तक ब्याज एवं शास्ति शामिल नहीं है।

51. प्रमोचन सेवा करार के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी, "स्व-बीमा" नीति के अंतर्गत ग्राहक से बिना कोई अतिरिक्त शुल्क लिए क्षेत्र को अनुरक्षित और विस्तृत करने के लिए उत्तरदायी है| इस नीति में, प्रमोचन काल के दौरान मृत्यु सहित शारीरिक चोट लगने और इसरो के प्रमोचन यान का उपयोग करके समर्पित और सहयात्री ग्राहक उपग्रह प्रमोचित करने के दौरान तीसरे पक्ष के उत्पादों को हुई हानि के लिए कानूनी देयता शामिल है| इसरो, प्रत्येक प्रमोचन के लिए स्व-बीमा नीति का अनुसरण करता है| इसप्रकार, कंपनी के लिए तीसरा पक्ष देयता बीमा की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

52. कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय भवन के एक तल को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस), जो अंतरिक्ष विभाग (अ.वि.) की एक स्वायत्त एजेंसी है, को ₹50,000 के मासिक किराए पर दे रखा है। किराय से होने वाली को उपार्जन के आधार पर प्राप्त आय माना गया है।

53. अन्य कर परिसंपत्तियों के अंतर्गत शामिल विभिन्न निर्धारण वर्षों के लिए आयकर रिफंड बकाया की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	खाता के अनुसार बाकी आयकर वापसी (₹ लाख में)	स्थिति
2007-08	1008.68	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया।
2008-09	143.92	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया।
2009-10	386.76	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया।
2010-11	105.51	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया।
2011-12	186.09	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत सुधार याचिका दायर करने में देरी के लिए माफी के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के समक्ष एक याचिका दायर की गई।
2012-13	181.18	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया।
2013-14	20.13	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया।
2014-15	175.42	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया।
2015-16	0.91	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया।
2016-17	1,247.77	आयकर विभाग में अपील लंबित है।
2017-18	2,083.39	आयकर विभाग में अपील लंबित है।
2018-19	1,768.80	आयकर विभाग के अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील लंबित है।
2019-20	2391.19	आयकर विभाग में अपील लंबित है।
2020-21	3618.80	आयकर विभाग द्वारा अपील की अनुमति प्रदान की गई।
2021-22	680.07	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया।
2022-23	3.69	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया जाना है।
2024-25	216.06	विवरणी भरा जाना बाकी है।
कुल	**14,528.69**	

उपर्युक्त आयकर बकाया वापसी में टी.डी.एस प्रमाणपत्रों और ग्राहकों से प्राप्त भुगतान पत्रक/सूचना पर आधारित लेखाविधित स्रोतों पर कर कटौती शामिल है। जहाँ कहीं भी लागू हो, विशिष्ट बकाया राशि हेतु आकलन अधिकारी के समक्ष आयकर अधिनियम,1961 की धारा 154 के तहत संशोधन आवेदन-पत्र दाखिल किया जा चुका है।

54. कंपनी, इण्ड एएस 10 की आवश्यकताओं के अनुरूप निम्नलिखित परिवर्ती क्रियाकलापों का प्रतिवेदन करती है:

i. कंपनी द्वारा घोषित लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध लाभ पर निर्भर है। दिनांक 30 जुलाई, 2025 को कंपनी के निदेशकमंडल ने अपनी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन मिलने पर दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ₹857.875 प्रति शेयर के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन पर निर्भर करता है, और यदि अनुमोदित हो जाता है तो इसके चलते लगभग ₹5,833.55 लाख का नकद प्रवाह होगा। वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा घोषित और प्रदत्त लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुरूप है।

55. कंपनी को पिछले वर्षों के संविदात्मक शर्तों के अंतर्गत ग्राहकों द्वारा विलंब से भुगतान किए जाने के कारण ₹ 25.83 करोड़ ब्याज के रूप में मिलना बाकी है। इस ब्याज को राजस्व के रूप में स्वीकार करने के लिए आकलन में निर्णय की आवश्यकता है जिस से पता चले कि क्या ऐसी व्यवस्था प्रभावी रूप से नियंत्रण को हस्तांतरित करती है और क्या इण्ड ए.एस 115 के अंतर्गत उगाही संभावित है? प्रबंधन ने निष्कर्ष निकाला कि उगाही में होने वाली अनपेक्षित अनिश्चित्ताओं के मद्देनज़र ऐसा मानना अपरिपक्व निर्णय होगा, इसीलिए राशि को चालू या पिछली अवधि में राजस्व के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।

प्रमुख धारणाएँ एवं अनिश्चितता आकलन के स्रोत (इण्ड ए.एस.1, अनुच्छेद 125)

अधोलिखित अमान्य आय मद में प्रमुख धारणाएँ एवं अनिश्चितताओं के आकलन सम्मिलित हैं:

अमान्य ब्याज प्राप्य	राशि (₹ लाख)	धारणाएँ / अनिश्चितताएँ
संविदात्मक विलंब भुगतान से प्राप्त ब्याज	2582.87	• विधिक बाध्यता और धन-संग्रहण के समय में अनिश्चितता • व्यक्ति ग्राहक साख, समझौता के इतिहास और विवाद हल के आसार के मद्देनज़र प्रबंधन का धन-उगाही आकलन • न्यायालय के भविष्य के निर्णय,परस्पर समझौता या ग्राहक की चूक पर संभावित समायोजन की निर्भरता

तार्किक रूप से यह संभव है कि अगले वित्त वर्ष हेतु उगाही सुनिश्चित करने के लिए की गई प्रमुख धारणाएँ परिणाम से भिन्न हों जिसके चलते राजस्व और व्यापार प्राप्तियों में वस्तुगत समायोजन किया जाए। प्रबंधन, उगाही की निगरानी और वापसी का मूल्यांकन जारी रखे हुए है और मान्य मानदंड प्राप्त करने के बाद लाभ तथा हानि लेखा में वास्तविक वसूली मान्य की जाएगी।

56. 31 मार्च, 2025/31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा में अतिरिक्त नोट:

i. कंपनी के पास ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो लेखा बही में दर्ज न हो और जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किया गया हो (जैसे, तलाशी या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान) और उसे प्रकट न करने की कोई छूट भी नहीं है। पहले से अलिखित आय और संबंधित परिसंपत्तियों का ऐसा कोई मामला नहीं है जिसे लेखा बही में दर्ज किया गया हो।

ii. कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कोई संबंध नहीं है।

57. वित्तीय अनुपात

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रूपए में हैं)

क्र.सं.	अनुपात	विवरण/अंश में प्रयुक्त सूत्र	विवरण/हर में प्रयुक्त सूत्र	31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	विसंगति	विसंगति के कारण
क	चालू अनुपात (काल में)	कुल चालू अनुपात	कुल चालू देयताएँ	10.69	11.84	-10%	बिलरहित लेनदारों में बढ़ोत्तरी के कारण चालू देयताएँ बढ़ीं परिणामत: चालू वर्ष के चालू अनुपात में कमी आई
ख	ऋण -एक्विटी अनुपात (काल में)	कुल ऋण	कुल शेयरधारक एक्विटी या निवल संपत्ति	-	-	0%	--
ग	ऋण सेवा राशि अनुपात (काल में)	करोपरान्त निवल लाभ + मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय +ब्याज व्यय	ब्याज व्यय +ऋण भुगतान	-	-	0%	--
घ	एक्विटी अनुपात से प्रतिलाभ (% में)	करोपरान्त लाभ	औसत शेयरधारक एक्विटी या औसत निवल संपत्ति	3.88%	4.25%	-8%	अन्य व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि एवं राजस्व में कमी और चालू वर्ष में कंपनी के लाभ पर परिणात्मक प्रभाव
ङ.	वस्तुसूची उत्पादन अनुपात	प्रचालन से लाभ	वस्तुसूची के औस्त मान	0.15	2.87	-95%	चालू वर्ष में उत्पाद में कमी हुई है और अंतिम वस्तुसूची स्थिर रूप से आर्थिक नहीं है।
च	व्यापार प्राप्य उत्पादन अनुपात (काल में)	प्रचालन से लाभ	औसत व्यापार प्राप्तियाँ	3.76	3.05	23%	वर्ष के दौरान राजस्व में कमी हुई है और चालू वर्ष में औसत व्यापार प्राप्तियों में कमी के कारण बढ़ोत्तरी हुई है।
छ	व्यापार देय उत्पादन अनुपात (काल में)	उपभुक्त सामग्री की लागत एवं प्रदत्त सेवाएँ+व्यापार हेतु वस्तु की ख़रीदारी	औसत व्यापार देय	0.86	1.42	-40%	वर्ष के दौरान सेवाओं की लागत में कमी हुई है। इसके बाद चालू वर्ष के दौरान बिलरहित लेनदारों में वृद्धि हुई है जिसकारण औसत देय प्रभावित हुआ है।
ज	निवल पूँजी उत्पादनअनुपात (काल में)	प्रचालन से लाभ	औसत कार्य संचालन पूँजी (अर्थात् कुल चालू परिसंपत्ति में से कुल चालू देयता घटाकर)	0.07	0.08	-17%	वर्ष के दौरान राजस्व में उल्लेखनीय कमी
झ	निवल लाभ अनुपात (% में)	करोपरान्त लाभ	प्रचालन से राजस्व की प्राप्ति	74.22%	68.36%	9%	कम हुई राजस्व-लागत के कारण वृद्धि हुई है।
ञ	लगी हुई पूँजी से प्रतिलाभ (% में)	करपूर्व लाभ एवं वित्त लागत	निवल संपत्ति + ऋण - आस्थगित कर परिसंपत्ति	5.46%	5.85%	-7%	अन्य व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि एवं राजस्व में कमी और चालू वर्ष में कंपनी के लाभ पर परिणात्मक प्रभाव।
ट	निवेश से प्रतिलाभ (% में)	निवेशित निधि से प्राप्त आय	औसत निवेश	-	-	0%	--

58. पिछले वर्ष के आँकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए जहाँ भी आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची III की आवश्यकताओं के अनुसार तुलनात्मक प्रकटीकरण प्रदान किया गया है।

कृते मुकुंद शिवा एवं ॲसोसिएटस
सनदी लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीयन संख्या : 011768S

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशकमंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
मुकुंदा	**संजय कुमार अग्रवाल**	**मोहन महादेवन**	**जी. आनंदनारायणन**
भागीदार	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)/ निदेशक (वित्त)	निदेशक	कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : 215774	डी.आई.एन : 08200144	डी.आई.एन : 07267450	आइ.सी.एस.आई सदस्यता संख्या 13691
यू.डी.आई.एन: 25215774BMIQSE5458	बेंगलूरु	बेंगलूरु	बेंगलूरु
बेंगलूरु	30 जून, 2025	30 जून, 2025	30 जून, 2025
30 जून, 2025			

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अंतरिक्षभवन, न्यू बी.ई.एल रोड, बेंगलूरु – 560 094

दूरभाष:+91 80 2217 8302/11 फैक्स : + 91 80 2217 8337

वेबसाइट : www.antrix.co.in